Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 1 पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का उन्नीसवां दिवस संख्या 10

शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रेल, 1972

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सहकारी, पशुपालन, वित्त, शिक्षा, वन, जन-सम्पर्क, जन-स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, उद्योग, आबकारी-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ...।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर

16. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालोर के प्रशासन में भयंकर पार्टीबाजी फैल रही है? अगर हां, तो क्यों व कब से?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त बैंक के व्यवस्थापक ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है? अगर हां तो कब कब तथा सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई? अब तक कोई सक्रीय कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये दोषी कौन है?

(3) उक्त बैंक के कितने संचालक अयोग्य घोषित किए जाने योग्य हैं? उनके नाम क्या क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

(4) उक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा अब तक अपने कार्यकाल में कितनी अनियमितताएं की गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इन पर क्या कार्यवाही की गई है एवं आगे क्या कार्यवाही की जावेगी?

(5) पिछले एक साल की अवधि में बैंक का कुल खर्चा कितना हुआ एवं आमदनी कितनी हुई तथा कुल घाटा कितना हुआ? इतने खर्चे होने के क्या कारण हैं? एवं इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

(6) पिछले एक साल की अवधि में बैंक द्वारा काश्तकारों को कितना ऋण अब तक बांटा गया है? ऋण वितरण में कमी के क्या कारण हैं?

(7) अब उक्त बैंक का प्रशासन कब तक ठीक करा दिया जावेगा? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

राज्यमंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए इसको स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया।

श्रीमती निर्मला शक्तावत।

गंभीरी बांध पर मत्स्य पालन

17. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चित्तौडगढ़ जिले में गंभीरी बांध पर मत्स्य पालन के लिए छोट छोटे पोन्ड्स बनाए गए हैं तथा इनको बनाए चार पांच साल हो चुके हैं पर अभी तक मत्स्य पालन शुरू नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? अब यह कार्य कब शुरू होगा?

पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): चित्तौडगढ़ जिले में गंभीरी बांध पर मत्स्य पालन के लिए सन् 1967 में 15 छोटे पोन्ड्स बनाए गए थे, परन्तु इनमें पानी रिसने के कारण मत्स्य पालन का कार्य चालू नहीं किया जा सका। रिसाव को रोकने के लिये काम चालू है जिसके पूर्ण होते ही मत्स्य-पालन का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्रीमती निर्मलाकुमारी: मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रकार के पोन्ड्स क्यों बनाए गए जबकि योजना पहले से नहीं थी?

श्री परसराम मदेरणा: अधिकारी का सोचना था कि ये जो पोंड्स बनाए गए हैं उनमें पानी का सीपेज नहीं होगा लेकिन क्योंकि नदी के पानी में ही सीपेज हो रहा है इसलिए पोन्ड्स के बेस में सीपेज होता रहा और इस कारण वापस पेंदों को पक्का बनाने के लिए योजना बनाई गई। ज्यों ही पेंदे पक्के बनाये जायेंगे मत्स्य-पालन का काम शुरू हो जाएगा।

श्रीमती निर्मलाकुमारी: पेंदे पक्का बनाने का काम पहले आरम्भ क्यों नहीं किया गया?

श्री परसराम मदेरणा: पहले यह नहीं सोचा गया था कि इस तरह से सीपेज हो जाएगा। जब सीपेज की बात राज्य सरकार के ध्यान में आई तो फाईनेन्शल सैंकशन और दूसरी बातों के प्रोपोजल्स चलते रहे और अन्त में निर्णय लिया गया कि इनको पक्का बनाने के अलावा कोई आल्टरनेटिव नहीं है। यह निर्णय लेने के बाद पक्का बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़): राज्य सरकार को कितनी हानि हुई?

श्री परसराम मदेरणा: पक्का बनाने के लिये अतिरिक्त कितनी धनराशि आवश्यक होगी, मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं लेकिन जो 15 पोंड्स बनाए गए थे, वह करीब 50 हजार रुपये की लागत के थे। एक पोंड पर औसतन लागत 3 हजार रुपये की थी। केवल पेंदे पक्के बनाए जा रहे हैं। बेल्ट बनाए गए थे और सोचा गया था कि नदी का सीपेज होता रहेगा व पानी हमेशा आता रहेगा। अब मैं सोचता हूं कि किसकी क्या गल्ती है, इसकी मैं जांच करवा रहा हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: यह स्पष्ट है कि टेकनीकल मिस्टेक है बांध बनाने में।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल छंगानी—

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेडा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाए, यह बडा महत्वपूर्ण सवाल है ।

वृहत उद्योगों पर बिक्री कर की बकाया राशि

18. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेडा) [श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) की अनुपस्थिति में] : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन किन वृहत उद्योगों पर राज्य सरकार का कितना बिक्री कर किस तिथि से बकाया है ? कृपया वर्ष वार आंकडे देने का कष्ट करें ।

(2) बकाया राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार द्वारा कब कब कार्यवाही की गई ?

(3) निरन्तर अनियमितता करने वाले वृहत् उद्योगों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) भविष्य में बिक्री कर की वसूली समय पर होती रहे इसके लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान के 'वृहत उद्योगों' पर जो बिक्री कर बकाया है उसके वर्षवार आंकडे संलग्न तालिका में बताए गए हैं ।

(2) बकाया कर राशि की वसूली की कार्यवाही राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत निरन्तर की जाती रही है ।

(3) बिक्री-कर के भुगतान में अनियमितता करने वाले उद्योगों के विरुद्ध राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती रहती है ।

(4) इस सम्बन्ध में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 7(ए) एवं 7(बी) के अन्तर्गत समुचित प्रावधान है इसके अनुसार वसूली की कार्यवाही की जाती है । इसमें और भी गति लाने हेतु विभागीय अधिकारियों को समय समय पर निर्देश दिए जाते रहते हैं ।

(कृपया परिशिष्ट-1 देखिये ।)

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं जानकारी हासिल करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि कुल कितनी राशि बकाया है ?

श्री चन्दनमल बैद: जानकारी दी जा चुकी है लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि कुल राजस्थान बिक्री कर और केंद्रीय बिक्री कर बाकी राशि 67,28,550) रु. है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह: कितने समय से बाकी है ?

श्री चन्दनमल बैद : कोई 1967-68 से कोई 1968-69 से, कोई 1969-70 से है । वसूली न होने का कारण यह है कि आम तौर पर न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त होते हैं । इसलिए रकम वसूल नहीं की जा सकी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1967-68 से बकाया राशि क्यों रही ? 1967 में स्थगन आदेश दिए गए । क्या बिक्री कर विभाग की तरफ से कोई प्रभावशील कार्यवाही की जा रही है या विभाग की तरफ से कोई वकील भी है ?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
1967 के स्थगन आदेश अभी तक वेकेंट नहीं हुए ?

श्री चन्दनमल बैद: 1967-68 की दो रकमें बकाया हैं। एक में 26 हजार और दूसरे में 32, 518)। एक में राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश हैं दूसरे में उच्च न्यायालय के। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं; वकील लगे हुए हुए हैं लेकिन जब तक स्थगन आदेश निरस्त नहीं होते तब तक वसूली न हो सकेगी।

श्री मीठालाल (लालसोट) :-क्या यह सही है कि जो वनस्पति उद्योग हैं, एक में 25 लाख की बकाया है; दूसरे में 3 लाख की बकाया है, कई उद्योग हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछें।

श्री चन्दनमल बैद : जो वनस्पति के कारखाने हैं उनमें पिछले साल 30 लाख की बकाया थी। उसमें से 22 लाख वसूल हो गए। उनमें करीब 9 लाख से ज्यादा हमारी बकाया है जिसके लिए किश्त बन्दी कर दी गई है। 9 किश्तें जमा की गई हैं। किश्तों का पैसा आ रहा है। आशा है, बाकी किश्तों का पैसा भी आ जाएगा।

श्री मीठालाल : हेसदा वनस्पति कारखाने के बारे में क्या वसूली की ?

श्री चन्दनमल बैद : उसमें कोई पैसा बकाया नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: अमूमन देखा गया है कि छोटे व्यापारी और छोटे उद्योगों पर छोटी छोटी रकमों के लिये राज्य सरकार कुर्की निकालती है लेकिन जिन लोगों में बडी बडी रकम बकाया रहती हैं, उनके खिलाफ कोई प्रभावकारी कार्यवाही वसूली की नहीं की जाती है। आप इस प्रकार के आदेश जारी करें कि प्रभावकारी कार्यवाही की जाए। वैसे राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और बड़ी बड़ी रकमें बकाया हैं।

श्री चन्दन मल बैद: मैंने पहले ही निवेदन किया है कि 67,28,550) रुपये 5 साल की बकाया राशि है; एक साल की नहीं। बडे उद्योगों से इसलिये वसूल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि न्यायालयों से स्थगन आदेश आते हैं। यह कहना कि हम सचेष्ट नहीं हैं, गलत होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि बिक्री कर विभाग अपनी बकाया रकमें वसूल करने में सफल और सचेष्ट रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सांमरिया व श्री मीठालाल।

राजकीय महाविद्यालय दौसा का भवन

19. श्री **मूलचन्द सांमरिया** (दौसा) व श्री मीठालाल (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सच है कि राजकीय महाविद्यालय दौसा (जयपुर) के निर्माणाधीन भवन का कार्य बड़ी ही धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार 1972–73 में उक्त भवन के लिए कोई विशेष योजना बना रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह): राजकीय महाविद्यालय, दौसा (जयपुर), के भवन निर्माण का कार्य सन् 1971–72 वर्ष में शुरू किया गया है। कालेज के भवन

Page No 5

(श्री जुझारसिंह)
निर्माण के हेतु राज्य सरकार ने रु. 75,000-(रुपये पिच्छेत्तर हजार) की राशि स्वीकृत की थी और निर्माण कार्य प्रगति पर है। सन् 1972-73 के लिए प्रावधान राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री मीठालाल (लालसोट): जब भी चुनाव आते हैं तो कालेज भवन के लिये पत्थर डालना, कंकरी डालना शुरू किया जाता है। प्रधान मन्त्री वहां आई तो लड़कों ने हड़ताल की तब सामान डालना शुरू किया, उसके बाद में सारा काम स्थगित किया। तो आप निश्चित समय बता सकते हैं जितने में यह काम पूरा होगा? कब तक काम पूर्ण हो जाएगा।

श्री जुझारसिंह: स्कूल का काम जनवरी में शुरू किया गया है सीरियसली और अभी 75 हजार रुपये के प्रावधान के अगेन्स्ट 70 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं और 7 कमरे बन चुके हैं। और धन उपलब्ध होने पर काम बढ़ाया जाएगा।

श्री मीठालाल: धन उपलब्ध नहीं है तो निश्चित बताइए कि कालेज का काम जो शुरू किया है वह 1972 में या 1973 में पूरा हो जाएगा।

श्री जुझारसिंह: प्लान के अनुसार जो टोटल एस्टीमेट है वह 8 लाख रुपये की है। जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होती जाएगी, काम चालू होता जाएगा।

श्री मूलचन्द सांभरिया (दौसा): हायर सेकेन्डरी स्कूल में तो 20-25 रुपये एडमीशन के समय लड़कों से वसूल किए जाते हैं भवन के लिए और लैबोरेटरी के लिए। कालेज के लिये नया भवन बनाना है लेकिन अभी तक कुछ भी वहां नहीं बना है, कमरे नहीं बने हैं। मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कालेज के बारे में।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया है कि कालेज बनाना शुरू हो गया है और इस सत्र के अन्त तक सात कमरे बन कर तैयार हो जायेंगे ....

श्री मीठालाल: ये कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे—इस की निश्चित तारीख तो होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द सांभरिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आपने जो सात कमरे बनाने की बात कही उसमें मेरा कहना तो इतना ही है कि सात कमरे तो नहीं बने हैं। पर पत्थर जरूर रखे हुए हैं। एक स्टेज बना हुआ है वहां आप जाकर भाषण दे सकते हैं।

श्री जुझार सिंह: मैं तो यह कह रहा हूं कि कमरे बन रहे हैं काम प्रगति पर है।

श्री मीठालाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इतने साल हो गये हैं काम चलते हुए पर काम अभी तक नहीं पूरा हुआ है, कालेज के भवन बनने का। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में सजग नहीं है। कोई जाकर देखता ही नहीं है। अगर राज्य सरकार सजग होती तो कभी की कालेज भवन बन जाती। आपके विधान सभा भवन के कमरे कैसे कैसे बन गये। दौसा यहां से दूर नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से

Page No 6

(श्री मीठालाल)
निवेदन करता हूं कि वो जाकर देखें कि कालेज भवन की स्थिति क्या है ? दौसा तो यहां से सिर्फ़ 32 मील ही है।

श्री **जुझारसिंह** : इसकी जांच करवा ली जायेगी । वैसे मेरा निवेदन है कि मैंने तो सात कमरे बनाने की बात कही है कि सात कमरे इस सत्र के अन्त तक बन ....

श्री मूलचन्द : सात कमरों की ही बात थोड़ी है पूरे कालेज के भवन की बात है।

श्री जुझार सिंह : मैंने तो सात कमरे कुल बनने की बात कही है। वो इस सत्र के अन्त तक बन जायेंगे । आगे कालेज के पूरे भवन के बारे में तो धनराशि उपलब्ध होने पर ही बन सकेंगे ।

श्री **मूलचन्द** : अभी आपने जो जांच करवाने की बात कही है वो तो मेरे ख्याल से चार पांच साल तक पूरी होगी । वैसे दौसा तो 32 मील ही दूर है आप खुद जा सकते हैं । या चाहे तो टेलीफ़ोन कर सकते हैं आप जाकर देखलें कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। आज वहां पर सही स्थिति तो यह है कि हाई स्कूल और कालेज के लड़कों के बैठने की सुविधा नहीं । वो सभी एक साथ ही बैठते हैं। कुछ विद्यार्थी तो वृक्षों के नीचे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को बहुत ही तकलीफ़ है।—कम से कम ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिये कि विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर अच्छी तरह से बैठ सकें ।

कम से कम ऐसा आश्वासन तो राज्य सरकार को देना चाहिये कि इतने दिन से पूरा हो जायेगा ।

श्री **अध्यक्ष** : नो स्पीच ! भाषण नहीं होगा ।

श्री **जुझार सिंह** : यह सही बात है अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर विद्यार्थियों को कठिनाई है। कालेज और हाई स्कूल दोनों के विद्यार्थी हैं वो एक ही जगह पढ़ते हैं। दोनों की क्लासेज एक ही एरिया में लगती हैं । राज्य सरकार इसको महसूस करती है और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसे यथाशीघ्र कोशिश करके पूरा करायेगी ।

श्री मीठालाल : कितने साल में पूरा हो जायेगा । कब से यह कालेज का भवन बन रहा है। ये कोशिश और जो भी बात कही जाती है इस सदन में इसका मतलब है राज्य सरकार इस प्रश्न को टालना चाहती है। मैं तो कहता हूं कि यह कब काम पूरा होगा । इसके लिये आप कोई समिति गठित करें जो यह रिपोर्ट दे कि हो जायेगा ।

श्री **जुझार सिंह** : मैंने निवेदन कर दिया है कि सात कमरे इस सत्र के अन्त तक राज्य सरकार पूरा कराने की कोशिश करेगी।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : प्रश्न तो कालेज के भवन बनाने का है। और कालेज के भवन आदि बनाने के लिये राज्य सरकार ने कोई कमेटी बना रखी है क्या ? इसके लिये ऐसी कोई कमेटी है जो फन्ड्स वगैरह सैन्क्शन करती हो या ऐसी कोई ...

श्री **अध्यक्ष** : ये अलग सवाल है। आप चाहे तो अलग से पूछ सकते हैं ।

श्री **केदारनाथ** : अलग सवाल नहीं है पोलिसी मेटर है।

Page No 7

श्री अध्यक्ष : अलग सवाल है। प्रश्न संख्या 20। श्री चिमन सिंह भाटी।

श्री चिम्मन सिंह : प्रश्न संख्या 20।

चारागाह की भूमि

श्री चिम्मन सिंह (भीम) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर ज़िले की जवाजा पंचायत समिति के कई चारागाह वनों की सीमा में ले लिये गये हैं?

(2) क्या यह सच है कि पंचायत समिति पिछले 10 वर्षों से उन चारागाहों को मुक्त कराने के लिये राज्य सरकार से आवेदन कर रही है?

(3) क्या इस प्रकार वही भू-खण्ड वनों में और वही भू-खण्ड चारागाह में रखना न्याय संगत है?

(4) राज्य सरकार इस प्रकार के मामलों में क्या क़दम उठा रही है?

वन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं।

(2) वन सीमा में पंचायत के चारागाह नहीं लिये गये हैं।

(3) जी नहीं, चारागाह राजस्थान टेनेन्सी रूल्स, 1955 के अन्तर्गत ईयर मार्क की जाती है, एवं वन खण्ड राजस्थान वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित किये जाते है।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता यद्यपि हर मामले में उनके गुण व अवगुण पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लिया जाता है?

श्री चिम्मन सिंह भाटी : ये बिलकुल सत्य है कि वो भू-खण्ड वनों में है और वो ही भूखण्ड चारागाहों में है। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब सही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जवाब बिलकुल सही है।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि जो चारागाह है उन्हें वन विभाग के रिजर्व फोरेस्ट में नहीं लिया जाये। और अगर है तो क्या इस प्रकार के आदेशों की पालना इसमें नहीं की गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के जो आदेश हैं उनकी हमेशा पालन की जाती है। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिये बतादूं कि पहले एक कमेटी राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी थी उसमें एग्रीकल्चरल लैण्ड जो कि वन भूमि के पास है और जिस पर काश्त हो सकती थी उसके बारे में कुछ सिफारिशें की थी। लेकिन आपका प्रश्न दूसरा है। अजमेर जिले में आपके यहां 5 जो रिजर्व फोरेस्ट है वे अजमेर म जो 1955 के अन्दर इस बारे में एक्ट था उसी के अनुसार ही वन भू-खण्ड बनाये गये हैं और कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। जहां तक फ़ोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का सवाल है, माननीय सदस्य जब जवाजा पंचायत समिति के प्रधान थे तब भी आपने यह चारागाहों के बारे में मसला उठाया था कि उन वन-भू-खण्डों को चारागाह डिक्लेयर करके उन्हें

(श्री परसराम मदेरणा)
पंचायत समितियों के अन्तर्गत दे दिया जाय। पर यह तो जो भी वन-भूखण्ड डिक्लेयर किये गये थे वे सभी जिलाधीश अजमेर द्वारा किये गये हैं। जिलाधीश तय करता है कि यह जमीन वन भूखण्ड के अन्तर्गत आयेगी और उसके लिये तहसीलों में परचे तैयार होते हैं और वो बाद में हमारे फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के आफिसरों के पास जाते हैं कि एरिया रिजर्वड् फारेस्ट है। और दूसरे जो भी एरिया होते हैं जो कि नियमानुसार कलेक्टर के द्वारा चारागाह डिक्लेयर किये जाते हैं। इसके लिये जो सेटलमेन्ट हुआ था····

श्री चिम्मनसिंह भाटी : अजमेर राज्य में जो सेटलमेन्ट हुआ था उसके बारे में आप कह रहे हैं पर मेरा निवेदन यह है कि जवाजा तहसील की 9 पंचायत समितियां हैं और आज उसके अन्दर एक भी चारागाह नहीं है। जो भी जंगल है वह वन भूखण्ड है आज उसके अन्दर एक भी चारागाह नहीं है। जो भी जंगल है वह वन भूखण्ड डिक्लेयर किये हुए हैं तो वहां की मवेशी कहां जाकर चरेगी। राज्य सरकार को बार बार अनुरोध किया जाता है पर कोई सुनवाई नहीं होती।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चारागाह के लिये भूमि जो अलाट होती है वह कलेक्टर द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के रूल्स के अन्तर्गत की जाती है और रिजर्व फोरेस्ट है वे राजस्थान फारेस्ट एक्ट के अन्तर्गत डिक्लेयर किये जाते हैं। ये दोनों ही कानून अलग अलग है। यह माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये। पहले भी आपने 21-12-71 को अजमेर में जिला परिषद् की बैठक में आपने यह चारागाह वाला मामला उठाया था उस वक्त मैं भी उस मीटिंग में हाजिर था। इस लिये जो भी हुआ है व सभी कानून के अन्तर्गत हुआ है। और जब भी वहां के जिलाधीश ने आदेश दिये हैं उसी के अनुसार हुए हैं। जो जमीन आप कह रहे हैं कि चारागाह की है वह बात नहीं है क्योंकि यह मेरे पास जो जानकारी है वह वन विभाग के रेन्जर या डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट आफिसर को जो मिली थी कि ये वन भूखण्ड है जो रिजर्व फोरेस्ट है। उसी के अनुसार मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जो सेटलमेन्ट हुआ उसके अनुसार मण्डल अधिकारी के पास जो तहसीलों से परचे बन कर गये उसी के अनुसार वन भूखण्ड माने गये हैं। तो यह तो राज्य सरकार के पास जो सेटिलमेन्ट वहां हुआ था उसी के अनुसार जानकारी है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : प्रश्न तो मेरा यह है, मन्त्री महोदय, कि आज पिछले दस सालों से इन 9 पंचायत समितियों के पास कोई चारागाह नहीं है और जो चारागाह थे वे कलेक्टर साहब ने चारागाहों को वन भूखण्ड डिक्लेयर कर दिया है उसके लिये 9 पंचायत समितियां लगातार राज्य सरकार से मवेशियों के चरने के लिये उन चारागाहों को वन विभाग से मुक्त कराने के बारे में निवेदन कर रही हैं ताकि वहां की मवेशी उन चारागाहों में चर सके। आज स्थिति ऐसी है कि उन गांवों की मवेशियों को चरने की कोई जगह नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति है अध्यक्ष महोदय, तो फिर आप ही बताईये कि वो मवेशी फिर कहां चरें·······

Page No 9

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास वन विभाग की तरफ से ऐसी जानकारी है कि मवेशी इन वन भूखण्डों में चरती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री निरन्जननाथ आचार्य।

साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों की संख्या

21. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विभिन्न साप्ताहिक एवं दैनिक समाचार पत्रों की वितरण संख्या क्या है?

(2) उक्त समाचार पत्रों की वितरण संख्या क्या वास्तव में ठीक है? अथवा केवल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही उसे सही मान लिया गया है?

(3) क्या उक्त नीति ने कागज (न्यूज प्रिन्ट) का संकट उत्पन्न नहीं कर दिया है?

(4) क्या राज्य सरकार ने उक्त समाचार पत्रों के प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त भी वितरण संख्या की जांच करने का कभी प्रयत्न किया है?

(5) क्या ऐसी कोई व्यवस्था निर्धारित की है कि जिससे लगातार राज्य सरकार के स्तर पर जांच होती रहे?

राज्य मंत्री जन सम्पर्क (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) उपलब्ध जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में भारत सरकार के वितरण को सही माना जा रहा है।

(3) राज्य सरकार के समक्ष ऐसी कोई समस्या की जानकारी नहीं मिली है।

(4) जी नहीं।

(5) राजस्थान विज्ञापन नियमों के नियम 12 के अन्तर्गत निदेशक को जांच करने के अधिकार प्रदान किये हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या निदेशक ने आज तक कोई जांच की है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका जवाब इस प्रश्न के उत्तर के भाग चार में दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री गोपाल जोशी।

बीकानेर में ड्रेनेज की व्यवस्था

22. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में गन्दे पानी के निकास हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था न होने से शहर में गन्दा पानी सड़ता रहता है, जिससे जन स्वास्थ्य पर अत्यन्त विपरीत असर हो रहा है?

(श्री गोपाल जोशी)

(3) यदि हां, तो इसकी तत्कालिक व्यवस्था के लिये सरकार क्या कर रही है?

(4) क्या सरकार बीकानेर में अण्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज व्यवस्था शीघ्र करने जा रही है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा बीकानेर शहर के कुछ हिस्सों तथा गिनानी सूरसागर रथखाना क्षेत्र के लिये एक योजना का कार्य जारी है, जिसके पूरा होने पर इन क्षेत्रों में गन्दा पानी एवं बारिश में पानी इकट्ठा होने से उत्पन्न कठिनाइयां दूर हो जावेंगी। यह योजना अगले वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेगी।

(4) अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज के लिये एक योजना बनाई जा चुकी है जिसकी अनुमानित लागत 136 लाख रुपये है। धनाभाव के कारण योजना की स्वीकृति एवं इसके ऊपर अन्य कार्यवाही करना सम्भव नहीं है?

श्री गोपाल जोशी: कुल कितना नला बन चुका है कितने फुट लम्बा और कितने चौडा और अब बाकी कितना बचा हुआ है?

श्री चन्दनमल बैद : 24 लाख 60 हजार का खर्चा हो चुका है। कितने फुट लम्बा और कितने फुट चौडा यह जानकारी देने में असमर्थ हूं।

श्री गोपाल जोशी: बीकानेर में इतना लम्बा चौडा बाग खुला और खाली पड़ा रहता है। काफी फूल तरह तरह की सुगन्ध के उसमें हैं पर पास ही यह गन्दी झील भी है। अब नैनीताल में भी लोग घूमने जाते हैं झील देखकर और वहां उनको सुगन्ध मिलती है, पर यहां तो दुर्गन्ध ही दुर्गन्ध मिलती है चारों तरफ। यहां इन फूलों की सुगन्ध लेने के लिये साहस करने पर भी कोई व्यक्ति एक पल भी खडा नहीं रह सकता।

फिर यह भी कहा गया था पहले भी कि इसको कवर करने का काम चल रहा है। पर यह कब समाप्त होगा, यह कोई बताने को तैयार नहीं, क्या सरकार यह कह सकती है यह कवर करने का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री चन्दनमल बैद: मैंने निवेदन किया न कि अगले वर्ष के अन्त तक। अब जब तक यह काम पूरा न हो जाय, तब तक टेम्परेरीली तो थोड़ी तकलीफ उठानी ही पड़ती।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): दस साल पहले भी यह प्रश्न पूछा गया था। एक जगह का पानी निकाल कर दूसरी जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। पिछली बार भी आश्वासन दिया गया था कि 31 मार्च 70 तक यह काम पूरा कर दिया जावेगा। पर कुछ नहीं किया गया। एक मोहल्ले से एक जगह से निकाल कर दूसर मोहल्ले में और दूसरी जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। अब गरमी की ऋतु आ रही है आस पास के लोगों का जीना दूभर हो जावेगा बदबू के मारे। लोगों के मकानों की नीवों तक में पानी भर गया है, उनके बैठने का खतरा पैदा हो गया है।

(श्रीमती कान्ता खथूरिया)

ऐसी सूरत में मैं यह स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी कि सरकार स्पेसिफिकली जवाब दे कि फलां तारीख तक इस काम को पूरा कर दिया जावेगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि अगले वर्ष के अन्त तक इसका काम पूरा हो जावेगा। फिर भी इससे सारे बीकानेर नगर की गन्दगी दूर नहीं होगी। इस गन्दगी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिये अलग से स्कीम होगी। जिसके लिये अनुमानत : है। 1 करोड़ 36 लाख रुपया खर्च होने को फिलहाल वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस स्कीम को हाथ में लेने में असमर्थ हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह इस नाले को ऊपर से कवर करने की योजना है?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री गोपाल जोशी : सूर सागर में यह पानी इकट्ठा होता है तो क्या सारे सूर सागर को ढकने की योजना है?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : पर यह गन्दा पानी जो नाले के द्वारा ले जाया जावेगा, वह तो ढका जावेगा?

श्री चन्दनमल बैद : इस बारे में इस समय पूरे तौर से नहीं बता सकता।

लोहिया कॉलेज, चूरू

23. श्री **मोहरसिंह** (चूरू) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि लोहिया कालेज चूरू स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने के लिये सब तरह से उपयुक्त है? यदि हां, तो अब तक यहां स्नातकोत्तर कक्षाएं न खोलने का क्या कारण है? अब ये कक्षाएं कब तक चालू कर दी जावेंगी?

(2) क्या यह सही है कि लोहिया कालेज, चूरू से छोटे कालेजों को क्रमोन्नत कर दिया गया है?

राज्य-मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। सरकार समय समय पर स्थानीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर किसी महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर प्रदान करती है। अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इस पर भी यथा समय विचार कर लिया जावेगा।

(क) यह सही है।

श्री मोहरसिंह : जब यह सही है तो इसके लिये व्यवस्था न होने का क्या कारण है?

श्री जुझारसिंह : अर्थाभाव के कारण।

श्री मोहरसिंह : जब दूसरी जगह छोटी बताई, बिल्डिंग नहीं, लड़के नहीं, छात्रावास आदि भी नहीं, फिर भी क्रमोन्नत कर दिये गये तो यहां यह भेदभाव क्यों?

श्री जुझारसिंह : जब दूसरे हो गये इसकी शिकायत तो नहीं होनी चाहिए।

श्री मोहरसिंह : इसकी शिकायत हमें कतई नहीं है, शिकायत यह है कि इसे क्यों

(श्री जुझारसिंह)
नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो अब क्या कठिनाई है जब कि आप इसे उपयुक्त मानते हैं। इस सत्र में इसे कर दीजिये।

श्री **जुझारसिंह**: वित्तीय प्रावधान होते ही इसे कर दिया जावेगा इस साल तो इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है।

श्री **रावतराम** (छापर): वित्तीय साधन तो उपलब्ध हैं, आप तो यह निश्चित बताइये कि चालू वर्ष में इसे अपग्रेड करेंगे या नहीं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): अपग्रेड करने का तुरन्त तो प्रश्न सोचा नहीं जा सकता। पहले जो क्रमोन्नत किये गये हैं उनको सुदृढ बनाना है।

श्री **रावतराम**: इस कालेज का प्रश्न हर बार सदन में आता है, सरकार हर बार इसे टालती रहती है।

श्री **मोहरसिंह**: इसको अपग्रेड करने में कितना खर्चा लगेगा ?

श्री **नाराय सिंह मसूदा**: एक लाख पांच हजार रुपया खर्च होता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): आपका अपग्रेड करने का फार्मूला क्या है ?

श्री **नारायणसिंह** : ऐसा कोई कनवेन्शन तो नहीं तय किया गया है। यह आवश्यक भी समझा जा रहा है कि इसके लिये कुछ हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स बनाये जावें पर इसके अन्दर आगे चलकर चिन्ता यह पैदा हो जाती है जब डेमोक्रेटिक प्रभाव इधर से उधर आने लगते हैं।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): डैमोक्रेटिक प्रभाव की आपकी व्याख्या क्या है ?

श्री **मोहरसिंह** : अभी तो फाइनेन्स मिनिस्टर भी आपके पास ही बैठे हैं।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर): डैमोक्रेटिक प्रभाव का माप दण्ड क्या है ?

श्री **नारायणसिंह** : यह तो परम्परा से ही ही होता है।

श्री **अध्यक्ष** : जनता ही है।

श्री **रावतराम**: अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री **नारायणसिंह** : जब वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे तब इस कालेज को भी अवसर मिलेगा।

श्री **मूलचन्द सांमरिया** (दौसा) : यह बड़े शर्म की बात है कि इस शिक्षा के मामले में भी डैमोक्रेटिक प्रभाव से काम होता है। यह जनता के साथ खिलवाड़ है।

श्री **मोहरसिंह** : इतने सदस्य मांग कर रहे हैं, क्या यह डैमोक्रेटिक प्रभाव नहीं है ?

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : लोहिया नाम तो आपको नहीं डरा रहा है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला।

भू-खण्डों के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

24. श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(1) जयपुर नगर विकास न्यास ने अब तक शहर में कितनी बस्तियां बसाई तथा क्या उन्हें पूर्ण कर जयपुर नगर परिषद् को सौंप दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) जयपुर नगर विकास न्यास के पास कितने भू-खण्डों के लिये प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं तथा उन प्रार्थना-पत्रों को निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 17 सितम्बर, 1971 को मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि 21 अगस्त, 1971 तक जिन लोगों का कच्ची बस्तियों में जिन स्थानों पर कब्जा है, उन्हें माना जायगा तथा यथा सम्भव उन्हें यहां ही रहने के लिये भूमि दी जायगी? यदि हां, तो इस बस्तियों को नियमित रूप से कब तक बसा दिया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि मुख्य मन्त्रीजी ने 17 सितम्बर, 71 को घोषणा की थी कि समस्त कच्ची बस्तियों में 31 दिसम्बर, 71 तक पानी एवं बिजली की समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी? क्या यह व्यवस्था कर दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अब तक 19 आवासीय योजनाएं राज्य सरकार की स्वीकृति से बना कर बसाई जा चुकी हैं तथा न्यास क्षेत्र में 17 कच्ची बस्तियों के निवासियों को उसी क्षेत्र में बसाने की योजना बना कर भू-खण्ड आवन्टन किये गये हैं। ये समस्त योजनाएं नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित की जा रही हैं।

(2) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्ड आवन्टन किये जाने हेतु प्राथमिकता प्रणाली को समाप्त कर दिनांक 10-12-71 से लाटरी प्रणाली लागू की गई है। जिसके आधार पर अब कोई पुराने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं रहे हैं।

(3) जी हां। कच्ची बस्ती वासियों के पुनर्वास के प्रति योजना व नियम बनाये जा रहे हैं?

(4) माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में 31-12-71 तक पानी एवं बिजली की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। पानी एवं बिजली की अधिकांश कच्ची बस्तियों में व्यवस्था कर दी गई है। न्यास क्षेत्र की 12 ऐसी कच्ची बस्तियां हैं जहां पर पानी की सुविधा फासला होने, ऊंचाई होने व रेल्वे लाइन बीच में आ जाने के कारण तथा अन्य तकनीकी बाधाओं के कारण नहीं दी जा सकी है। नगर परिषद् जयपुर के क्षेत्र की नौ कच्ची बस्तियों में पानी की व्यवस्था करने के लिये जलदाय विभाग को लिखा हुआ है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय को यह क्या मालूम है क्या, कितनी कच्ची बस्तियां यहां पर हैं और किन किन बस्तियों में पानी की सुविधा उपलब्ध है।

श्री परसराम मदेरणा: मंत्री महोदय को यह मालूम है न्यास के क्षेत्र में और नगर परिषद् के क्षेत्र में 109 कच्ची बस्तियां हैं।

Page No 14

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं कहता हूं इससे ज्यादा है। करीब 250 कच्ची बस्तियां हैं और यू. आई. टी. का काम यह रहा है कि मकानों को तुड़वाते रहे हैं कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। आप बता सकते हैं कि क्या ये फीगर सही हैं क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा तो मूल प्रश्न है यू.आई.टी. ने शहर में कितनी कच्ची बस्तियां बसाई हैं और कितनी बस्तियों का पूर्ण विकास करके नगर परिषद् को सौंप दिया है और नहीं सौंपा है तो क्यों नहीं। यू. आई. टी. के एक्ट के अन्तर्गत बस्तियों को डेवलेप करके नगर परिषद् को सौंप दिया जाना चाहिए, माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय यू. आई. टी. नई बस्तियों का कम्पलीट डेवलपमेंट करके उसके बाद यू.आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत धारा 50 के संदर्भ में उन गलियों को म्यूनिसिपैलिटी को दिया जा सकता है जिसमें सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं और सुविधाओं के सम्बन्ध में म्युनिसिपैलिटी सेटिसफाइड हो वे सब सुविधायें उपलब्ध हों और वह यह कहे कि हम लेना चाहते हैं इस सम्बन्ध की कार्यवाही किसी भी योजना में नहीं की गई है और न ऐसा कोई प्रस्ताव ट्रस्ट के विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय 109 कच्ची बस्तियां जब ट्रस्ट ने बसाई हैं तो क्या आप बता सकते हैं यू. आई. टी. ने एक भी बस्ती में पूर्ण डेवलपमेंट नहीं किया और यू. आई. टी. इस सम्बन्ध में निकम्मी रही।

श्री परसराम मदेरणा : निकम्मी रही या नहीं रही, यह तो मैं नहीं कह सकता। यह बात तो आप बाद में जब ट्रस्ट का बिल आये तब अपने विचार रख दें क्योंकि ट्रस्ट की धाराओं में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है––एक ट्रान्सफर करने का प्रोविजन है और उन गलियों में जिनमें सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं, उसको पहले सेटिसफाइड करना होता है––म्युनिसिपैलिटी को और म्युनिसिपैलिटी के सेटिसफाई होने के बाद ट्रान्सफर की जाती है। अब वे सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं हैं, म्युनिसिपैलिटी उनको लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है–यह प्रश्न म्युनिसिपैलिटी और ट्रस्ट के बीच का है। मैं आफ हैन्ड कुछ भी नहीं कह सकता हूं। एक लोकल बाडी के रूप में संस्था है। कोई प्रस्ताव आयेगा तो विचार करेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, भूमि आवंटन करने के बाद और पूरी बस्ती बसाने के बाद पानी और बिजली की सुविधा देने के बाद ...

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं इस प्रश्न के सन्दर्भ में केवल इतना सा पूछना चाहूंगी कि प्रश्न के कालम 3 और 4 में कहा गया है और मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि पानी और बिजली की सुविधा प्रदान करा दी जायगी तो क्या यह घोषणा केवल जयपुर शहर के लिये है और दूसरे शहरों के लिये नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : केवल जयपुर शहर के लिये।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : केवल जयपुर के लिये ही क्यों, यह मंत्रीजी की घोषणा समस्त विकास न्यास के शहरों के लिये होनी चाहिये मुख्य मंत्रीजी की घोषणा सारे राजस्थान के लिये होनी चाहिये ।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक एक शहर को लेकर कह रहा हूं । जयपुर शहर के अन्दर ज्यादा गन्दगी है इसलिये मैंने पहले जयपुर को लिया है फिर बीकानेर, जोधपुर उदयपुर, कोटा सभी शहरों को लिया जायगा एक साथ टेकिल सभी जगह को किया तो मुश्किल हो जायगी । मैं जयपुर से शुरू कर रहा हूं फिर दूसरे शहरों को लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिन 19 वस्तियों को तथा 17 कच्ची बस्तियों को बसाया गया है पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि ये वस्तियां कब बसाई गई और दूसरे सदन की मेज पर एक लिस्ट भी रख दी जाये ।

श्री परसराम मदेरणा : 19 वस्तियां जो बसाई हैं वे सब रेगुलर स्कीम के अन्तर्गत हैं और 17 कच्ची वस्तियां वे हैं जिनमें अभी भू–खण्ड आवंटन किये गये हैं । यह सूची सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, नियम तो सब जगह एक से होने चाहिये । कोटा शहर में तो गन्दगी की ज्यादा प्राब्लम है ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं खुद आखों से देखूंगा और फिर फैसला करूंगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिन 17 कच्ची वस्तियों की बात है कि वहां पर लोगों को वसा दिया गया है पहले तो यह गलत है और दूसरे जिन 19 वस्तियों का जिक्र किया है क्या उनमें नगर विकास न्यास ने पूर्ण विकास करके पानी का बिजली का सड़कों का विकास करके नगर परिषद् को सौंपा है ? दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि जैसा कि आपने कहा नगर परिषद् डिमान्ड करे, मैं समझता हूं, नियमों में प्रावधान ऐसा नहीं है। यह तो यू.आई. टी. की जिम्मेदारी है । जैसे ही विकास हो चुका हो नगर विकास न्यास यह कहे कि आप इसको ले लें, इसका स्पष्टीकरण करें। तीसरा मेरा निवेदन यह है कि लाटरी प्रणाली के बारे में जो कहा है क्या नगर विकास न्यास लाटरी के द्वारा प्लाटस आवंटन कर रही है या प्राथमिकता के आधार पर हो आवंटन हो रहा है या फिर अपनी मनमानी तौर पर आवंटन कर रही है ? मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करें कि जो अगस्त, 1971 में माननीय मुख्य मंत्रीजो ने घोषणा की थी वह केवल घोषणा ही रह गई है या उसके कोई रूल्स भी बने हैं और रूल्स नहीं बने हैं तो उसके क्या कारण हैं ? नगर परिषद्, नगर विकास न्यास और तहसीलों द्वारा आज भी जो 21 अगस्त के पूर्व के बने हुये मकान हैं उनको तोड़ा जा रहा है। रोज कोर्ट में चालान किये जा रहे हैं । इसी तरह महोदय यह भी बतायेंगे···

श्री परसराम मदेरणा : यह तो भाषण कर रहे हैं । भाषण मत दीजिये । प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is a bunch of questions.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने 5 सप्लीमेन्टरी पूछे हैं। अभी कच्ची बस्तियों में लोगों को बसाने के लिये योजना बद्ध तरीके के भू-खण्डों का आवंटन किया जायगा और यह बात प्रोग्रेस में है—एक बात। दूसरी बात····

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : नहीं किया गया है····

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात लाटरी के सम्बन्ध में कही गई जैसी ट्रस्ट ने मुझे जानकारी दी है लाटरी के जरिये आवंटन कर रहे हैं। अब तक आवंटन किये हैं या नहीं किये हैं, यह जानकारी नहीं है लेकिन लाटरी प्रणाली लागू होने के बाद आवंटन की कार्यवाही की जायगी। तीसरी बात मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है 21 अगस्त तक जिन लोगों ने अपने मकान बना लिये हैं, उनको नहीं तोड़े जायेंगे। इसमें मेरा निवेदन यह है प्लिन्थ लेविल तक जिन लोगों ने 21 अगस्त तक निर्माण करा लिया है उनके मकान नहीं तोड़े जायेंगे जो इसके बाद के हैं उन पर ही तोड़ने की कार्यवाही को जायगी। चौथी बात मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं जो कच्ची बस्तियों का प्रश्न है वह केवल कच्ची बस्तियों का ही प्रश्न नहीं है जयपुर शहर के अन्दर लोगों ने अन-आथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन किये हैं उसके सम्बन्ध में भी यह निर्णय लिया है। अब प्लाट्स के बारे में जो प्रश्न है जिन लोगों ने प्लिन्थ लेवल तक कन्सट्रक्शन करा लिया है जैसे रिहेबिलिटेशन की जगह आदर्श नगर में है वहां भी जो जयपुर हाउसिंग सोसायटी है मकानों के प्लिन्थ लेवल तक अन-आथोराइज्ड कान्स्ट्रक्शन करा लिये हैं। घोषणा का फायदा उठाने के लिये लोग रात को कार्यवाही करते हैं और कानून को इस तरह हाथ में लेते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी। जहां तक रूल्स का प्रश्न है, रूल्स बन रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो 21 अगस्त के पहले के मकान बने हुये हैं और जिनको तोड़ दिया गया है जिनके अदालतों में करीब 5 हजार के चालान पड़े हुये हैं क्या उनको विथ-ड्रा करवायेंगे? मंत्री महोदय यह जानकारी दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है, अध्यक्षजी। प्रश्न काल में जितनी जानकारी एक प्रश्न के बारे में होनी चाहिये और एक प्रश्न के जितने भाग हैं उस सम्बन्ध में जो जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है उसी जानकारी को लेकर आया हूं, अगर आप और ज्यादा पूछना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न के रूप में और पूछ लें।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, एक आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहती हूं कि····

श्री अध्यक्ष : जानकारी देना चाहती हैं या लेना चाहती हैं?

श्रीमती नगेन्द्र बाला : जब से यह यू. आई. टी. बनी है तब से····

श्री अध्यक्ष : नगर विकास न्यास का बिल आयेगा तब बोल लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कच्ची बस्तियों को बसाने की जो बात है उसमें, अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय को निवेदन है कि 1957 के बाद·····

श्री परसराम मदेरणा : भाषण नहीं, ····।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं उनको नोटिसेस दिये जा रहे हैं और परेशान किया जा रहा है और यू. आई. टी. के पास एप्रोच करें तो कहते हैं हम प्लाट नहीं देंगे। नगर परिषद् नहीं दे रही है, लोगों के चालान हो रहे हैं इसलिए क्या आप व्यवस्था करेंगे कि जिन लोगों के 21 अगस्त, 1971 से पहले मकान बने हुए हैं उनके आप चालान वापिस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लोगों को परेशान किया जा रहा है और चालान किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे नोटिसेज को क्या राज्य सरकार वापिस लेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार जिनके मकान 21 अगस्त, 1971 से पहले पूरे बने ही नहीं बल्कि प्लिन्थ लेवल पर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी। माननीय सदस्य यदि जानकारी देंगे और ऐसा हुआ होगा तो सारे केसेज को विथड्रा किया जायेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 21 अगस्त, 71 से पहले के मकानों को भी तोड़ा जा रहा है, उनको नोटिसेस दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब मन्त्री महोदय दे चुके हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): अध्यक्ष महोदय एक सवाल है····

श्री अध्यक्ष : वह बिल के समय पूछ लें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीकानेर···

श्री गुमानमल लोढ़ा : मन्त्री महोदय···

श्री अध्यक्ष : मैं अब अलाऊ नहीं करूंगा। आप बैठें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समझता हूं कि मेरा प्रश्न है कि 16 बस्तियों के लिये कहा गया कि बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है और मेरा कहना है कि वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए मेरी माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि जहां व्यवस्था नहीं की गई है वहां पर शीघ्र ही व्यवस्था करा दी जावे।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है और यह इससे संबंध रखता है। बीकानेर में मकान टूट रहे हैं

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

और लोगों को परेशानी हो रही है। उनकी कच्ची झोंपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अलग से प्रश्न है। इस प्रश्न का बीकानेर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

(प्रश्न संख्या 25)

श्री शंकरसिंह रावत ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल ।

जावर माइन्स के अन्तर्गत कारखाने लगाने की योजना

26. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उदयपुर जिले में जावर माइन्स के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कोई उद्योग तथा कारखाना लगाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि जावर माइन्स से निकाली गई धातु से गोले आदि कई चीजें वहीं तैयार की जा सकती हैं ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री देवीलाल : सर्वे हुई उसकी जानकारी नहीं है राज्य सरकार के पास ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने जो प्रश्न पूछा है कि 'धातु से गोले आदि चीजें बनाने की कोई सर्वेक्षण हुई है क्या' तो मैंने कहा है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो आप जानकर लें। अब प्रयत्न किया जाये जानकारी लेने का ?

श्री देवीलाल : क्या वहां ऐसी धातु निकलती है जिससे और उद्योग भी लगाये जा सकते हैं या और कोई कारखाने खोले जा सकते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे जिले का सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें क्या प्रास्पेक्टिंग प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं उनके सब का जिक्र है लेकिन गोले बनाने वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है और न ऐसी जानकारी राज्य सरकार को है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि जावर माइन्स से जो धातु निकलती है) उससे कोई दूसरे कारखाने लगाये जा सकते हैं या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार ने जांच करवाई है, इसकी भी करवाई है और पूरे जिले की भी करवाई है।

श्री रोशनलाल शर्मा : जावर माइन्स से जो धातु निकलती है उस धातु के द्वारा कोई कारखाना लगाया जा सकता है या नहीं इसकी जांच हुई है या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जावर माइन्स गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का प्रोजेक्ट है लेकिन उसकी जो सर्वे अपने कारपोरेशन के मार्फत करवाई है उसमें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि इस मेटेरियल से कोई गोले बनाये जा सकते हैं।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : गोले बनाने की बात नहीं है। बाई-प्राडक्ट्स से कारखाने लगाये जा सकते हैं या नहीं ? उनका विकास किया जा सकता है या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जो राज्य सरकार ने सर्वेक्षण करवाया है उसके अन्तर्गत ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि इसके आधार पर कोई अन्य चीज तैयार की जा सकती है।

श्री रोशनलाल शर्मा : अब राज्य सरकार जांच करवाने के लिए तैयार है क्या कि इस धातु का कोई उपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अभी तक जांच नहीं करवाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अब भी जांच करवाये। उस क्षेत्र में काफी बेरोजगारी है और आदिवासी भूखों मर रहे हैं। इसके सिवाय कोई धंधा नहीं है इसलिए राज्य सरकार इसकी जांच करवाए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य की तरफ से कोई सुझाव होगा तो जरूर उसके ऊपर जांच करवा ली जायेगी और हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक यह है कि अभी तक जो रिपोर्ट दी है उसमें सिन्थेटिक और एल्यूमीनियम क्लोराइड का सजेशन दिया है और एक ओटोमोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब्स का सजेशन दिया है, तो जावर माइन्स की बाई-प्राडक्टस को लेंगे या नहीं यह अभी तक मालूम नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर्वे है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या प्राडक्ट्स लिये जा सकते हैं उसकी रिपोर्ट है।

श्री देवीलाल : क्या जावर माइन्स की जांच करवाई जायेगी कि उससे और भी उद्योग लगा सकते हैं या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : Ancilliary industries, cotton based products, Synthetics Cloride Aluminium Cloride Automobile tyre and tubes.

श्री मनोहर कोठारी : यह कब तक शुरू हो सकेगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सर्वे हो रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद इसको टेक-ओवर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी !

27. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :** क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) जिला नागौर की तहसील जायल में पीने का खारा पानी जिन जिन गांवों में है या पीने का पानी नहीं है, क्या ऐसे गांवों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध कराने की कोई जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे किया गया है, यदि हां, तो किन किन गांवों के लिये एवं पानी कहां से दिया जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील जायल के ग्राम आकोड़ा, नीम्बोड़ा, डालनियाउ, सुरपालिया, मुंदियाऊ, खावड़ियाणा, चुवाद, तंवरा, रोट्ठ, खारी, छापड़ा घानणी, घाटियाद, राजोद, बोड़िन्द कलां, बोड़िन्द खुर्द, भालालड़, कुसिया, सुवादिया सीनेली, बुरड़ी नोसरिया, गदरिया, कमेयिडा खेराट, खेड़ा हीरावास, कणिया, टांगला, छावटा खुर्द, टांगली, छावटा कलां, गेलोली, बरसुणा, मुंडी, ज्याणी, छाजोली, मावला व माजरा खानपुर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और है, तो खारा है, यदि हां, तो पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या क्या योजनायें हैं ? किन किन गांवों को किन जल प्रदाय योजनाओं के साथ लिंक करने की योजना है ? ऐसी योजनाओं के पूरे विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन ग्रामों के वाटर सेम्पल परीक्षण हेतु भेजे गये हैं। इनमें से कुछ ग्रामों की रिपोर्ट आ चुकी हैं उनके अनुसार निम्न ग्रामों का पानी पेय योग्य है:—

मुदियाऊ, खावड़ियाणा, तंवरा, राजोद, ज्याणी, बाकी के ग्रामों की वाटर सेम्पल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सभी ग्रामों की वाटर सेम्पल रिपोर्ट प्राप्त होने तथा पानी के स्रोतों की क्षमता का सही अनुमान लगाये जाने के बाद ही जल प्रदाय योजनायें बनाये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी : जायल तहसील के दूसरे गांवों की सर्वे है क्या इन गावों के अलावा ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं कि तीन योजनायें जो बनाई गई हैं जिनकी सारी बातें मैं बता चुका हूं उसके अलावा दूसरे गांवों के पानी को टैस्ट किया जा रहा है और यह कैसा पानी है, अण्डर ग्राउन्ड में कितना पानी है सारे सर्वेक्षण के बाद ही योजना बनाई जायेगी।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैंने पूछा था कि खारे पानी के गावों में कहां कहां का सर्वे हो चुका है ? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इनके अलावा भी 8 और ऐसी जगह हैं कि जिनका सर्वे कम्पलीट हो चुका है।

श्री चन्दनमल बैद : मै अर्ज कर चुका हूं कि उनका पानी टैस्टिंग के लिए गया

Page No 21

(श्री चन्दनमल बैद)
हुआ है रिपोर्ट के बाद ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : वह तो आप प्रश्न के भाग 2 का जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तीन के अलावा 8 ऐसे स्थान हैं कि जिनका सर्वे हो चुका है क्या आपकी जानकारी में है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि तीन स्कीमें बन चुकी हैं और बाकी गावों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद स्कीम बनाई जायेगी, मैं नहीं समझता कि आप और क्या चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : और नहीं, आपको चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मै हाजिर हूं।

श्री रामसिंह कुड़ी : जायल तहसील के जो गांव हैं इनमें खारा पानी है उनमें पेय जल उपलब्ध कराने के लिए कितनी योजनाओं का सर्वे हुआ है और आप तीन ही बता रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 8 और ऐसी योजनायें हैं जिनका सर्वे हो चुका है उनकी प्रगति क्या है ?

श्री अध्यक्ष : तीन की योजनायें बन गयी हैं यह बताया है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दिगोद) : राज्य सरकार की प्रदेश स्तर पर पेयजल की क्या योजना है ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रदेश स्तर पर सवाल पूछे उसका जवाब दिया जायेगा।

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय चूरू, नागौर, झूंझुनूं आदि ऐसे इलाके हैं जहां पानी खारा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम हमारे क्षेत्रों में यह कह कर आये हैं कि अगली बार मीठे पानी की पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी तो आप बतायें कि सरकार इसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम हाथ में ले रही है या यों ही योजनायें बना रही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : शहर वाले पहले ही खड़े हैं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य को सवाल पूछना चाहिए, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं।

श्री रावतराम : मंत्री महोदय, यह नीति का प्रश्न है, आप कृपया बता दें......

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं कि यह नीति का प्रश्न है, यह तो जायल पंचायत समिति का प्रश्न है।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह तो आपने तीन योजनाओं की बात बताई है तो कृपया यह बता दें कि इनमें काम कब शुरू कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : इन तीन योजनाओं में से एक योजना तो टेक्निकल स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजी गई है और दो योजनाए टेक्निकल दृष्टि

(श्री चन्दनमल बैद)
से ठीक है या नहीं, विभाग में उनकी जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरीशंकर।

श्री रामसिंह कुडी : कब तक ?

श्री चन्दनमल बैद : बहुत जल्दी।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरीशंकर।

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, खारे पानी के सम्बन्ध में जो सूचना आपको दी गई है वह गलत है। दोनों गावों में पानी की भारी समस्या है। कोई उस पानी को पी नहीं सकता। इसलिए आप अपने विभाग को वापिस कहें।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरीशंकर।

काश्तकारी कार्य में आने वाली लकड़ी

28. **श्री गौरीशंकर** (खानपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या खानपुर निर्वाचन क्षेत्र के काश्तकार लोग प्रतिवर्ष नवम्बर-दिसम्बर मास में वन से ईंधन, कांटे व अपने काश्तकारी काम में आने वाली लकड़ी लाते हैं ? यदि हां, तो क्या गत वर्ष भी वे लकड़ी आदि जंगल से लाये थे ? यदि नहीं, तो अब कब तक यह सुविधा इस क्षेत्र के कृषकों को प्रदान कर दी जायेगी ?

वन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): जी हां। गत वर्ष 1970–71 में भी काश्तकारों को ईंधन, लकड़ी व कांटे लाने दिया गया था। इस वर्ष 71–72 के लिए भी यह अनुमति दे दी गई है।

श्री गौरीशंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नवम्बर दिसम्बर में काश्तकारों को लकड़ी लाने की इजाजत दे दी गई या नहीं और अगर दे दी गई तो कब दी गई यह बताने की कृपा करें।

श्री परसराम मदेरणा : काश्तकारों को जो सुविधा दी जाती है वह 1 अक्टूबर से 15 जून तक प्रतिवर्ष दी जाती है। 1 अक्टूबर से 15 जून है न कि नवम्बर दिसम्बर। और काश्तकारों को यह लकड़ी काटने की इजाजत दे दी गई है।

श्री गौरीशंकर : अब तक दी गई या नहीं, यह बताने की मंत्री महोदय कृपा करें। आप जो यह कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से 15 जून तक इजाजत दी जाती है तो यह बताने की कृपा करें कि इस वर्ष यह इजाजत कब दी गई।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में ही निवेदन किया है कि पहले भी इजाजत दी गई है और अब भी इजाजत दे दी गई है।

श्री गौरीशंकर : इस साल नहीं दी गई है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह मानता हूं कि इस वर्ष अनुमति देने में देरी हुई है। इसका कारण यह है कि किसी भी फोरेस्ट को काटने की इजाजत देने से पूर्व उसका वर्किंग प्लान तैयार होता है। दस साल का वर्किंग प्लान तैयार किया जाता है। पिछला दस साला प्लान 70–71 में खत्म हो गया। हमारे वर्किंग

(श्री परसराम मदेरणा)
प्लान आफिसर और फोरेस्ट डिपार्टमेंट नए दस साला वर्किंग प्लान को तैयार कर रहे हैं। तो भी हमने इसकी अस्थायी तौर पर काश्तकारों को यह सुविधा दे दी है ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं हो। लकड़ी काटने का एरिया मार्क करके इजाजत दे दी गई है। यह अनुमति अभी दी गई है इससे हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में कठिनाई रही हो।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों को फोरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नाकेदार वगैरा होते हैं वे समय पर परमिट नहीं देते हैं बल्कि पैसा लेकर परमिट देते हैं। जब उनको समय पर परमिट नहीं मिलता तो लोग परेशान होकर जंगल में चले जाते हैं और तीन सौ रुपये तक उनसे जुर्माने के वसूल किए जाते हैं और इस तरह से काश्तकारों को परेशान करते हैं। इनकी शिकायतें फोरेस्ट आफिसर्स को भी कर दी जाती हैं परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यह आदेश प्रदान करें कि समय पर उनको लड़की, जो काश्तकारों के काम में आने वाली है, ईंधन आदि, वह समय पर मिल जाया करे।

श्री परसराम मदेरणा: यदि इस प्रकार की कोई भी शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई जाएगी कि जिन काश्तकारों को अनुमति है और अनुमति शुदा काश्तकार लकड़ी काट कर लाते हैं और उनसे फोरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी या गार्ड, रेंजर वगैरा कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि वे इस प्रकार की कोई भी इत्तला देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट का जो विजिलेंस स्कायड है उसको इमीजियेटली झालावाड़ भेजूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले में स्कूल

29. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ने गत वर्ष में कितनी प्राथमिक पाठशालायें विभिन्न जिलों में खोली थीं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में गत वर्ष एक भी प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में साक्षरों की संख्या दूसरे जिलों के मुकाबले में सबसे कम है? यदि हां, तो इसके लिए इस वर्ष और आने वाले वर्षों में बाड़मेर जिले को प्राथमिक पाठशालायें खोले जाने में दूसरे जिलों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जायेगी?

(4) राज्य सरकार बाड़मेर जिले में सन् 1972-73 में कितनी प्राथमिक पाठशालायें खोले जाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) वर्ष 1971–72 में कुल 30 प्राथमिक शालायें खोली गई हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है।

(3) जी हां। प्राथमिक शालाएं खोलते समय इस क्षेत्र का भी ध्यान रखा जावेगा।

(4) वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर ही शालायें खोलना सम्भव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे इन्फोर्मेशन दी गई है उसके अनुसार यह जवाब बिल्कुल सही नहीं है। गत वर्ष में बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर या यों कहूं कि राजस्थान के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्राईमरी स्कूल नहीं खोली गई है और अब भी यह जवाब दिया जा रहा है कि आगे भी आने वाले सालों में वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर सम्भव हो सकेगा तो यह जवाब बिल्कुल संतोषप्रद नहीं है। कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है और फण्डामेंटल राइट्स में भी कम्पलसरी प्राईमरी एजूकेशन का प्रावधान है। लेकिन आज सरकार जिस तरह से इस दिशा में जा रही है वह बहुत कमजोर कदम है। तो हम यह चाहते हैं और मेरे खयाल से यह प्रश्न महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी प्रश्न है जिसका जवाब मुख्य मन्त्री महोदय को देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चार-चार, पांच-पांच सात-सात माईल तक बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है। गांवों में स्कूल नहीं हैं। इसलिए इसके बारे में स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। यह बाड़मेर, जैसलमेर या जालोर का प्रश्न ही नहीं है सारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न है। इसमें यह हो सकता है कि शहरों के अन्दर स्कूलें जरूर खुली हों, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्षेत्र में भी स्कूल खुली हैं लेकिन इससे कोई संतोष नहीं होता। इसलिए स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या योजना है, कब और कहां कहां पर कितनी कितनी स्कूलें खोलने वाले हैं, इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि कहीं पर भी स्कूलें नहीं खोली गई हैं और वित्तीय साधनों की कमी के कारण इस साल भी खोला जाना सम्भव नहीं है। जो माननीय सदस्य का कहना है कि बाड़मेर में कब खोली जावेगी और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कब खोली जायेगी तो यह वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही सम्भव है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह पालिसी का प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलें खोली जायं। वहां पाठशालाएं खोलने की सरकार की नीति डिफेनिट है। यह बदकिस्मती है कि स्कूलें तो खोली नहीं जा रही हैं और लड़कों की संख्या स्कूलों में बराबर बढ़ रही है। गांवों में पांच सात और दस मील के एरिया के अन्दर ग्रामीण लोग अपने मकान बनाते हैं और प्राईवेटली लड़कों को पढ़ा रहे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि शहरों में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कालेजों पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं लेकिन गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने के लिए कहते हैं कि वित्तीय साधन नहीं है। आखिर इसके लिए कोई योजना तो होनी चाहिए। एक भी पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कोई भी स्कूल नहीं खोला गया है। हम कैसे लोगों को सेटिस्फाई करें। ग्रामीण बच्चों को पांच मील और दस मील तक पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है तो उनको कैसे संतोष हो सकता है। इस बारे में स्पष्ट योजना होनी चाहिए कि इतने सालों में इतने स्कूल खोले जायेंगे ताकि उसके अनुसार अपना प्रशासन चल सके।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुनिए।

शिक्षा मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): यह सही है कि प्राथमिक शालाएं नहीं खोली गई हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कहीं पर भी नहीं खुली हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं मानता हूं, लेकिन इसमें वित्तीय साधन सीमा लगाते हैं। मैं निवेदन करूं कि यह ठीक है कि यह आवश्यक नीति के रूप में रखा गया है कि अनिवार्य शिक्षा दी जावेगी और प्राथमिक शालाएं खोली जावेंगी। यह सब बातें तो हैं परन्तु अनिवार्य शिक्षा भी इस वक्त नहीं दे पा रहे हैं और इसका कारण भौतिक साधन हैं। भौतिक साधनों की कमी से सीमा लगाते हैं। अभी तक राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में स्कूलें खोली गई हैं यह सही है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

(व्यवधान)

प्रश्नकर्त्ता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो गत साल भी अर्थाभाव का प्रश्न था इस साल और आगे के लिए भी अर्थाभाव की बात कही जा रही है। अपन समाजवाद लाना चाहते हैं और इस प्राईमरी एजूकेशन तक को दे नहीं सकते तो इसकेलिए स्पष्ट नीति होनीचाहिए। इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं जवाब दें। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। अर्थाभाव है तो भी हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए दूसरे रिसोर्सेज निकालने होंगे, अन्य फालतू खर्च कम करिए। अर्थ की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह अर्थाभाव की बात से हम संतुष्ट नहीं हो सकते।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह अर्थाभाव··

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मंत्री महोदय यह बतावें कि मंत्रियों और गजेटेड आफिसरों के कितने बच्चे प्राईमरी स्कूलों में पढ़ते हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जितने आपके रिसोर्सेज हैं उनको कोआर्डिनेट करें और प्राईमरी स्कूलों की तरफ डाइवर्ट करें और स्पष्ट नीति निर्धारित करें कि इतने अर्से में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
दो साल में, तीन साल में इतनी स्कूलें खोल दी जावेंगी, यह स्पष्ट बतावें ।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अन्दर प्राथमिक शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया गया है । इसके साथ साथ यह सरकार यह मानती है कि प्राइमरी एजूकेशन के लिये बाकायदा योजना बननी चाहिये । कम्पलसरी शिक्षा इसलिये नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत से गांवों के अन्दर लोग-बाग किसी मजबूरी के कारण से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाये तो सरकार उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहती है । बेसिकली गवर्नमेंट यह सोचकर चल रही है कि जल्दी से जल्दी ग्रामीण शिक्षा की ओर, प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाये ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़): इतना खर्चा हो रहा है कि उसका कोई हिसाब नहीं है । इसलिये प्राईमरी स्कूल की ओर भी ध्यान देना होगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आप तो जहां पर वालिन्टरिली पढ़ना चाहते हैं वहां पर टीचर भेज दीजिए । कम्पलसरी का कोई सवाल नहीं है । जहां पर छात्र हैं वहां पर भेज दीजिये ।

श्री बरकतुल्ला खां: यह जानकारी पहले भी दे चुका हूं कि दो हजार टीचर इस वर्ष बढ़ाये जा चुके हैं और भी बढ़ा दिये जायेंगे····

एक माननीय सदस्य: पंचायत समितियों को नहीं दिये हैं····

श्री बरकतुल्ला खां: कैसे नहीं दिये हैं । दिये हैं । पंचायत समितियों को दिये हैं····

श्री रघुनाथ विश्नोई: हमारी मांग हो रही है····

श्री अध्यक्ष: एक वक्त में एक माननीय सदस्य ।

श्री मनोहरसिंह (चूरू): केवल अध्यापक बढ़ा देने से ही नहीं होगा । नये स्कूल बढ़ाने चाहिये ।

श्री बरकतुल्ला खां: अध्यापक बढ़े हैं और भी बात कह रहा हूं । गवर्नमेन्ट की यह निश्चित रूप से मान्यता है कि इस सम्बन्ध में नियम बने और इस साल आगे के लिये भी हम सोचें परन्तु मैं अपनी बात पूरी कैसे करूं बीच में इन्टरप्शन होता है । माननीय अध्यक्ष दो सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते····(व्यवधान)····मैं यह अर्ज कर रहा था कि डेफिनेटली गवर्नमेन्ट पोलिसी बना रही है प्राइमरी एज्यूकेशन के लिए और यह बजट के अन्दर निर्धारित कर दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नसीराबाद कालेज का भवन

25. **श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि नसीराबाद नगर में कालेज के भवन का जो निर्माण हुआ

(श्री शंकरसिंह रावत)
अपर्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार पर्याप्त भवन का निर्माण कब तक करायेगी ?

उत्तर

जी, हां। शीघ्र ही पर्याप्त एकोमोडेशन का सम्भवतः पूर्ण निर्माण नहीं हो सकेगा; परन्तु बन रहे भवन में कुछ कक्षाएं स्थानान्तर करने का प्रयास किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाचार पत्रों का प्रमाणीकरण

7. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान के किन-किन समाचार पत्रों को अब तक प्रमाणीकरण की सुविधायें प्रदान की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

राजस्थान के जिन समाचार पत्रों को अब तक प्रमाणीकरण की सुविधायें प्रदान की है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगरपालिका पाली द्वारा प्लॉटों का बेचान

8. श्री शंकरलाल (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली नगरपालिका द्वारा गत दो माह में कितने प्लाट्स बिना नीलामी किन-किन व्यक्तियों अथवा जाति संगठनों एवं संस्थाओं को कब्जे में दिये गये और कितनी अग्रिम कीमत के हिस्से की रकम वसूल कर रसीदें जारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्लाट्स का बेचान किस आधार पर किया गया ?

उत्तर

(1) जिलाधीश पाली की स्वीकृति अनुसार उक्त अवधि में सिर्फ एक प्लाट का कब्जा सिखवाल ब्राह्मण समाज, पाली को दिया गया। उक्त अवधि में अग्रिम कीमत के हिस्से की जो रकम वसूल की जाकर रसीदें दी गई उसकी सूची संलग्न प्रेषित है।

(2) भू-खण्डों का बेचान राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये भूमि विक्रय संबंधी नियमों के अनुसरण में किया जाना बताया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगरपालिका पाली के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

9. श्री शंकरलाल (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या 1 फरवरी, 1972 से 11 मार्च, 1972 तक के समय में पाली नगरपालिका के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध

(श्री शंकरलाल)

चुनाव में नगरपालिका के साधनों व सत्ता का दुरुपयोग करने सम्बन्धी शिकायतें स्वायत्त शासन विभाग को प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी, हां। शिकायतों के संबंध में कुछ तार प्राप्त हुए थे। इन शिकायतों के संबंध में अध्यक्ष, नगरपालिका, पाली को वस्तुस्थिति की जानकारी भेजने हेतु लिखा गया तथा जिलाधीश, पाली को भी जांच कर रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया है।

पानी की समस्या के समाधान पर व्यय की गई राशि

10. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)**: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य में तीन पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं एवं चौथी पंचवर्षीय योजना के अलग अलग सालों में जल कष्ट निवारण के लिये कितनी राशि खर्च हुई? जिलेवार आंकड़े देने की कृपा करें।

(2) उक्त राशि का ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार जिलेवार खर्चा हुआ है? अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विभिन्न योजना अवधि में जल प्रदाय योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय हुआ है:—

	रु. करोड़ में
प्रथम योजना	2.08
द्वितीय योजना	3.49
तृतीय योजना	7.31
तीन वार्षिक योजनाएं	4.98
चतुर्थ योजना	
1969-70	2.98
1970-71	4.24
1971-72 (आवंटन)	5.93
योग :-	31.01

इस व्यय में समाज कल्याण विभाग तथा तृतीय योजनाकाल तक सामुदायिक विकास विभाग द्वारा व्यक्तियों को पेय जल कुओं के निर्माण आदि में दी गई आर्थिक सहायता सम्मिलित नहीं है उपरोक्त व्यय की जिलेवार सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। प्रथम योजना काल में हुए व्यय के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(2) ग्रामीण एवं शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर हुए व्यय की जिलेवार राशि अलग-अलग संलग्न तालिका में दी गई है। प्रथम योजनाकाल में हुए व्यय के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। द्वितीय एवं तृतीय योजनाकाल में जल प्रदाय पर हुए व्यय के शहरी और ग्रामीण योजनाओं के अलग-अलग जिलेवार आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

गंगनहर क्षेत्र की आबादी भूमि में पीने के पानी की व्यवस्था

11. श्री **गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि गंगनहर क्षेत्र की आबादी भूमि में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और किसान अपनी जमीन की पानी की बाडी में से ही अपने पीने की डिग्गियों में पानी लगाते हैं और ऐसे दूसरे लोग जिनमें अधिकतर भूमिहीन हरिजन हैं उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सच है कि गांव गंगूवाला व पदमपुर में हरिजनों ने पीने के पानी की डिग्गी बना रखी है परन्तु उसमें पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार प्रत्येक गांव के लिये बारानी हो या नहरी, पीने के पानी की अलग-अलग व्यवस्था करेगी ?

(स्थगित किया गया)

कनिष्ठ लेखाकार के पद

12. श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता व श्री गुमानमल लोढा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-11-70 को मुख्य मंत्री की घोषणानुसार समस्त लेखा लिपिकों के पद कनिष्ठ लेखाकार के संवर्ग में कन्वर्ट हो गये हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या इस तरह लेखालिपिक पद पर इस दिनांक तक नियुक्त सभी कर्मचारी स्वतः ही कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आ जाते हैं ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ? ऐसे कर्मचारियों को जो उक्त घोषणा के अनुसार स्वतः ही इस संवर्ग में नियुक्त नहीं होते, कनिष्ठ लेखाकार के पद उनके बने रहने में क्या हानि और संवैधानिक रुकावट है ?

(4) क्या यह सही है कि लेखा लिपिकों को पृथक से कैडर तथा एक कन्ट्रोलिंग आथोरिटी राज्यव्यापी स्तर पर नहीं होने के कारण विभिन्न विभागों में जहां कनिष्ठ और अस्थायी कर्मचारी लेखा लिपिकों के पद पर नियुक्त हो गये थे जब कि कई अन्य विभागों में सेवाकाल की दृष्टि से वरिष्ठ और स्थायी एवं लेखा लिपिक परीक्षा पास कर्मचारी पद उपलब्ध न होने के कारण इस पद पर नियुक्त होने से महरूम रह गये ?

(5) कृपया बतावें कि लेखा लिपिक परीक्षा पास कुछ कर्मचारियों को स्वतः ही कनिष्ठ-लेखाकार के पद पर नियुक्त किये जाने तथा कुछ कर्मचारियों को उसी परीक्षा के पास किए हुए होने पर ही स्वतः नियुक्ति के लिये योग्य न मानने का क्या आधार है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त दिनांक को जितने लेखा लिपिक परीक्षा पास कर्मचारी उपलब्ध हैं उतने ही पद भी मौजूद हैं ? परीक्षा पास कर्मचारी और पदों की संख्या बतावें ।

(7) कृपया बतावें कि 16-11-70 को कितने राज्य कर्मचारी लेखा लिपिक परीक्षा पास थे और उनमें से कितने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
कर्मचारी लेखा लिपिकों के पद पर कार्यरत थे एवं कितने लेखा लिपिकों के पद पर कार्य कर रहे कितने कर्मचारियों को इस नये कैडर में स्वतः ही नियुक्त किया जाना माना गया है ?

(8) क्या यह सही है कि दिनांक 16–11–70 को स्पष्ट उपलब्ध लेखा लिपिक के पद पर कार्य कर रहे लेखा लिपिकों जो लेखा लिपिक की परीक्षा पास हैं को हटाया जाकर रिवर्ट किये जायेंगे उनके 10 रु. विशेष वेतन समाप्त करदी जावेगी, व उनकी लेखा लिपिक की पास परीक्षा को भी कनिष्ठ लेखाकार के सृजित संवर्ग के योग्य नहीं माना है, जब कि 1–4–71 को 3 वर्ष लेखा लिपिक कार्यकाल पूरा करने पर लेखा लिपिकों की परीक्षा को कनिष्ठ लेखाकार के कैडर में योग्य मान लिया है क्या ? यदि हां, तो क्या सरकार लेखा लिपिक परीक्षा उत्तीर्ण एक ही प्रकार की पास की हुई परीक्षा की परिस्थितियों में समान मानदण्ड अपनाने का इरादा नहीं रखती है क्या ?

(9) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री की घोषणा से 16–11–71 तक इस पर कार्यरत जिन कर्मचारियों को सरकार लेखा लिपिक या कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्वीकार नहीं करती है उनका 10) रु. का विशेष वेतन समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? जब कि लेखा लिपिकों की परीक्षा के नोटिफिकेशन में परीक्षा पास करके नियुक्त होने पर दस रुपये विशेष वेतन का प्रावधान था ?

(10) क्या सरकार ने लेखा लिपिक परीक्षा पास उन कर्मचारियों को जो 1–4–71 से पूर्व लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त हैं किन्तु 3 वर्ष लेखा लिपिक कार्यकाल पूरा नहीं है उन्हें भी नये कैडर में आने के लिये परीक्षा पास करने की आज्ञा दी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

(4) मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में सब विभागाध्यक्षों से लेखा लिपिकों से सम्बन्धित सूचना चाही गई है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ही इसके लिये बतलाया जा सकता है।

(5) मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा में निर्दिष्ट श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति ही कनिष्ठ लेखाकार के पद के अधिकारी हो सकेंगे।

(6) समस्त विभागाध्यक्षों से आंकड़े मांगे हैं। उनके प्राप्त होने पर ही इसका उत्तर दिया जा सकता है।

(7,8,9,10) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता.

13. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

Page No 31

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

राज्य सरकार द्वारा राजनैतिक पीड़ितों को दी गई सहायता की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(स्थगित किया गया)

भरतपुर जिले में सुरक्षा कोष के लिये एकत्रित राशि

14. **श्रीमती उषा प्रकाश** (बैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में सुरक्षा कोष में कुल कितना धन एकत्रित हुआ है ?

(2) भरतपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा स्कूली बच्चों की मार्फत कितना धन एकत्रित किया गया है तथा अलग-अलग पंचायत समितियों द्वारा कुल कितना धन सुरक्षा कोष में अब तक जमा करवाया गया है ?

(3) क्या पंचायत समितियों द्वारा स्कूली बच्चों की मार्फत जमा किये जाने वाली राशि की रसीद दी गई है ?

(स्थगित किया गया)

शोक प्रस्ताव

भू. पू. राज. विधान सभा सदस्य श्री केसरीमल विजोलिया के देहावसान पर

श्री **अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री केसरीसिंह विजोलिया का देहान्त हो गया है। श्री विजोलिया झालावाड़ा जिले के माण्डलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए थे। आपका सदन के अन्दर सदस्य के रूप में भी कन्ट्रीब्यूशन रहा है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनिट मौन रह कर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(मा. सदस्यों ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी :—

1. सीकर में दिनांक 23 मार्च 1972 को स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति पर, सर्व श्री गोवर्धनसिंह और केसरदेव सदस्य विधान सभा का स्थगन प्रस्ताव।

2. श्री योगेन्द्रनाथ हांन्डा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत गंगानगर में कतिपय गुन्डों द्वारा गरीब बावरियों की फसल लूटने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव।

3. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत जिला गंगानगर में किसानों से एक रुपया प्रति बीघा सुरक्षा कोष के नाम से वसूल करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव।

4. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23 फरवरी, 1972 को गुरुद्वारा बंडढा जोहर तहसील रायसिहनगर, में कतिपय गुन्डों द्वारा कब्जा।

5. जिला गंगानगर में हरिजनों व भूमिहीन परिवारों को रिहायशी जमीन न

(श्री अध्यक्ष)
मिलने से सम्बन्धित श्री गुरदयालसिंह सन्धु सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

6. मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट पर अमल न करने से उत्पन्न स्थिति पर श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव।

7. श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा द्वारा नर्बदा नदी के पानी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव।

8. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 1972 को गांव सुरजनपुरा पुलिस थाना धरसाना में दो व्यक्तियों द्वारा 3 ओवरसीयर व 3 बेलदारों को लूट कर ले जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है और ये अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करता हूँ कि निम्नांकित सदस्यों ने भी स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है:—

1. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने चौहटन कैम्प में लगभग 100 परिवारों को दिनांक 3 अप्रेल, 1972 से सरकार द्वारा पानी व राशन बन्द करने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव।

2. श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा, सदस्य विधान सभा द्वारा गंगानगर शूगर मिल्स के मैनेजर द्वारा मिल के सामने गरीबों के 25-30 झोपड़े उठा देने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव,

3. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा द्वारा जयपुर नगर परिषद् को दिये जाने वाले अनुदान से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव,

4. श्रीमती भगवती देवी, सदस्य विधान सभा द्वारा अजमेर जिले में लगान की दर बढ़ाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करता हूँ कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई है:—

1. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु और श्री राजेन्द्र भारतीया सदस्य, विधान सभा द्वारा भारत सरकार द्वारा गेहूँ के भावों के निर्धारण से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव। इसी आशय का एक प्रस्ताव दिनांक 28-3-72 को अस्वीकार किया जा चुका है अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

2. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा द्वारा अजमेर, टोंक तथा जयपुर जिलों के लिये बनास योजना के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव। इस विषय पर 1971-72 की अनुपूरक अनुदान की मांग के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री प्रकाश डाल चुके हैं फिर भी आगामी बजट के

(श्री अध्यक्ष)
समय इस पर चर्चा की जा सकती है अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा द्वारा रामबाग पैलेस होटल के कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव। इसी प्रश्न पर एक स्थगन प्रस्ताव पहले अस्वीकार किया जा चुका है अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने जिला जालौर, बाड़मेर आदि के सम्बन्ध में अभाव की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी है। मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे राजस्थान के अकालग्रस्त जिलों के सम्बन्ध में सदन में कल दिनांक 8 अप्रैल, 1972 को एक वक्तव्य दें।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो एक लाख शरणार्थी आये हुए हैं उनके सम्बन्ध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। चौहटन और उसके आस पास अव्यवस्था है...

श्री अध्यक्ष : इस पर जानकारी चाही गई है।

श्री गुमानमल लोढा : आपने जानकारी चाहने का फर्माया है परन्तु चौहटन में तीन तारीख से पानी बन्द कर दिया गया है अतः यदि श्रीमन् मंत्री महोदय को कल ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की आज्ञा देंगे तो मैं समझता हूं कि इस मसले की अहमियत होगी। अब तक 40/50 व्यक्ति मर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी जानकारी भेजें।

श्री गुमानमल लोढा : कल के बाद अध्यक्ष महोदय, विधान सभा 10–15 दिन बाद मिलेगी। यह चौहटन में जो शरणार्थियों का कैम्प है उसका मामला है और पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का मामला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को कल ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये आदेश दें। वहां पर हैजा फैलने वाला है, वहां तम्बू का कोई इन्तजाम नहीं है, पानी का प्रबन्ध नहीं है, खाने का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस प्रकार एक लाख व्यक्तियों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कल का समय नियुक्त कर दें और मंत्री महोदय इस के बारे में जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित करें ताकि इसकी अहमियत, इम्पार्टेन्स के अनुसार कार्यवाही हो जायेगी अन्यथा वहां पर अव्यवस्था पैदा होगी और लोगों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने यहां पर यह प्रोसीजर तय हो गया है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन्स पर अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो जाने के बाद इस प्रकार के भाषण न होंगे। मेरा निवेदन है कि यह परम्परा कायम रहे तो ज्यादा अच्छा

(श्री खेतसिंह)
रहेगा । अगर एडजोर्नमेन्ट मोशन्स पर भाषण देना जारी रहा तो आज का जो बिजिनेस है उस पर कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी जानकारी भेज दें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह खेद की बात है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के संघर्ष के कारण जो व्यक्ति विस्थापित हुए हैं उनके बारे में कोई बात कही जाती है तो आप उसे भाषण की संज्ञा देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सरकार के पास समय न हो तो मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं और आज वे इसकी जानकारी मंगवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो जानकारी की जरूरत है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप उनको आदेश दें। सरकार इस पर कोई मसखरी न करे। लोग वहां पर मर रहे हैं। इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वाकई में गम्भीर है, क्योंकि जो शरणार्थी आये हुए हैं उनमें से कुछ शरणार्थियों की झोंपड़ियां भी जल गई हैं और कुछ अस्पताल में भी भरती हुए हैं। इस प्रकार चौहटन की जो घटना हुई है तो उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। चौहटन ग्राम के लिए ही पानी प्राप्त नहीं है और वे बसना चाहते हैं तो कोई व्यवस्था पानी की होनी चाहिए इसलिए यह गम्भीर प्रश्न है और कल ही इसका जवाब आ जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से कह चुका हूं कि इसका जवाब आज ही भिजवाने की कृपा करें और हो सके तो कल सदन में बयान दे दें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज स्थितियों में परिवर्तन हुआ है और जयपुर शहर के सारे होटलों में हड़ताल है तो कुछ जानकारी का सवाल है । वह यह है कि सीलिंग कानून जो लागू करना चाहते हैं तो उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए राजा-महाराजा अपनी प्रापर्टी को मुन्तकिल कर रहे हैं और दूसरे जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, टाटा, बिरला, वे हमारी आजादी को कान्ट्रेक्ट कर रहे हैं। यह गलत सवाल है। चूंकि स्थितियों में परिवर्तन हुआ है इसलिए वह उसके रिजेक्शन का आधार नहीं होना चाहिए और इसको डिसकस करना चाहिये। आज सारे जयपुर शहर में मुकम्मल हड़ताल है और, अध्यक्ष महोदय, सारे होटल बन्द हैं तो मेरी गुजारिश पर गौर फरमावें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव नर्मदा नदी की जल परियोजना के बारे में दिया था। राजस्थान के लिये यह बड़ा अहम प्रश्न है, और राजस्थान के क्लेम को ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया है, और कानूनी तौर पर इसको एक्जामिन कराकर इस प्रश्न को लेंगे, लेकिन इस बीच में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वहां पर बांध का काम शुरू हो गया तो फिर पानी नहीं आयेगा । इसलिए आप (मुख्य मंत्रीजी) प्राइम मिनिस्टर साहब से बातें करें । यह बहुत गम्भीर संकट पैदा हो गया है । पहले यह ऐसी बात नहीं थी । पहले गम्भीर सवाल नहीं था । अगर वहां पर काम शुरू हो गया तो हमारे प्रदेश में जो पानी आने का है वह नहीं आयेगा और स्थिति गम्भीर हो जायेगी । राजस्थान सरकार इस मामले को सीरियसली ले और इस बारे में तुरंत निर्णय करे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बारे में उत्तर दे चुके हैं ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सेवा में मैंने दो स्थगन प्रस्ताव, एक तो बनास योजना के बारे में था दिया था ....

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब मैं दे चुका हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ...जब तक बनास योजना लागू नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ कि जयपुर शहर में पानी की कमी रहेगी । मैं समझता हूं कि दिसम्बर 71 तक बनास योजना...

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा करने के आदी हो गये हैं...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि बनास योजना 70–71 में पूरी हो जायगी...

(घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आप बैठेंगे या और कार्यवाही करूं ।

(घण्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसके बारे में जानकारी चाहता हूं । मैं समझता हूँ कि इन दोनों के बारे में जानकारी मुझे मिले इस प्रकार की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको इस बात के लिए आगाह किया है कि जब स्पीकर खड़े हों तो आप बैठ जायं, एक बार, दो बार, 3 बार, चार बार मैं आपकी सेवा में निवेदन कर चुका हूं । ऐसा लगता है कि आपकी कुछ मजबूरी मालूम पड़ती है और इस मामले में मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा । इस मामले में मैं नहीं चाहता कि इसे प्रकार की बात यहां पर आये । मैं फिर नम्रतापूर्वक माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे । सदन की मर्यादा रखना आपका और मेरा दोनों का उत्तरदायित्व है । मैं आशा करता हूं और मेरा नम्र निवेदन भी है कि सदन की मर्यादाएं रखने में आप मेरी मदद करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे 17 कर्मचारी बाहर बैठे हैं ...

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : राम बाग होटल के कर्मचारी· · ·

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, 1969–70 को सदन की मेज पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम की 31 मार्च, 1971 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1972

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
अधिसूचनाएं

श्री ओंकारलाल (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. पी.एस.।ए.आर.।4।71।461–70 दिनांक 9-2-72 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान सरकार पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1962 में संशोधन किये गये हैं।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

इसमें अमेंडमेंट्स हैं। (विराम)

प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव भी है।

(विराम)

श्री चन्दनमल बैद : कुछ इसमें संशोधन प्रस्ताव पेश किये हैं। वे चाहें तो पेश करें।

श्री अध्यक्ष मैं खुद ही कह रहा हूं इस बात को कि इस पर सिलेक्ट कमेटी में जाने का प्रस्ताव है माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई का लेकिन वे हैं नहीं। इसी तरह से कुछ संशोधन हैं इसमें। उनको अगर मूव करना चाहें तो करें वरना मैं समझूंगा कि संशोधन मूव नहीं किये गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर):अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 व 3 पर मेरे संशोधन प्रस्ताव हैं जो इस प्रकार हैं :-

"In sub-section (3) of the newly proposed section 4 B of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Act, 1957 substitute the figures and the words "31st day of March, 1973" by the figures and the words "30th day of April, 1972."

"In sub-section (4) of the newly proposed section 2 A sought to be inserted in the Rajasthan Finance Act, 1961, substitute the figures and words "31st day of march, 1973" by the figures and words "30th day of April, 1972."

अध्यक्ष महोदय, इसमें शायद बंगला देश वाला जो टैक्स लग रहा है वह भी उसमें शामिल है ? इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोल रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा संशोधन है खण्ड (2) पर।

श्री अध्यक्ष : इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 72 करोड का टैक्स इस भारत की जनता पर बंगला देश के नाम पर लगा हुआ है। युद्ध के दौरान में राजस्थान में भी काफी नुकसान हुआ है। गंगानगर में खड़ी हुई फसलें बरबाद हो गई। उनका नुकसान हुआ है। कपास के व्यापार में नुकसान पहुंचा रूई के व्यापार में नुकसान पहुंचा, और हमने भी सिविल डिफेन्स के ऊपर खर्चा किया और होमगार्ड पर खर्च किया। अब, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि शरणार्थी यहां से वापिस चले गये। बंगला देश आजाद हो गया, लेकिन अब भी हर आफिस में जाते हैं तो दो दो टिकिट लगाने पड़ते हैं और बंगला देश के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है जो कि नहीं लिया जाना चाहिये। 1962 में जिस समय चीन ने आक्रमण किया तो हम पर टैक्स लगा दिये और राजस्थान सरकार ने भी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लगा दिये टैक्स। 65 में जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया तो भी टैक्स लगा दिया। राजस्थान सरकार ने यह कह कर टैक्स लगा दिया था 62 व 65 में कि ज्योंहि युद्ध समाप्त हो जायगा यह टैक्स वापिस ले लिये जायेंगे, लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 62 और और 65 में जब चीन और पाकिस्तान से युद्ध के नाम पर टैक्स लगाया गया वह आज तक वापिस नहीं लिया गया । ऐसा लगता है कि यह 72 करोड़ के टैक्स लगाये और राजस्थान सरकार ने भी जो हम पर टैक्स लगाये हैं तो इस प्रकार यह दृष्टिगोचर होता है कि यह टैक्स वापिस नहीं लिये जायेंगे। बंगला देश के आज तक सारे शरणार्थी वापिस चले गये इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि बंगला देश के नाम पर जो टैक्स लगा हुआ है इस टैक्स को राज्य सरकार वापस ले।

इसमें मनोरंजन कर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मनोरंजन कर में आम जनता पर प्रारम्भ से ही वृद्धि करते आ रहे हैं और कर रहे हैं । 57 में जयपुर शहर का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि यहां पर 6 पर्सेन्ट मनोरंजन कर था इसका मतलब यह है कि एक रुपये में 6 पैसे देने पड़ते थे लेकिन आज जो है वह 1972 में वह 65 प्रतिशत मनोरंजन कर है। इसका मतलब यह है कि जाज लोगों को एक रुपये पर 65 पैसे मनोरंजन कर के रूप देने पड़ते हैं। पहले एक रुपयेपर 6 पैसे थे तो इस प्रकार से 59 पर्सेन्ट मनोरंजन कर में वृद्धि हुई है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह राज्य सरकार मनोरंजन कर को बढ़ाती चली गई, लेकिन नगरपालिका या नगर परिषद् को वह दिया नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि 55 में जिस समय राजस्थान सरकार ने सिनेमा अपने हाथ में लिए तब जयपुर नगर परिषद् के पास तीन सिनेमा थे और 6 पर्सेन्ट मनोरंजन कर उनसे लेती थी। आज मनोरंजन कर 65 पर्सेन्ट हो गया और सिनेमा बढ़ गये और सिनेमा देखने वाले बढ़ गये। संख्या बढ़ जाने के बाद भी आज रेट बढ़ गई है, लेकिन इस सारे के बढ़ जाने के बाद भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने मनोरजन कर बढ़ा कर अपने हाथ में ले लिया और नगर परिषद् का कुछ नहीं दिया। 55 के पहले और भी जो नगर परिषदों के आय के श्रोत थे जैसे टूर्नामेन्ट्स, कबड्डी, फुटबाल का टूर्नामेंट, प्रदर्शिनियां इन सारों से आय लेने का हक नगर परिषद को था उसको 55 से राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और राज्य सरकार ने अपने हाथ में लेकर सिनेमाओं से मनोरंजन कर लिया। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बतादूं कि सिनेमा में जो भी शो होते हैं तो प्रत्येक शो पर 10 रुपये लेती है। जयपुर शहर में एक सिनेमा में यदि चार शो होते हैं तो चार शो का मतलब है 40 रुपये एक सिनेमा से राज्य सरकार लेगी। मनोरंजन कर जो बढ़ा है उसके बाद में प्रत्येक शो पर 10 रुपये शो के हिसाब से लेती है जिसको कि राज्य सरकार मनोरंजन करके समय जोड़ती नहीं हैं। इसलिये जो साधन हैं मनोरंजन कर के उनको राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। मैं आपसे

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
निवेदन करना चाहूंगा कि आय के आधार पर 71 में जेमिनी सर्कस जयपुर में हुआ इस सर्कस से राज्य सरकार को 2 250 रुपया प्रतिदिन की मनोरंजन कर से आय हुई। इसके अलावा, जेमिनी सर्कस के अलावा, कबड्डी है, फुटबाल है, और टूर्नामेन्ट्स होते हैं. इनसे राज्य सरकार का मनोरंजन कर बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष: आप क्लाज 2 और 3 दोनों पर बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैं दोनों पर ही एक साथ बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं मना नहीं कर रहा हूं। जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव:** मै दोनों पर एक साथ ही बोल रहा हूं।

इस प्रकार राज्य सरकार को 67 हजार रुपये, जेमिनि सरकस से और मिले। नगर परिषद् को 1957 में 1,52,332 रु. मिले 1 लाख 52 हजार, 332 रुपये नगर परिषद् को मिलता है, बाकी पानी के पेटे में बांट लिये गये हैं। ये रुपया नगर परिषद् के इन्सपेक्टरों के काम में आ सकता था। उनको एक एक बंगला बनाकर दे सकते थे। 26 हजार रुपये राज्य सरकार को देना चाहिए।

नगर परिषदों का अप्रेल, 71 में एक सम्मेलन हुआ था। उसके अन्दर एक प्रस्ताव पास किया गया था कि मनोरंजन कर नगर परिषदों को पूरा पूरा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है, जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि नगर परिषद् सिनेमा हाल खोल ले। अगर खोल ले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर उसी प्रकार राज्य सरकार ले लेगी। तो नगर परिषद् को लाभ क्या होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मनोरंजन कर का पूरा का पूरा पैसा नगर परिषद् को मिल जाये तो राज्य सरकार को अहसान करने की आवश्यकता नहीं है। गत वर्ष के आंकड़े यह बता रहे हैं कि दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। सिनेमाओं की संख्या बढ़ रही है। 1957 में जिस प्रकार आंका गया था, उसी प्रकार से असेस किया जाना चाहिए। इस प्रकार जयपुर की नगर परिषद् को और राजस्थान की अन्य नगर परिषदों को पूरा का पूरा मनोरंजन कर जो राज्य सरकार को प्राप्त होता है, वह नगर परिषदों को देना चाहिए। जिससे कि नगर परिषदें अपने पांवों पर खड़ी हो सके और अपने नगर का भली प्रकार से विकास कर सकें। आप भले ही मुख्यमंत्री महोदय, यह कहें कि हम नगर का विकास करेंगे। यदि यह पैसा राज्य सरकार से मिल जाता है तो नगर परिषद् को राज्य सरकार से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं हैं। अपने पैसे पर ही नगर परिषद् अपने मुहल्लों में गटर लाइन डलवा सकती हैं। ट्यूबलाइट लगवा सकती है। अपने बल पर अपना विकास कर सकती है। मेरा निवेदन है, जिस प्रकार 1962 और 1965 में लड़ाई के नाम पर जो टैक्स लगाया गया है, उसको वापिस लिया जाये और जनता को राहत दी जाये। जिस प्रकार की वादा खिलाफी 1962 और 1995 में की गई है, उसी प्रकार से अब की जा रही है। जो शरणार्थियों के नाम से टैक्स लगाये गये हैं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनको वापिस लिया जाये। सिनेमाओं पर जो टैक्स है, उससे भी सरकार को लाखों रुपयों की आय हुई है। राजस्थान सरकार को, भारत की जनता को और राजस्थान की जनता को हिसाब देना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर कितना पैसा आया है। बंगला देश और शरणार्थी टैक्स में कितना पैसा आया है। राज्य सरकार अगर इस प्रकार का कोई टैक्स लगाती है तो उस को कोई भी पोलिटिकल पार्टी विरोध नहीं करेगी। जो भी इस प्रकार का टैक्स राज्य सरकार के पास आया है तो उसका हिसाब दिया जाना चाहिए। बंगला देश के नाम पर जो टैक्स लगाया गया है, उसको वापिस लिया जाना चाहिए। मनोरंजन कर की नगर परिषदों को पूरी की पूरी आय देनी चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : और कोई साहब।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के अन्दर ....

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन तो नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : संशोधन आप ने दिया है।

31 मार्च, 1972 की धारा 2 के अन्दर है

मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश की जो भावना थी, बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की भारत की जनता मुक्त हस्त होकर उनकी सहायता करें। इसी भावना से सारे देश ने सहायता की। प्रश्न यह है कि जो कारण दिये गये हैं, उनके आधार पर राजस्थान की गरीब जनता और गरीब किसान और जो अधिकांश मजदूर और व्यापारी हैं, आज उनके ऊपर यह बोझा लादा हुआ है। आज जिसको दो समय के लिए भोजन भी उपलब्ध करना मुश्किल है, क्या आने वाले वर्षों में उनके ऊपर यह करों का बोझा और डाल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बंगला देश विश्व के रंगमंच पर एक देश के रूप में उभर चुका है। आज बंगला देश अपनी इकानामी और अपनी अर्थ व्यवस्था लेकर अपने विकास के मार्ग पर चल रहा है। विश्व के सारे देश उसकी सहायता कर रहे हैं। गरीब राजस्थान, जो कि एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। राजस्थान की इकानामी, अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो रही है। मैं चाहूंगा--

It shall remain in force upto 31st March, 1973.

मेरा नम्र निवेदन है कि राजस्थान जो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। तो जो 31 मार्च, 72 के स्थान पर जो 73 का संशोधन रखा गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उसको स्वीकार किया जाये। और, राजस्थान की गरीब जनता को राहत दी जाये। राजस्थान में बंगला देश की समस्या नहीं है। राजस्थान में समस्या एक लाख शरणार्थियों की है जो कि पाकिस्तान से, थारपारकर जिलों से, छाछरोंर से आये हैं। वह भगवान के सहारे पड़े हुये हैं। उनके ऊपर सूर्य भगवान है। उनके रहने के लिए तम्बू तक नहीं हैं। वह धूप में झुलस रहे हैं। उनकी करुणावस्था से हाहाकार उत्पन्न होने वाला है। इसके लिए राजस्थान

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सरकार को सोचना है। इस कारण से हमारी जो अर्थ व्यवस्था है, जो रिसोर्सेज हैं, हमें उसके लिए सोचना है। एक लाख शरणार्थी जो थारपारकर जिलों से, छाछरों से आये हैं। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आये हैं, हमें उनके लिए सोचना है। इस समय सिन्ध के अन्दर, जिस प्रकार से बंगला देश आजाद हुआ है, वैसी ही स्थिति पैदा हो रही है जिस प्रकार बंगला देश आजाद हुआ है उसी प्रकार से सिन्ध भी आजादी हासिल करे। इस समस्या की ओर हमें सोचना चाहिए। मेरा यह निवेदन है, मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इस पर हम गम्भीरता से विचार करें। शरणार्थियों की समस्या केवल राजस्थान सरकार पर ही नहीं बल्कि भारत सरकार के ऊपर डालकर एक लाख लोग जो तड़फ रहे हैं, सिन्ध से आकर, बाड़मेर के अन्दर, जैसलमेर के अन्दर, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, जिनको पीने का पानी नहीं मिलता है और आने वाली गर्मी के दिनों में हैजे के कारण, अन्य बीमारियों के कारण हजारों की तादाद में मृत्यु द्वारा ग्रस्त हो जायेंगे, उनको बचाने के लिए, मानवता के आधार समस्याओं से ग्रस्त, पीड़ित और क्रन्दन करते हुए मानवों को बचाने के लिए और भारत के अन्दर जो आये हैं उनको जीवन दान देने के लिए अपने साधनों का उपयोग करें। बंगला देश का प्रश्न अब सुलझा हुआ है, ऐसा समझ कर अपना ध्यान जीये सिन्ध की ओर ले जांय। यह प्रार्थना करता हुआ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड दो और खण्ड तीन पर गिरधारी लाल भार्गव ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो और तीन स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

क्लाज दो और तीन स्वीकार किये गये।

खण्ड चार में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड चार स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड चार स्वीकार किया गया।

खण्ड एक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड एक स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि शार्ट टाइटिल प्रिएम्बल का उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लाज 1 प्रिएम्बल आदि स्वीकार किये गये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

Page No 42

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की सम्मति है, इस विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, नगर आयोजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 1972 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1972) को अस्वीकार करता है ।"

अध्यक्ष महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेंट आर्डिनेन्स अथवा बिल–पहले जब इसका एक्ट बना तब इस एक्ट के प्रावधान अन्य सब प्रान्तों के जो एक्ट्स हैं, उनसे लिये गये थे

(12.33 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वर्तमान एक्ट को यदि देखा जाय तो उससे स्पष्ट होगा कि इसका जो मोडल है, वह हमारे जो आस पास के प्रान्त हैं, यू.पी. है, एम.पी. है, पंजाब है–वहां से लिया गया और यह एक्ट बनाया गया । इस एक्ट में जितनी धारायें हैं, उन धाराओं से यह स्पष्ट है, उसमें रिप्रजेन्टेशन, डेमोक्रेटिक रिप्रजेन्टेशन हैं, लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ, यह आर्डिनेन्स जब प्रोमलगेट किया गया, जिन परिस्थितियों में किया गया और जिस ढंग से किया गया–यह जो संशोधन बिल अथवा आर्डिनेन्स है–इसका कहीं मोडल नहीं मिला । मैंने इस प्रश्न पर जितने प्रान्त हैं उनके एक्ट्स का अध्ययन किया और जितने प्रान्त हैं उनमें जो संशोधन आर्डिनेन्स के आधार पर अथवा बिल के आधार पर हुए उनका अध्ययन करने का भी मैंने प्रयत्न किया लेकिन जो आर्डिनेन्स हमारे यहां लाया गया–उस आर्डिनेन्स का ड्राफ्ट कहीं अन्य प्रान्त में नहीं मिला । मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, यह आर्डिनेन्स जिन परिस्थितियों में लाया गया उन परिस्थितियों का जिक्र मैं बाद में करूंगा लेकिन जिस ढंग से यह लाया गया, जिस हैप-हैजर्ड वे से यह आर्डिनेन्स लाया गया–उस संदर्भ में यह स्पष्ट है, इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार किया गया । मैं यह क्यों कहता हूं, आर्डिनेन्स का जो स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है, उसमें करीब करीब दो रीजन दिये हैं । पहला रीजन तो यह दिया गया है :

"The Government was of the view that the number of trustees in Urban Improvement trusts was too large which was not conducive to speedy and planned improvement and development of urban areas and to achieve social objectives for which Improvement trusts had been established"

यह एक स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में । दूसरा है :

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

"These social objectives could be achieved by altering the constitution of Urban Improvement Trusts and by constituting these bodies smaller and afresh.'

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में एक प्रश्न दिया हैं, नम्बर बड़ा लार्ज है, और दूसरे प्रश्न पर प्रकाश डाला कि स्पीडी नहीं है इसके कार्यक्रम की शैली, तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सेक्शन 9 आफ दी प्रिन्सिपल एक्ट की ओर दिलाता हूँ। सेक्शन 9 में राज्य सरकार को पर्मिसिबल लिमिट दी हुई है, अप टू 10 ट्रस्टी, चाहे तो दस ट्रस्टी का प्रावधान रखें, अथवा जैसा कहा गया कि बहुत ज्यादः नम्बर यदि राज्य सरकार घटाना चाहे, शुड हैव ओनली सिक्स तो छः तक राज्य सरकार ले सकती है। जब राज्य सरकार पर छः लेने का दायित्व हैं, डिस्क्रिशन है और दस तक रखने का डिस्क्रिशन है तब स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह कहना कि नम्बर बहुत ज्यादा है, न्यायसंगत नहीं है। मैं इस बिल का सेक्शन 9 आपके सामने पेश करता हूँ:

Constitution of Trust—
(1) The Trust shall consist of—
(i) a Chairman,

तीन ले लीजिये दो ले लीजिये–

(b) "Such other persons not exceeding five in number, as the State Government may, in relation to a Trust, think fit."

तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, यह तो बिल की भाषा आपके सामने रखी, मैं ओरिजनल बिल के एक्सट्रेक्ट्स भी आपके सामने रखता हूं, आप छः तक इस नम्बर को रिड्यूस कर सकते हैं:

A Chairman, two members of the Municipal Board, if any, having authority in the urban area, Chief Town Planner or his nominee and other persons not less than two and not exceeding six other members of whom one shall be a person belonging to a sbeduled caste or scheduled tribe.

तो यह ले लीजिये, यह छः नम्बर हो गया आपका। तो आप नम्बर के विषय को उसमें उल्लेखित करके यह कहें कि नम्बर बहुत ज्यादा है जब कि नम्बर का प्रश्न आप पर आधारित है। तो आपके आब्जेक्ट्स में यह दिया गया है, यह उसको डिफीट करता है। छः तक आपकी सीमा है।

Should have only six or permissive limits upto.....

यह आब्जेक्ट को डिफीट करता है। दूसरा मैं यह अर्ज कर रहा था। आपने अपने ओब्जेक्ट्स में लिखा है–

These social objectives could be achieved by altering the constitution of Urban Improvement Trusts and by constituting these bodies smaller and afresh. The existing provisions contained in the said Act did not empower the State Govt. to alter the consti-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

tution of Improvement Trusts in public interest or to re-constitute them before the expiration of the term of their Chairmen and other Trustees.

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ओब्जेक्ट्स में यह लिख दिया। मैं एक्ट में उसका उल्लेख चाहता हूं Tenure of office

आपने इस बिल में प्रावधान किया है, अपने एक्ट में किया है ? आपने दायित्व अपने पर लिया हो कि हम इस ट्रस्ट को रिकान्स्टिट्यूट करते हैं या आल्टर करते हैं कान्स्टियूशन में। ये पावर्स आपके इस बिल में हैं या नहीं ? इसलिए मैं कहता हूं कि इन दोनों के अभाव में जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं वे फुलफिल नहीं होते हैं।

तीसरा प्रश्न मैंने यह कहा कि यह हैपहैजार्ड है, जिन परिस्थितियों में हैपहैजार्ड वे में यह गुजारा है, इस आर्डिनेन्स को लाया गया है, इस एक्ट में देखिये उसमें टैन्योर आफ आफिस आपके चेयरमैन का, ट्रस्टीज का कितने साल रहेगा उसका प्रावधान है? और यहां आपने ओमिट किया है सेक्शन 13 को। वह सेक्शन 13 क्या है:

Commencement of term of office of first Trustees—

(1) The term of office of the first Trustees shall commence on such date as shall be notified in this behalf by the State Government.

(2) A person ceasing to be a Trustee by reason of the expiry of his term of office shall, if otherwise qualified be eligible for reappointment or re-election.

मैं यह उल्लेख करना चाहता था कि यह कमेन्स कब हुआ। आपने एक्स्ट्रा ओर्डिनरी गजट में इसको शाया किया है कि कलेक्टर इस ट्रस्ट का चेयरमैन होगा। कलेक्टर के हो जाने के बाद कौनसा प्रोविजन ओर्डिनेन्स में है कि जिससे स्टष्ट हो सके कि

"Shall commence on such date as notified by the State Govt. in this behalf."

इसका मतलब है कि आपका ट्रस्ट बन गया, कान्स्टिट्युशन बन गया चेयरमैन हो गया, ट्रस्टी बन गये लेकिन आपके पास कोई प्रावधान नहीं है जिससे नोटिफिकेशन जारी करके संकेत दे सकें कि उस तारीख से उनका टैन्यौर ओफ ओफिस जारी होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि आपका यह ओर्डिनेन्स अस्पष्ट है और अस्पष्ट इसलिये है कि आपने ट्रस्टीज की अवधि का इसमें दिया है "The Trust shall consist of a Chairman...."

और आपने इधर ओमिट किया है सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 है Term of office of Chairman--

"The term of office of the Chairman shall ordinarily be three years.

12. Term of office of other trustees--Subject to the forgoing provisions' the term of office

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

of every Trustee elected under clause (b) of sub-section (1) of sec. 9 shall be three years or until he ceases to be a member of the Municipal Board which-ever period is less, and of every Trustee appointed under....

इस ओर्डिनेन्स में ट्रस्टी या चेयरमैन या जो भी हैं वे इसमें बन गये, वे इटरनल हो गये, शाश्वत हो गये, उनको हटाने का कोई प्रश्न नहीं है, डिजोल्व करने का आपको अधिकार नहीं है, कब से शुरू होते हैं उसका भी अधिकार नहीं हैं। एक दफा मनोनीत कर दिया। उनका कोई शासक नहीं। सेक्शन 13 किस कारण से ओमिट किया है, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि हैफहैजर्ड वे में ड्राफ्ट किया हुआ यह ओर्डिनेन्स है।

दूसरे प्रश्न पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कलेक्टर के लिये आप ने इसमें कहा है कि ट्रस्टीज का नम्बर ज्यादा है, कार्य संचालन को गति देना चाहते हैं यह ओब्जेक्ट है आपका। आपने गति क्या दी? 6 को ओर्डिनेन्स प्रमलगेट हुआ और 7 तारीख को आपका नोटिफिकेशन है।"

In exercise of the powers conferred under sec. 9 of the Rajasthan Urban Improvement Trust 1959, the State Govern-ment hereby appoints the Colle-ctor as Chairman of the Improvement Trust.

अलग अलग स्थानों पर। यह 7 तारीख का है। कलक्टर को बना दिया चेयरमैन। ओर्डिनेन्स में यह दिया है

Composition of the Trust-Constitution of the Trust. The Trust shall consist of a Chair-man and such other persons not exceeding five in numbers, as the State Government may, in relation to a Trust, think fit.

7 तारीख को आपने कलक्टर को बनाया और जनवरी 7 तारीख के बाद आप किस प्रकार से गति देना चाहते हैं? आप कहते हैं हम सदस्य रखना चाहते हैं। जनवरी के बाद कौन से ट्रस्टीज को नोमिनेट किया? इसलिये मैं कहता हूं कि आपने चेयरमैन बना दिया और चेयरमैन बना देने के बाद भी कब से कमेन्स करेंगे उसका कोई क्लाज नहीं है और आपके कोई ट्रस्टीज नहीं हैं। उस अभाव में, इन दो परिस्थितियों में चेयरमैन को कार्य करने का अधिकार किस प्रकार है और उसके पास कोई ट्रस्टीज नहीं हैं, एक सिम्बोलिक आधार पर हैं आपने मुकर्रर कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा ट्रस्ट को गतिशील करने की नहीं थी और आपने इन प्रावधानों में ट्रस्टीज नहीं बनाये और इतना समय आपने निकाल दिया।

दूसरा प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर चेयरमैन हो सकता है या नहीं। मूल एक्ट का सेक्शन 53 "Compensa-tion for compulsory acquisition of land." इस ट्रस्ट में जमीन को एक्वायर करने का प्रश्न बहुत कुछ कलेक्टर पर आधारित है और वह एक्वोजिशन करने का अधिकारी है या एक पार्टी की तरह है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
उसका रिलेवेन्ट पोर्शन आपके सामने रखना चाहता हूं कम्पन्सेशन के सम्बन्ध में।

"When no such agreement is reached, the State Government shall refer the case to the Collector for determination of the amount of compensation to be paid for such acquisition as also the person or persons to whom such compensation shall be paid......

इसलिये मैं कह रहा था कि आपके ट्रस्ट का कम्पोजिशन पूरा हो जाता है कलेक्टर चेयरमैन हो जाता है उसके बाद भी कम्पन्सेशन की प्रोब्लम हल नहीं होती है क्योंकि कलेक्टर स्वयं कम्पन्सेशन को हल करने वाला अधिकारी है। इसलिये मैंने कहा कि आपका यह आर्डिनेन्स इन्कम्पलीट, इमपरफेक्ट एन्ड असामयिक है। अब आपने न जाने किन परिस्थितियों में इस आर्डीनेन्स को लिया। मैं समझता हूं कि पुरानी गवर्नमेंट चले जाने के बाद नई गवर्नमेन्ट का शुभारम्भ हुआ और अगर मैं स्थिति का ठीक तरह से निराकरण करूं तो जुलाई में सुखाड़िया सरकार का अन्त तो नहीं कहना चाहता लेकिन विथड्रावल हुआ, स्वेच्छा से विथ्ड्रावल हुआ सुखाड़िया सरकार का और जुलाई में ही बरकत्त सरकार का शुभारम्भ हुआ। तो मैं पूछना चाहता था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स और अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट जुलाई से लगातार जनवरी तक, 6 महीनों तक, उन्हीं परिस्थितियों से गुजरते रहे जिसके लिए आप सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीनों में वंचित हुए हैं। इन दो महीनों में आपको चिंता हुई कि ये गतिशील नहीं हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। उन 5–6 महीनों में जब इस एक्ट की तरफ आपका ध्यान नहीं गया तो 6 महीनों में एक्ट की स्थिति क्या थी? इसलिए मैं कहता था कि आप इधर तो जन प्रतिनिधियों को बहुत दाद देते हैं और हर प्रश्न पर आपका जन प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का उद्देश्य रहता है। उनके प्रति आपका एक उद्देश्य और रहता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को पर्याप्त मात्रा में उनका हर बोडी में प्रतिनिधित्व हो। मैं आपका ध्यान सेक्शन 9 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर आपने इसको अमेंड करके किसका भला करना चाहा है, इसके द्वारा। इस एक्ट का सेक्शन 9 है :—

Two members of the Municipal Board, if any, having authority in the urban area.

दो सदस्य नगरपालिका से लिया करते थे, एक Chief Town Planner and other persons not less than two and not exceeding six other members of whom one shall be a person belonging to a scheduled caste or scheduled tribe.

आपका यह कम्पोजीशन, कान्स्टीट्यूशन इस आधार पर बना था कि नगरपालिका और ट्रस्ट के जूरिस्डिकशन में कभी कभी गंध हुआ करती थी। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, उनको साथ बिठाने से गति मिलती है और सुविधा मिलती है। आपने जन प्रतिनिधियों को, जो नगरपालिकाओं को

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रिप्रेजन्ट करते हैं, जो म्यूनिसिपैल्टी के आधार पर चुनकर आए हैं, आपने उनको विलोपित कर दिया। इसलिए आपका आर्डीनेन्स अन-डेमोक्रेटिक है। आप जन प्रतिनिधियों को स्थान नहीं देना चाहते और खास तौर से ऐसे मसलों पर जब जुरिस्डिक्शन कभी म्यूनिसिपैल्टी की तरफ बदलता रहता है या कभी ट्रस्ट की तरफ बदलता रहता है, उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति इसमें होता है तो म्यूनिसिपैल्टी के होते हैं। ऐसा करके मेरा विश्वास है कि राजस्थान की बहुत सी नगरपालिकाओं में कांग्रेस है और यदि कांग्रेस है तो उसमें आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए था अगर नगरपालिकाओं के जन प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते।

इसके अतिरिक्त आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को समाप्त किया है। इस सदन में ऐसे प्रश्न जब कभी आते हैं तो माननीय सदस्यों को अगर वह रुचिकर लगता है तो वह बेंचिज को थपथपाने लगते हैं लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों को आपने निरस्त किया जब कह रहा हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों को निरस्त किया और आपने अपने पर एक आटोक्रेटिक पावर ले ली-राज्य सरकार स्वेच्छा से जिन्हें मनोनीत करे-वह सदस्य इसमें ले लिए जाएं, तो यह आपकी भावना है। यह जनतंत्रीय भावनाओं के विरुद्ध है और यह मोडल, आज तक जितने एक्ट्स दूसरे राज्यों के हैं, उनके प्रतिकूल है और प्रावधानों की तरफ आप ध्यान दें या नहीं लेकिन नगरपालिकाओं के सदस्य, जिनको आपने हटाया है, उनको हटाने से नगर में एक गंध पैदा हुई, गति में शून्य आया, जनप्रतिनिधियों के प्रति अन्याय हुआ और साथ ही शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों, के सदस्यों को जो आपने हटाया है, वह आपकी स्वेच्छा का परिचायक हो सकता है, जनतांत्रिक पद्धति का नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि और प्रश्नों पर मौन रहें लेकिन जहां तक नगरपालिकाओं के सदस्यों का सम्बन्ध है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर का है, उनके प्रिविलेजिज का है, डेमोक्रेसी की रक्षा का है। इसलिए इनको हटाकर आप सोचें कि 9 आदमी स्वेच्छा से राज्य सरकार मनोनीत करदे और ट्रस्ट चलाया जाए और उसमें गति आ जाए, यह आपका भ्रम मात्र है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह आर्डिनेन्स हैफहैजर्ड वे में ड्राफ्ट किया गया है। इसलिए यह प्रावधान गतिशून्य है कई मसलों पर अपने आप में मौन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यानपूर्वक इस पर सोचें।

मैं अर्ज कर रहा था कि किन स्थितियों में यह आर्डीनेन्स आया। मुख्य मंत्री ने कई बार स्टेटमेन्ट दिए। उन्होंने कहा कि हम इस ट्रस्ट को डिजोल्व करना चाहते हैं, डिजोल्व कर देंगे। स्टेटमेंट देते समय उनका खयाल नहीं था कि डिजोल्व करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं या नहीं और बिना एक्ट को देखे हुए, यह स्टेटमेन्ट गया और स्टेटमेन्ट जाने के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

बाद प्रश्न आया कि क्या हम डिजोल्व कर सकते हैं? उस संदर्भ में मेरे खयाल से आपके विभाग में इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच पड़ताल से पता चला कि डिजोल्व नहीं किया जा सकता। और एक उपाय आपके सामने था कि आर्डीनेन्स को प्रमलगेट किया जाए। अन्य आर्डीनेन्स की मखौल शायद इस स्तर पर नहीं है जैसी कि इस आर्डीनेन्स की हुई है। मामूली प्रश्नों पर आर्डीनेन्स आते रहे हैं और यह आर्डीनेन्स ऐसा है कि 6 महीने मौन रहे हैं और केवल चुनाव के दो महीने पूर्व इस आर्डीनेन्स का आना स्वयं इस बात को सिद्ध करना है कि परिस्थितियां कुछ भिन्न हैं। संविधान की धारा 213 है कि अगर विधान सभा सेशन में न हो: If the Government is satisfied that circumstances exist which render necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require,'

क्या Circumstances exist करती थीं और इमीजिएट एक्शन का क्या आधार था? और जो सदस्य थे उनकी मेम्बरशिप कब खतम होती थी, कभी मूल्यांकन किया गया? मेरा विश्वास है कि एक दो महीने में अपने आप असेम्बली आने वाली थी। एक दो महीने न ठहर कर आपने आर्डीनेन्स के द्वारा यह दिखाया कि हम गतिवान हैं, आपने एक चेयरमैन को मुकर्रर कर दिया, ट्रस्ट कम्पोज नहीं किया गया और कम्पोज न करने की गति शून्यता इस कम्पोजीशन में है तो क्या सरकमस्टान्सेज थे जिनके आधार पर आपने आर्डीनेन्स ले लिया और उसके बाद आपने कोई गति इन न्यासों को नहीं दी। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कम से कम अध्यक्ष महोदय, मैं तो अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता था पर अब तो उपाध्यक्ष महोदय आ गये हैं। खैर, तो उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स के मामलों में इस सदन में कई बार आलोचनायें हुई हैं और इन्हें साधारण नहीं समझना चाहिये। आर्डिनेन्स के लिये जरूरी है कि कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी सरकमस्टान्सेज होनी चाहिये और अगर एक्स्ट्रा आर्डिनरी सरकमस्टान्सेज नहीं है तो राज्य सरकार को आर्डीनेन्स इश्यू नहीं करना चाहिये। ये जो आर्डिनेन्स इश्यू हुआ है इसमें कोई खास रीजन्स नहीं दिये गये हैं। इसके लिये मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह आर्डिनेन्स आया तो ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, कि आर्डिनेन्स लाया जाय और न ऐसा कोई आधार बनता था कि जिससे इतनी जल्दी बाजी की जाय कि जिससे राज्य सरकार को आर्डिनेन्स लाना पड़े। इस प्रकार के राज्य सरकार के कार्य अन-डेमोक्रेटिक होते हैं। इससे तो अच्छा यही होता कि राज्य सरकार इस पर विधान सभा में बिल ले आती। वैसे कोई ज्यादा समय भी नयी विधान सभा के आने में नहीं था। अगर विधान सभा में इस पर कोई बिल आ जाता तो मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इतनी गड़बड़ी नहीं होती जितनी की इस आर्डिनेन्स को निकाल कर आपने नगर विकास न्यासों के अध्यक्षों से शक्ति छीन कर आपने कलेक्टर्स को दे दी। इससे इतना जरूर हुआ कि ऐसा करने से न्यासों की गति अवरुद्ध हो गयी।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
वैसे तो इसका संकेत पहले ही जब मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया कि राज्य सरकार इन नगर विकास न्यासों को डिजोल्व कर रही है। इस स्टेटमेन्ट से नगर विकास न्यासों के जो चेयरमैन थे जो कि ज्यादातर कांग्रेसी ही थे उन्हें इस चीज का भान हो गया कि अब जल्दी ही हमारी शक्ति छीन ली जायेगी, उन्हें यह समझ में आगया कि अब वह दिन दूर नहीं है जबकि हम अपदस्थ कर दिये जायेंगे और हमारी सत्ता जो भी है वह चली जायेगी।

तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय जो भी चेयरमैन होता है वह जो भी कर सकता है वह कर सकता है। अतः मैं राज्य सरकार को आपके मारफत सुझाव देना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिये था। क्योंकि इस स्टेटमेंट से जितने भी चेयरमैन थे, पूरे राजस्थान के चाहे वह भीलवाड़ा का हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे चित्तौड़ का हो या चाहे बीकानेर का हो आप सभी न्यासो का अगर प्रत्येक का मूल्यांकन करें तो आपको पता लगेगा कि इस आर्डिनेन्स निकालने के पहले जो संकेत मुख्य मंत्री द्वारा न्यासों को डिजोल्व करने का आया था उससे उन चेयरमैनों ने कितने ही ट्रान्जेक्शन्स कर डाले। वे चाहे लीगल थे या इल-लीगल ? और इसका प्रभाव राज्य के प्रशासन पर भी पड़ा। जैसा कि अपने मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि किसी भी कार्य करने से पहले जनता का मत ले लेना चाहिये, जनता को पता लग जाना चाहिये कि राज्य सरकार क्या करने जा रही है, जनता के लिये। इसके लिये मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार जो राज्य में प्रापर्टी सीलिंग पर कानून आने वाला है उस सम्बन्ध में भी कि जब यह कानून आयेगा इसके पहले लोग क्या क्या काम कर लेंगे उसका तो पता प्रापर्टी सीलिंग कानून बनने के बाद लगेगा कि इस तरह के स्टेटमेन्ट देने से कितना नुकसान होता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जब चुनावों में करीब एक माह-सवा डेढ़ माह बाकी था जबकि सारे राजस्थान के ट्रस्टों के चेयरमैनों को खतम किया गया क्योंकि सदस्य तो ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नहीं होते हैं पर चेयरमैन इन न्यासों के जो भी थे ज्यादातर कांग्रेसी थे और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे जिन्हें चेयरमैन बनाया गया था। ये चेयरमैन चूंकि भूतपूर्व सरकार द्वारा बनाये गये थे और वर्तमान सरकार को यह भी एक प्रकार का भय था कि हो सकता है ये वर्तमान चेयरमैन हमें चुनावों में कुछ नुकसान कर दें। तो उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मेरे ख्याल से यह नीति के पोईन्ट से ठीक नहीं हो पर राजनीति के पोईन्ट से अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे आप इसे ठीक कह दें। क्योंकि राजनेता लोग चुनावों के वक्त इस प्रकार की राजनीति अपना कर अपने चुनावों में फायदा उठाते हैं मगर नगर विकास न्यासों के डिजोल्यूशन से सभी जगह फायदा हो वह बात नहीं है। चुनावों के थोड़े दिनों पहले जब मैं जोधपुर में था तो वहां पर वहां के नगर विकास न्यास के अध्यक्ष श्री तारकप्रसाद ने एक पार्टी दी थी उस वक्त मैं भी वहीं था तो मैंने उन्हें कहा कि ये पार्टी आपके कहीं विपरीत नहीं पड़ जाय। और उसके थोड़े दिन बाद नगर विकास

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

न्यास जो भी थे उन्हें डिजोल्व कर दिया गया। और हो सकता है उसका लाभ चुनावों में राज्य सरकार के मंत्री महोदयों को या कांग्रेस को हुआ होगा पर डेमोक्रेसी को ध्यान में रख कर ऐसा कार्य करना मैं उचित नहीं समझता। दूसरे जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस आर्डीनेन्स के जरिये जो नगरविकास न्यास समाप्त हुए है और जो मोडल बाद में इसका बना है वह मोडल भी ठीक नहीं है। इसके लिये अच्छा होता कि आप इसका मोडल और दूसरी जगह से न मिला करके या कोई दूसरी जगह से मोडल मगाकर उसको ध्यान में रखकर उसके बेसिस पर करते तो अच्छा रहता। क्योंकि इसमें जो खास कमी है वह यह कि सरकार ने जन प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं रखा और दूसरे जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों का जो प्रतिनिधित्व उसमें होता है वह आपने नहीं रखा है जो कि अन-डेमोक्रेटिक है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मेरे इस प्रस्ताव पर विचार किया जाये। दूसरे जो यह मैंने प्रस्ताव रखा है कि यह जो आर्डिनेन्स आया है उसे अस्वीकार किया जाये इस सदन में। क्योंकि इसके प्रोविजन्स ही अन-डेमोक्रेटिक है और उन प्रोविजन्स की क्रियान्विति होना भी असम्भव है। बस इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(श्री परसराम मदेरणा के खड़े होने पर)

अभी परिनियत संकल्प ही चल रहे हैं। श्री गिरधारी लाल।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्डिनेन्स राज्य सरकार द्वारा इस सदन में स्वीकार करने के लिये रखा गया है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे अस्वीकार किया जाये। क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि इन यू. आई. टीज को भंग किया जाय। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जब देखा कि जो यू. आई. टीज. बनाई गई थी उनके अध्यक्ष पद पर सभी कांग्रेसी ही थे और उन्होंने जब कोई काम नहीं किया और इधर चुनाव आगये तो राज्य सरकार के पास इसके लिये कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था कि वह इन्हें भंग करदे। राज्य सरकार ने उन्हें भंग करके, चुनावों में अपनी सत्यता का लाभ उठाने के लिए कलेक्टर को इसका चेयरमेन बना दिया और उससे चुनावों में लाभ उठाया। इधर तो उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार ने अध्यक्षों को हटाकर उन न्यासों का चेयरमेन कलक्टर को बना दिया और उधर राज्य सरकार ने इनके मेम्बर जो दूसरे होते थे उनके नाम का डिक्लेरेशन नहीं किया इससे जो पहले मेम्बर थे वह यह समझते गये कि हम तो अभी भी न्यास के सदस्य हैं सिर्फ चेयरमेन को ही हटाया गया है इस तरह दस पन्द्रह दिन तो वे इस ही विचार में रहे कि हम सदस्य है लेकिन बाद में जब परिस्थितियां विपरीत हुई और बाद में राज्य सरकार के खिलाफ में लोग कोर्ट में भी गये पर कुछ नहीं हुआ। और राज्य सरकार ने कलैक्टर्स के मारफत चुनावों का लाभ उठाया। दूसरे आपने यह जो आर्डिनेन्स इश्यू किया है और जिसे स्वीकार कराने आप इस सदन में लाये हैं उसमें सारे में चेयरमेन ही चेयरमेन लिखा हुआ है और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कलेक्टर का नाम तो कहीं नहीं है। इस के अलावा इसमें न तो कोई टाउन प्लानर के सदस्य होने की बात है न ही कोई पब्लिक का ही उसमें प्रतिनिधित्व ही है। यह तो एक प्रकार से राज्य सरकार ने अपना अधिनायकवाद होने का उदाहरण रख दिया है। इसमें जो चेयरमैन के अलावा जो छः सदस्य हैं वे नहीं है। बस सभी कलक्टर को ही कर दिया ताकि राज्य सरकार को लाभ होता रहे। यों तो इसमें कई खामियां हैं और आप चूंकि मेजोरीटी में हैं इसे पास करवालें। परन्तु यह जनतन्त्र का एक तरह से गला घोटना है क्योंकि मूल जो आर्डिनेन्स आया है वही गलत है इसलिये मैं इस सदन को प्रार्थना करता हूं कि इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने तथा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान की धारा 213 के तहत एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट अमेण्डमेण्ट आर्डिनेन्स, 1972 को अस्वीकार करने की बात कही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया इसमें अवधि के बारे में उल्लेख है यह सही है कि पहले एक्ट की धारा 11 के अन्दर चेयरमैन की टर्म थी और 12 में ट्रस्टीज की टर्म का प्रावधान था। चूंकि राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि न्याय आज जिस धीमी गति से काम कर रहे हैं उससे समस्या का हल नहीं हो पावेगा और नगरों का विकास अवरुद्ध हो जावेगा तो इस समस्या के हल के लिए इस ट्रस्ट को रिकान्स्टीट्यूट किया जावे ताकि इस काम में तीव्र गति आ पावे। अब चूंकि चुनावों के दिन थे और सरकार गति लाना चाहती थी, इसलिए यह आर्डिनेन्स लाया गया। लोगों की मांग थी कि जल्दी से जल्दी योजनाएं बनाकर लोगों को आवासीय भू-खण्ड दिये जावें। सात जनवरी के बाद पहले चेयरमैन का नामीनेशन जयपुर में हुआ फिर दूसरे सदस्यों को भी नामीनेट कर दिया गया, जिनका नामीनेशन 20 जनवरी को किया गया। इसलिए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना कि ट्रस्ट कान्स्टीट्यूट नहीं हुआ यह सही नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सारे नगरों के ट्रस्टों के लिये कर दिया गया है?

श्री परसराम मदेरणा : सब जगहों के लिये कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर नगर के लिये कब किया गया?

श्री परसराम मदेरणा : यह क्वेश्चन आवर तो है नहीं। आप बाद में पूछ लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे ख्याल से नहीं किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : गजट नोटिफिकेशन मेरे पास है।

आगे यह कहा गया कि नगरपालिका के प्रतिनिधि इसमें नहीं हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : नान ग्राफिसियल हैं या ग्राफीसियल ही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रापका जवाब बाद में दूंगा। नगरपालिका के प्रतिनिधि नहीं हैं, यह कहा गया। यह सही है। इसमें रखे जाने का प्रावधान भी नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में है उसके लिये रखना नहीं रखना इनके लिये सरकार के पास वास्ट डिस्क्रेशन है। शिड्यूल कास्ट ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भी रख सकते हैं ग्रौर उपयुक्त ग्रवसर ग्राने पर रखेंगे भी इसका जो सुझाव ग्राया है। उसका मैं स्वागत करता हूं। राज्य सरकार भी पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देती रहेगी।

एक माननीय सदस्य : ग्रभी तो नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो कह रहा हूं कि जब उचित समझा जावेगा एप्रोप्रियेट टाइम पर रख दिया जावेगा।

ग्रागे चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेन्ट का हवाला दिया गया। कहा गया कि स्टेटमेन्ट देने के काफी दिनों बाद ग्राडिनेन्स प्रोमलगेट किया गया जिसके परिणामस्वरूप कई इल–लीगल ट्रान्जेक्शन्स हो गये। ग्रब सरकार ने जिनको ट्रस्ट सौंपे थे ग्रौर जिन ब्लक ने ट्रस्ट किया था वे ग्रगर ऐसा करते हैं या किया है तो यह बड़े खेद की बात है। मावली से ग्राने वाले माननीय सदस्य भी ग्रध्यक्ष रहे हैं ग्रब ग्रगर जिस दिन ग्रापका चुनाव हुग्रा तब से दूसरों के चुनाव के समय तक ग्रगर ग्राप ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं तो यह ग्रापके लिये सोचने की बात है उसी तरह यह उनके लये सोचने की बात थी।

ग्रब यह चेन्ज करना जरूरी था। जयपुर से ग्राने वाले पहले वाले माननीय सदस्य ग्रौर ग्राज नये ग्राये माननीय सदस्य भी कहते हैं पहले वाले भी कहते ग्राये थे कि जयपुर में बहुत कम प्लाट ग्रलाट किये गये हैं जयपुर नगर तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए प्लाट ग्रलाट करने के काम में भी तीव्रता ग्रानी चाहिये ग्रौर योजनाबद्ध तरीके से यह काम तेजी के साथ पूरा किया जाना चाहिये तो सरकार ने भी इसको महसूस किया ग्रौर इसीलिये पब्लिक इन्टेरेस्ट में सरकार ने यह कदम उठाया है।

यह भी कहा गया कि ग्रार्टिकल 213 के ग्रन्तर्गत यह ग्रावश्यक क्यों था। इसका जैसा मखौल किया गया पहले कभी नहीं किया गया। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि जब सेशन ग्राता है तो ग्राठ दस ग्राडिनेन्स सदन में पेश होते हैं। ग्रब मैं समझता हूं इस बार केवल तीन ग्राडिनेन्स ग्राये हैं। एक ग्रा चुका है। दूसरा यह है। तो सरकमस्टान्सेज ऐसे थे कि इसकी जरूरत महसूस की गई। चुनावों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था, कहा गया कि इससे लाभ उठा लिया। पर यह कतई गलत है। जनता ने स्वयं ने ग्रपना मेन्डेट दिया है हमारी नीतियों से सहमत होकर। दूसरे प्रदेशों में भी यही हुग्रा है। तो ग्रगर इस ग्रार्डीनेन्स से ग्रन्तर ग्राया होता तो फिर दूसरे प्रदेशों में कैसे ग्राया? तो यह कोई कारण नहीं है। राज्य सरकार ने इस दृष्टि से ट्रस्ट को रिकान्स्टीट्यूट नहीं किया है। ग्रब ग्रगर किसी जगह कोई इल्लीगल काम हुग्रा हो तो स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज मेरी जानकारी में लाये जावेंगे तो मैं उनको देखूंगा ग्रौर उनकी पूरी जांच कराने का ग्राश्वासन भी सदन में देता हूं।

(श्री परसराम मदेरणा)

इस उत्तर के साथ, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि इन ट्रस्टों को रिकान्स्टीट्यूट करना आवश्यक था।

इसलिए जो प्रस्ताव मावली से और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने सदन में प्रस्तुत किया है उसको सदन अस्वीकार करेगा। मैं उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि···

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न मुझे यह पूछना है कि टेन्योर आफ आफिस के बारे में कुछ नहीं कहा गया। कब तक रखेंगे इन चेयरमेन को। अब आपने जो जवाब दिया है वह जवाब के खातिर दिया है केवल। अतः मैं फिर से निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे को फिर जांच लें। मैंने और भी कहा है कि इसको डिजोल्व करने के प्रावीजन में और नोटिफिकेशन में कई खामियां हैं तो इन खामियों को दूर करके फिर आप अमेण्डमेन्ट लाइये। यही निवेदन करना है।

श्री परसराम मदेरणा : टर्म्स के संबंध में मैं निवेदन कर चुका हूं कि कोई प्रावधान नहीं किया है चूंकि बहुत से सदस्यों का टर्म बाकी था जो नगरपालिका के सदस्य होने के कारण इसके सदस्य थे तो इसलिए इसमें टर्म का उल्लेख नहीं किया। वैसे जब चाहें तब नामीनेट कर सकते हैं। और इस तरह जब से नोटिफिकेशन निकालेंगे तब से टर्म समझी जावेगी यह समझते हैं। अब जो ठीक तरह से काम कर रहे हैं ट्रस्ट के लोग उनको भी रख सकते हैं दूसरों को भी नामीनेट कर सकते हैं। तो इन कारणों से टर्म्स का प्रावधान नहीं रखा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य और गिरधारीलाल भार्गव ने संकल्प प्रस्तुत किया है कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 1972 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1972) को अस्वीकार करता है" को स्वीकार किया गया।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री रोशनलाल शर्मा : हां पक्ष नहीं साहब, ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : सौरी, सौरी। ना पक्ष जीता। मैं दुबारा बोल देता हूं। प्रश्न यह है कि जो संकल्प सर्व-श्री निरंजननाथ आचार्य और गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1962 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय या नहीं लिया जाय?

Page No 54

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

खन्ड (1) मे कोई संशोधन नहीं है।

खन्ड (दो) में श्री राजेन्द्रसिंह, श्री निरंजन नाथ आचार्य संशोधन पर बोलेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री निरंजन नाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथआचार्य (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूं यह समझते हुये कि अब शायद माननीय मंत्री महोदय को सद्मति आ जाय। उस वक्त तो उन्होंने, उस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में जैसा है वैसा है, यह जवाब था लेकिन मेरा खयाल है उसके बाद उन्होंने चिन्तन किया हो कि एक–दो मेम्बर म्यूनिसिपिल बोर्ड के मेम्बर्स में से इलेक्ट किये जांय वे इसके सदस्य हैं। और इसके साथ ही जन प्रतिनिधित्व देने के लिये भी मेरा संशोधन है, मेरा पूरा संशोधन इस प्रकार है।

In clause (b) of sub-section (1) of newly proposed section 8 add the following proviso, namely-—

"Prvoided that out of these five members--

(i) two members of the Municipal Board Council who shall be elected from amongst themselves in the prescribed manner; and

(ii) one member shall be a member of the Rajasthan Legislative Assembly from the area of the trust but if there are more than one member of Rajasthan Legislative Assembly from that area then the State Government shall nominate any one of those Members."

मैं यह संशोधन इसलिये रख रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय हमेशा जनतन्त्र के पक्ष में उसको सुदृढ़ करने में, सजग करने में और जन प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के पक्ष में हमेशा रहे हैं। उस संदर्भ में मैं पुनः उनसे अनुरोध करता हूं कि म्यूनिसिपैलिटि के मेम्बर्स जिनका प्रमुख कार्य होता है ट्रस्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण करने का, ट्रस्ट को सुझाव देने का भी और अधिकार क्षेत्र को ट्रस्ट के अनुसार उस पर निर्णय देने का इसलिये जो आवश्यक अंग है ट्रस्ट और जो आवश्यक अंग सभी प्रान्तों में समझे गये हैं, सभी जगह प्रावधान है मैं समझता हूं उस प्रावधान के विचार को न हटायें और जो मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है राज्य सरकार इस पर गौर कर लेगी। मैं यह कहता हूं आप भविष्य के संदर्भ में इस बात को सोचिये–राज्य सरकार एक पार्टी की कभी रहती है और कभी नहीं रहती है और आप सास्वत रहें फिर भी भविष्य को निगाह में रखते हुये कानून बनाये जाते हैं। उसमें आप जन प्रतिनिधि को न देने का . .

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आन ए पाईन्ट आफ इनफरमेशन सर · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : नो पाइन्ट आफ इनफरमेशन। पाइन्ट आफ आर्डर प्रिविलेज पर आ सकता है लेकिन इनफारमेशन पर नहीं आ सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : पाइन्ट आफ प्रिविलेज ले लीजिये।

एक माननीय सदस्य : कैसे बदलते हैं उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं · · ·

श्री पी. के. चौधरी : अब पाइन्ठ आफ आर्डर ले लीजिये · · ·

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह बदलती दुनियां है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य बदल गये तो ये भी बदल गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो सलेक्ट कमेटी का प्रपोजल था वह आना चाहिये था यह तो आपका पाइन्ट आफ प्रिविलेज था। मैं अपना पाइन्ट समाप्त कर दूं तो मुझे तो अधिकार दे दिया गया है—आई एम आन ए पान्ट आफ प्रिविलेज है मैं यह कह रहा था उसकी भी गति यही होगी। आप खामुखाह इसको रख रहे हैं भविष्य को निगाह में रखते हुये कानून बनाये जाते हैं। यह पहला मौका है जन प्रतिनिधियों को निष्कासित करने का इसलिये है फिर चाहता हूं कम से कम स्थानीय एस. एल. ए. और म्यूनिसिपेलिटि के सदस्य जो इसके प्राण हुआ करते हैं उनका निष्कासन न करें दूसरों की तरह न करें। मेरा खयाल है इस पर आप पुनः विचार करें। इस वक्त न करें यह दूसरा संशोधन आ रहा है प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय वह आवश्यक संशोधन है। जितनी खराबियां है, विकृतियां होंगो वे इस बिल में से निकल जायेंगी। इन शब्दों के साथ में पुनः अनुरोध करता हुआ कि औचित्य के आधार पर नहीं, न्याय के आधार पर करें।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। जो मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है कि सूची के अन्दर जो राजस्थान नहर सुधार संशोधन विधेयक, 1972 है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय यह जो प्रस्ताव है यदि इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाय और यदि यह निर्णय हो गया कि प्रवर समिति को दिया जाय तो मैं समझता हूं बाद के जो संशोधन है उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो प्रस्ताव श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री गिरधारी लाल भार्गव ने रखा है यदि यह नहीं हो सका तो हम फिर क्लाज वाई क्लाज लेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : नियम भी यही है।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक को जब विचारार्थ लिया गया तो श्री रघुनाथ विश्नोई उपस्थित नहीं थे और गिरधारीलाल जी को · · ·

श्री रोशनलाल शर्मा : गिरधारीलाल जो थे, आपने नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : पहले व्यवस्था सुन लें उसके बाद आप कहें।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य रघुनाथ विश्नोई सदन में उपस्थित नहीं है और मैं समझता हूँ गिरधारीलाल जी भार्गव प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये कहने को खड़े नहीं हुये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : आपके आदेश थे और मैंने उनका पालन किया है । अब इसको ले लिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिस समय मैंने इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचारार्थ लेने से पूर्व प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव है, उनको रखना चाहिये था । वे चुपचाप बैठे रहे । आसन के इस प्रकार के आदेश . . .

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो आसन ने आदेश दिये थे उसका पालन मैंने किया । इसकी भी आप आलोचना करें तो मैं समझता हूं . . .

श्री रोशनलाल शर्मा : आसन का नाम पुकारना चाहिये था ।

श्री गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय इसलिये यह चीज तय होनी चाहिये कि पहले सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय या नहीं यह कोई आपकी प्रापर्टी या गवर्नमेंट की प्रापर्टी नहीं हैं । इसमें वहुत सी खामियां है वह दूर हो जायगी । वह रिकार्ड जल्दी आजाय और दूर हो जाय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको डेफर कर दिया जाय फिलहाल ।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (सूरजगढ) : सदा से यही परम्परा रही है । 20 साल से परम्परा चली आ रही है । समाजवाद आयगा या नहीं आयगा परम्परा जरूर आप वदल देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय मैंने मंत्री महोदय को निवेदन किया आप विचारार्थ रखिये और विचारार्थ प्रस्तुत करने के पश्चात् भी माननीय सदस्य रघुनाथ जो विश्नोई उपस्थित नहीं थे और माननीय गिरधारीलाल जी भी बोलने के लिये खड़े नहीं हुये तो मैंने यह समझा कि जो तथ्य और अमेन्डमेन्ट्स हैं वह प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं इसलिये क्लाज बाई क्लाज . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : यह आदेश आसन से होना चाहिये था कि प्रवर समिति को या जनमत जानना चाहेंगे ये आदेश आसन की ओर से होने चाहिये थे ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसको अब ले लिया जाये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि 8 सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं या 9 ने दिये हैं । अब गिरधारीलाल जी कोई ज्योतिषी तो हैं नहीं कि उनको मालूम हो जाये कि उनका नाम नहीं आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मोशन इनकी तरफ से था इसलिए इनको रखना चाहिए था । इन्होंने रखा ही नहीं तो मैं समझता हूं कि आसन यह समझता है कि आप उस को प्रेस नहीं करना चाहते हैं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपने विश्नोई जी का नाम लिया था और गिरधारीलाल जी का नहीं लिया था ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक विचारार्थ लिया जा चुका है और उसे क्लाज बाई क्लाज शुरू कर दिया गया है इसलिए अब वह प्रश्न नहीं रहता है सलेक्ट कमेटी में रखने के लिए ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई बात रह भी गयी हैं और अब ध्यान में आई है तो आप इसको इन-बिटविन भी ले सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं ऐसा समझता हूं कि आसन की तरफ से इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूंगा आसन से कि इसको फिर से ले लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव इस सदन में रखा जा चुका है और इसके लिए सदन ने अनुमति दे दी है कि इसको विचारार्थ लिया जाये तो फिर इस प्रकार से इसको दुबारा नहीं लाया जा सकता ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सलेक्ट कमेटी वाले प्रस्ताव को पहले रखा जाना चाहिए था ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को रद्द नहीं किया है सदन ने ।

श्री रोशनलाल शर्मा : सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को पहले चेयर को रखा जाना चाहिए था ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बाद में इस संशोधन को वापिस सदन में लाया जाये और मावली से आने वाले माननीय सदस्य भी नियमों की जानकारी रखते हैं । मैं समझता हूं कि वह भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि क्या नियमों के अन्तर्गत रखा जा सकता है विचारार्थ लिये जाने के बाद ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं रखा जा सकता है ।

श्री परसराम मदेरणा : हां, नहीं रखा जा सकता है ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में रिलेक्सेशन भी किया जा सकता है और कोई ओमिशन हो गया है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता भी है । मैं समझता हूं कि यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह ओमिशन हुआ है, एक सदस्य नहीं थे और दूसरे सदस्य का कार्य-सूची में नाम था और आसन की तरफ से नहीं पुकारा गया । तो आसन को उन्हें मौका देना चाहिए था और किसी प्रकार से ओमिशन हो गया है तो रूल्स को रिलेक्स कर दिया जाना चाहिए ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स को देख लिया जाये कि विचारार्थ लिये जाने के पहले

(श्री पी. के. चौधरी)
सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव के लिए नाम पुकारा था। जहां तक मेरी जानकारी है विचारार्थ के बाद सलेक्ट कमेटी के प्रस्तावक का नाम लिया था विश्नोई जी का और उसके बाद श्री गिरधारीलाल जी का नाम नहीं लिया गया। 'It is on omission.

श्री गुमानमल लोढा : यदि कोई आपत्ति नहीं करें तो इस प्रश्न को पहले विचार के लिए लिया जाये कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों का प्रश्न नहीं है, यह तो सुविधा का प्रश्न है इसलिए इसको ठीक कर लिया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं को देखते हुए अगर आसन इस प्रकार का आदेश देता है कि जो संशोधन इसको सलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिए रखा है उस पर माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिला है और आसन उनको अवसर देना चाहता है तो राज्य सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तो श्री विश्नोईजी इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए अपना प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र के अन्दर दिनांक 26 अप्रैल, 1972 के पूर्व प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जावेगी)

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि बिल बहुत जटिल है और इसमें बहुत से संशोधन भी हैं मैं समझता हूं कि ऐसे बिल को आज जल्दी में पास कर दिया जाये इसके बजाय अच्छा होगा कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और ज्योंही अगला बजट सेशन प्रारम्भ हो उसके पूर्व प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट जो इसमें संशोधन लाये गये हैं उस पर विचार करके सदन के सामने रखे तो वह उपयुक्त होगा। अब मैं यह चाहूंगा कि प्रवर समिति को यह बिल भेजा जाये उसके पहले मेरे जो संशोधन हैं उन पर भी मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा और सदन से कहूंगा कि मेरे संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : संशोधनों पर बोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो फिर इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और प्रवर समिति आगामी बजट सेशन प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी रिपोर्ट दे दे, ऐसी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, ...

कुछ माननीय सदस्य : मंत्री महोदय नहीं। सदस्य भी अपने विचार रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा। बोलो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारे सामने यह है कि सन् 59 से बराबर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट राजस्थान में चलता रहा है। नगरपालिकाओं के अधिकार जो जमीन के विकास करने के बारे में, शहर की नयी कोलोनीज के विकास करने के बारे में थे उनको अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दिया गया और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में यह प्रावधान किया गया कि जहां नगरपालिकायें हैं उन नगरपालिकाओं के सदस्य चुनकर वहां पर जायेंगे। आज यह जो श्रीमन् के सम्मुख यहां पर विधेयक लाया गया है उसके अन्दर कानूनी एनोमोलीज इतनी अधिक हैं कि हमारा यह विश्वास है कि हमने इसी रूप में इसको पास कर दिया और प्रवर समिति को नहीं सौंपा और इसके ऊपर गम्भीरता से गौर नहीं किया तो न्यायालय के द्वारा इसको स्ट्राइक-आफ कर दिया जायेगा और यहां हमारे सदन का समय भी नष्ट होगा।

प्रवर समिति को जो इस पर विचार करना चाहिए वह यह है कि इसमें जो मूलभूत सिद्धान्त स्वायत्त शासन का है कि चुने हुए प्रतिनिधि विचार करें कि किस प्रकार नगर का विकास होगा कैसी योजनायें बनाई जायेंगी, किस प्रकार से वे कार्यान्वित की जायेंगी उन चुने हुए प्रतिनिधियों का मूलतः इसमें अभाव है और दुर्भाग्य से जिस रूप में लाया गया है वह सरकारी विभाग के नाते जिसको मंत्री महोदय चाहेंगे अध्यक्ष रखेंगे, अपनी मनमानी के द्वारा या अन्य कारणों से जो कारण नगर विकास से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे और जो जनतंत्र को सामने नहीं रखेंगे उनके ऊपर उनका सीक्यूशन करेंगे और उनको हटा देंगे।

दूसरी जो एनोमोली है वह टर्म के बारे में है। टर्म इसलिए नहीं रखा है कि अगर टर्म होगा तो अवधि निश्चित होगी कि तीन वर्ष के लिए है या दो वर्ष के लिए है वह कार्य करेगा अन्यथा मंत्री महोदय की खुशी के ऊपर किसी भी सदस्य को रखा जा सकेगा और हटाया जा सकेगा।

तीसरी एनोमोली यह है कि अब तक यू. आई. टी. में जो सदस्य जाते थे उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी अब इसके द्वारा जो अमेन्डमेन्ट के रूप में लाया जा रहा है वह यह है कि न्यास सदस्यों को अलाउन्स ही नहीं बल्कि तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी प्रवर समिति विचार करेगी कि क्या नगर सुधार न्यास के अन्दर जो सदस्य मंत्री महोदय या सरकार नियुक्त करेगी उनको अलाउन्स के अलावा तनख्वाह भी देकर जनता के ऊपर भार डालेंगी, इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा और विचार गम्भीरता से करना पड़ेगा। जो आर्डीनेंस लाया गया वह विशेष परिस्थितियों में लाया गया और उसके बारे में पहले भी कहा जा चुका है, इसमें दो राय नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उसमें राजनैतिक कारण थे। चुनावों का समय था, उस समय विशेष परिस्थितियां थीं और उन विशेष परिस्थितियों में नगर विकास न्यासों के जो अध्यक्ष थे और उनका जिस प्रकार फार्मेशन था, उस फार्मेशन से हमारी सरकार सन्तुष्ट नहीं थी इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन आज हम शांति के साथ विचार कर रहे हैं तो आज उस भूमिका को छोड़ें और अब यह विचार करें कि राजस्थान की जनता, विशेष तौर से वह जनता जो इनसे इफेक्टेड होगी शहरों के अन्दर, उस जनता को यह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

महसूस होगा कि यह तो सरकार का एक विभाग बन जायगा, डवलपमेंट विभाग का एक हिस्सा बन जायगा। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा इससे ये नगर सुधार की व्यवस्था के लिए ओटोनोमस बाडी न रह कर सरकार का एक विभाग हो गया। इसलिए यह बहुत गम्भीर चिंतन का विषय है। यह नागरिक अधिकारों को एक चुनौती है, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था को एक चुनौती है, यह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एक चुनौती है; उनके अधिकारों पर कुठाराघात होने जा रहा है। हमने संविधान में उनको संरक्षण दिया है, हमने हर कानून में उनको संरक्षण दिया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दो चार स्थान सुरक्षित होंगे लेकिन आज मंत्री महोदय कहते हैं कि मेरी इच्छा होगी तो रखूंगा और मेरी इच्छा नहीं होगी तो नहीं रखूंगा। यह ओटोक्रेसी है, यह एक तरह का अधिनायकवाद है, यह मनमानी का नमूना है। इसलिए हम चाहेंगे, श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इस पर विचार करें, प्रवर समिति इस पर विचार करे। उसमें सभी प्रकार के लोग होंगे। शासन दल के लोग भी होंगे तो विरोधी पक्ष के लोग भी होंगे और साथ में बैठ कर शांति के साथ इस पर विचार करेंगे और उसके बाद जो बिल सदन के सामने आएगा उस पर विचार करके फिर उसको पारित करेंगे।

अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है वह बहुत तर्कपूर्ण, युक्तिसंगत है और समय की आवश्यकता के अनुसार प्रजातन्त्र की मशाल को जलाते हुए जनतांत्रिक प्रणाली को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि इन सारे प्रावधानों पर फिर से विचार करें और विचार करने के लिए इस बिल को प्रवर समिति को सौंपें। इस प्रस्ताव का मैं, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, समर्थन करता हूं और मैं यह निवेदन करूंगा कि सत्तारूढ़ दल इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का प्रश्न है मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं प्रवर समिति में इस बिल को सौंपने का। इस बिल को प्रवर समिति को देने के लिए इसलिए भी आवश्यकता है कि इसमें जो संशोधन चाहे गए हैं वे एक दूसरे के विरोधी हैं। पहले तो यह है कि कलेक्टर को ही चेयरमैन का अवसर दिया गया है। यह जरूरी नहीं है कि सभी जगह केवल जिलों में ही ट्रस्ट हों। ऐसे भी स्थान हैं या ऐसे भी स्थान हो सकते हैं कि जो जिले के हैडक्वार्टर नहीं हों। क्या इसका मतलब यह होगा कि वहां जिले के कलेक्टर या जिलाधीश महोदय ही सभी ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे, वे ही पूरे जिले में उसके चेयरमैन रहेंगे और क्या हम यह समझते हैं कि जिलाधीश को इतना समय मिलता है, कि वह सारी इन समस्याओं को देख कर इसमें गति दे सकेंगे।

इसके अतिरिक्त जिस तरह का इसका कांस्टीट्यूशन होगा, जिस तरीके के आर्बीट्रेरी पावर्स लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह भी उचित नहीं है। केवल सरकारी तन्त्र के अन्दर ही यदि हम यह समझते हैं

(श्री मनोहर कोठारी)

कि हमारे नगरों का विकास हो सकता है या इस तरह के ट्रस्टों की भावनाओं को पूरा किया जा सकता है तो यह उचित नहीं होगा। इसमें सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को अवसर मिलना चाहिए और इसमें टाउन प्लानर का होना भी अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि यदि हम बिना टाउन प्लानर के स्कीमें बनायेंगे तो हैफ-हैजर्ड वे में होंगी, गलत होंगी और इस तरह से नगरों का विकास ठीक तरह से नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर, या ऐसे टाउन्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें अभी तक इस तरह के ट्रस्ट्स का प्रावधान नहीं है। इन सब जगहों पर इस तरह के ट्रस्ट्स के निर्माण करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि जैसे नाथद्वारा है। नाथद्वारा के बारे में मै निवेदन करना चाहता हूं कि नाथद्वारा ऐसा स्थान है, जहां कि इतड़ा बड़ा कस्बा होते हुए, जहां कि हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष बाहर के लोग आते हैं, वहां की गली कूचे सड़ रही है, उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि उस नगर को अच्छी तरह से विकसित किया जाय। इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जब की हिण्डौन जैसी जगह पर अभी तक ट्रस्ट बना हुआ है। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर विचार करने के लिए और वास्तव में ट्रस्टों का निर्माण किस प्रकार का हो, किस प्रकार के अधिकारीगण उसमें हों, किस प्रकार के पब्लिक के व्यक्ति उसमें सम्मिलित किए जायं, आदिवासी और हरिजनों के प्रतिनिधि भी हों, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सम्बन्ध में सरकार ने यह कठिनाई महसूस की कि उसके सदस्यों की संख्या काफी है इसलिए सदस्यों की संख्या कम करने की दलील पेश करते हुए इस बिल को प्रस्तुत किया है लेकिन जो कम्पोजीशन नए ट्रस्टों का बनाया है उसमें स्पष्ट दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी को अधिक से अधिक संख्या में सरकार लाना चाहती है और चुने हुए लोगों को पीछे पटकना चाहती है। इससे लगता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन आज तक इसके निर्माण इसके चैयरमैन के अपोइन्टमेंट, इसके ट्रस्टीज के अपोइन्टमेंट केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से होते रहे हैं। इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो लोग चुनावों में हार गए, जनता ने जिन्हें आउट कर दिया उनको अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। मै तो गंगानगर शहर की बात करता हूं कि सबसे मंहगी जमीन राजस्थान में अगर कहीं है तो वह गंगानगर शहर की है लेकिन वहां पर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं समझो

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गई लेकिन जब वहां की म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर राज्य सरकार के पक्ष के लोग नहीं आ सके या वे हार गए तो कुछ राजनैतिक लोगों को आश्वसन देने के लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाने की बात की गई। आज अगर गंगानगर शहर के चारों ओर दृष्टिपात किया जाय तो जितने करोड़पति सेठ हैं, बड़े 2 जागीरदार, महाराजा हैं, चारों तरफ शहर की जमीन को रोके हुए हैं। एक तरफ राजा करणीसिंह हैं तो एक तरफ सेठ लीला हैं। कोई उमराव एण्ड कम्पनी है। पिछले 25 वर्षों से राजस्थान के सारे शहर उनके चंगुल के अन्दर घुटे हुए हैं लेकिन सरकार ने अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं बनाया, केवल इसलिए कि उन लोगों का राजनैतिक उपयोग होता रहा है, उनके चन्दों के पैसों का राजनैतिक उपयोग होता रहा है, सरकार उनको आश्वासन देती चली गई। कच्ची झोंपड़ियों की, झुग्गी झोंपड़ियों की आबादी बढ़ गई और इन छोटी 2 झोंपड़ियों में रहने वाले आज नारकीय जीवन बिता रहे हैं। श्री शार्दुल मिल की सारी गन्दगी इन झोंपड़ियों के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है लेकिन सरकार किसी प्रकार, किसी दशा में, इनके विकास को गति नहीं दे पा रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर विषय है।

इसमें जो ट्रस्ट्स का कान्स्टीट्यूशन रखा है उसमें चुने हुए मेम्बर तो केवल दो म्यूनिसिपल बोर्ड्स के होंगे। उसमें भी Having any authority in urban improvement.

कई माननीय सदस्य : अब तो यह भी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यानि चुने हुए आदमी किसी तरह से भी अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में प्रवेश नहीं कर जायं, मंत्री महोदय ने चारों तरफ से खिड़की, दरवाजे, मोरियां दबाकर बन्द कर दी हैं कि कोई एम.एल.ए. नहीं घुस जाय, कोई म्यूनिसिपैलिटी का मेम्बर नहीं चला आए, कोई संस्था जो सामाजिक कार्य करती है, उसका कोई आदमी नहीं बैठ जावे और जो दूसरे लोग हैं, हरिजन हैं, जो इन झोंपड़ियों में सैकड़ों सालों से नारकीय जीवन बिता रहे हैं, उनका कोई आदमी नहीं चला आवे। हरिजनों की संख्या यदि अधिक है और अगर सरकार ऐसा बिल लाती जिसमें पचास प्रतिशत इन झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग होंगे तो मैं मानता कि सरकार ने कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण से बिल रखा है। इसमें जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होंगे वे भी पिटे हुए, हारे हुए सदस्य होंगे....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब तो वे भी नहीं है।

कई माननीय सदस्य : अब नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब वह प्रोविजन भी खत्म हो गया। मंत्री महोदय आपको ऐसा ट्रस्ट कायम करना चाहिए था जिसमें 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हरिजनों का, झोंपड़ियों का, झुग्गियों का जो राजस्थान में हैं, उनका होगा। जिसका चेयरमैन कलेक्टर नहीं होकर चुना हुआ व्यक्ति होगा, कोई हरिजन व्यक्ति होगा तब तो मैं मानता कि सरकार ने कोई प्रगतिशील बिल रखा है लेकिन आपने ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से हावी करके एक बड़ा प्रतिक्रियावादी बिल

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सदन में पेश किया है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अदब से अर्ज कर दूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो इस पर विस्तार से विचार करे और इस तरह का अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बिल बनाए जिससे गरीब लोगों को जमीनें मिल सकें, नगरों का भली प्रकार विकास हो सके और चुने हुए लोग उसके अन्दर कार्य कर सकें। इतना ही कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ) बोलने लगे)

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गफ्फारअली।

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीय** : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गफ्फारअली।

श्री **मोहम्मद गफ्फारअली** : (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह गुजारिश है कि बिल का जो यह ढांचा है उससे साफ जाहिर होता है कि नगर विकास न्यास की सदस्य संख्या 7 से कम कर के 5 की जा रही है और इसमें भी सिर्फ आफिशियल ही लिये जायेंगे। दूसरी चीज यह स्पष्ट होती है कि चेयरमैन को जो अलाउन्स होता था उसकी जगह उसको तनख्वाह मिलेगी। इससे यह साफ जाहिर है कि वह गवर्नमेन्ट का नौकर होगा। किसी आई. ए. एस. ऑफिसर को रख कर उसके ऊपर इसका बोझ डाला जायेगा। पहले जो कोई पब्लिक का आदमी आता था तो हम उसको एप्रोच कर लेते थे, उस पर दबाव डालते थे और उससे पब्लिक मीटिंग में मांग करते थे। अब कलक्टर शीशे के महल में बैठा होगा तो हम को यह अवसर प्राप्त नहीं होगा। इस बिल का खास मकसद यह है कि गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि जिसको भी वह बिठाना चाहे उसको बिठा दे और जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल किया जाये और किया जा सके। यह जो मनोवृति हैं उसका सोशलिज्म के नारे से, जो गवर्नमेन्ट देती है, उससे मेल नहीं खाती है। अगर सरकार सोशलिज्म का नारा देती है तो जैसा कि हाण्डा ने यहां पर सजेस्ट किया है....

श्री **योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : यहां पर एक माननीय सदस्य हाण्डा हैं....

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : मेरे से उम्र में छोटा है। यह हमारा घरेलू मामला है....

एक माननीय सदस्य : यहां पर घरेलू मामला नहीं चलेगा....

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह का बिल लाया जाये, जिससे गरीबों के नुमाईन्दे हों असेम्बली के नुमाईन्दे हों, जैसा कि माननीय सदस्य निरंजननाथ आचार्य ने सजेस्ट किया है। इस तरह कि चीज होनी चाहिये। इसलिये मेरी यह अर्ज करना है कि जिस बिल का मकसद केवल यह हो कि जिसमें केवल गवर्नमेन्ट की तनख्वाह लेने वाला कोई हो, तो गवर्नमेन्ट को अपने इस उद्देश्य को साफ कहना चाहिये कि इसमें गवर्नमेन्ट आफिशियल रहेगा और उसमें गवर्नमेंट का

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
हाथ रहेगा। इस तरह का गोल मटोल बिल यहां पर नहीं लाना चाहिये और आप को इस तरह की जानकारी देनी चाहिये कि जिस तरह से आप सोचते हैं, वही दृष्टिकोण यहां पर रखें। यह नहीं हो कि पांच आदमी रखे गये हैं उनमें से चार आफिशियल होंगे और एक बराये नाम का रखा जायेगा। जब सोशलिज्म की बात आप करते हैं और समाजवाद का नारा देते हैं तो आपको गौर करके इसको प्रेस्टिज का इशु नहीं बनाना चाहिये इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें ताकि बिल का सही ढांचा बन सके। मैं इसी प्रयोजन को इस अपील के साथ रखूंगा कि इसे मिनिस्टर साहब अपनी प्रेस्टिज की बात न बनावें और इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें ताकि हम लोग भी अपनी बात वहां पर रख सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाल (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के विरोध में बोल रहा हूं। मैं इसलिये विरोध कर रहा हूँ कि माननीय मंत्रीजी ने जो आर्डिनेन्स जारी किया है और इसमें जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, इसके सम्बन्ध में मैं एक मिनट में निवेदन कर देना चाहता हूं। जैसा कि धारा 9-न्यास का गठन को अन्तर्गत कहा गया है, न्यास अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, जिन्हें राज्य सरकार, किसी न्यास के सम्बन्ध में, ठीक समझे, से मिल कर बनेगा। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा जिन्होंने यह निवेदन किया है कि जिलाधीश को ही इस ट्रस्ट का चेयरमैन रखा जावेगा, तो मैं निवेदन करूंगा कि कहीं पर भी जो बिल माननीय मंत्रीजी ने पेश किया है उसके अन्दर, इसका कोई प्रावधान नहीं है...

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : तनख्वाह का प्रावधान है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : जो धारा 10, 11, 12, 13 तथा 14 का इसमें उल्लेख किया गया है उसके बारे में भी निवेदन करूंगा, यहां पर भी ट्रस्टियों की संख्या के सम्बन्ध में, कितना कुछ मिलेगा उसके बारे में निवेदन है। मेरा प्रश्न यह है और आज ही मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने बताया है, आज जयपुर शहर की जो स्थिति है और जिस ढंग से उसका विकास हो रहा है, उसको ध्यान में रख कर यदि द्रुत गति से तालमेल नहीं बिठाया गया तो ये झोंपड़ी वाले हजारों लोग आपके यहां की योजना के अभाव के कारण तकलीफ पा रहे हैं और पाते रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जयपुर नगर विकास न्यास ने पिछले 10 15 वर्षों में सिर्फ 2200 भू-खण्डों का आवंटन किया है जब कि पांच हजार से अधिक मकान नाजायज तौर पर जयपुर शहर के अन्दर बनाये गये हैं। उपाध्यक्षजी, मैं एक बात मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि जयपुर की कच्ची बस्तियों के अन्दर वे नल बिजली का इन्तजाम करवा देंगे क्या हुआ इसका ? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस घोषणा पर अमल करने के लिये आप शीघ्र से शीघ्र

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
ट्रस्ट का गठन करें। उसमें शहर के बुजुर्ग सदस्य हों, विधान सभा के भी सदस्य हों। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को धारावार आज ही विचार कर पारित किया जाये और इसमें और अधिक विलम्ब नहीं किया जाये। जब से नगर विकास न्यास को भंग किया गया है ब्यूरोक्रेसी का शासन हो गया है। थोड़ा बहुत उस समय काम होता था वह काम भी अब रुक गया है और आज हमें यह कहते हुए शर्म आती है कि मुख्य मंत्रीजी ने 31 दिसम्बर को जो यह घोषणा की थी वह घोषणा ब्यूरोक्रेसी ने क्रियान्वित नहीं की है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ और आपको इसे नजरअन्दाज रखते हुए ट्रस्ट का गठन करना चाहिये। इस सदन के प्रति आप जिम्मेदार है और आप यह कह कर नहीं चल सकते कि ये स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं और इनमें हम अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आज जबकि जयपुर के नागरिकों के दस हजार प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है, जैसा कि आज सदन में मंत्री महोदय ने बताया है और साथ ही यह भी बताया है कि 71 के आधार पर प्रार्थना-पत्र लेकर लाटरी सिस्टम पर भू-खण्ड आवंटित किये जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने एक एक व्यक्ति से तीन तीन बार प्रार्थना-पत्र लिये हैं तब यह लाटरी सिस्टम इन्ट्रड्यूज करना उन लोगों के साथ एक धोखेबाजी है। आज आप लोगों से यह कहते हैं कि नये प्रार्थना--पत्र दीजिये, लोटरी सिस्टम शुरू होगी और उस आधार पर जमीनें दो जायगी। जो लोग झोपड़ियों में बसे हुए हैं उन इन्सानों को क्या मुसीबत हो रही होगी इसका अन्दाजा भी आप लगाइये। एक तरफ आप यह कहते हैं कि कच्ची वस्तियों में सड़क बननी चाहिये दूसरी तरह यह देखने में आता है कि वहां पर कोई सड़क नहीं बनी है जो विकसित मंडियां हैं उन मंडियों के अन्दर महिनों से मैटेरियल पड़ा हुआ है, डामर बिखर रहा है और उसको कोई सम्भालने वाला नहीं है। यह पब्लिक मनी का वेस्टेज है। मैंने बराबर अधिकारियों के पास जाकर इसके बारे में निवेदन किया है, उनका ध्यान आकर्षित किया है, जनता कष्ट पा रही है और आज तक उनकी कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिये उपाध्यक्षजी, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह जो बिल प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात है, वह एक तरह से जन समस्या को टालने की बात है। मेरा निवेदन है कि इस बिल पर, यहां पर, धारा वार विचार हो और प्रजेन्ट में जो ब्यूरोक्रेसी का शासन है वह खतम हो। चाहे वे जिलाधीश महोदय हो। उनके स्थान पर जिनका, व्यक्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है, उनके हाथ में यह दिया जाये। इन पांच व्यक्तियों में निश्चित रूप से मैं यह निवेदन करूंगा कि एक शिड्यूल कास्ट का आदमी हो, दूसरा निश्चित रूप से विधान सभा का कोई न कोई सदस्य हो। इसके अन्दर मेरा एक और निवेदन है। हमारी जो योजनाएं होती हैं वे महिनों तक सचिवालय के विभागों का चक्कर लगाती रहती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि चीफ टाउन प्लानर इसका मेम्बर होना चाहिये और इसको इसलिये बाध्य कर देना चाहिए कि वह व्यक्ति योजना के सम्बन्ध में उसी वक्त उसी बैठक में अपना फैसला कर दे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

और वह योजना विभागीय कार्यवाही व स्वीकृति के लिये विभागों के अन्दर चक्कर नहीं काटती फिरे। एक योजना की स्वीकृति के लिए 6–7 महिने और कभी कभी वर्ष तक लग जाते हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी घोषणा की है कि वह हरिजनों को एक एक रुपये में मकान देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक किसी हरिजन को एक रुपये में जमीन भी दी गई है ? ऐसी कोई जमीन हरिजनों को नहीं दी गई है यह मैं चुनौती के साथ यहां पर कह सकता हूं। उपाध्यक्षजी, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिये यहां पर इकट्ठे हुए हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम द्रुत गति से करना चाहते हैं, उसकी ओर हमारे अधिकारियों का ध्यान नहीं है। हमें इस दिशा में अपने लक्ष्य तय करने होंगे और जो स्थितियां हैं उनको बदलने वाला कार्यक्रम बनाना होगा और एक ऐजेन्सी की स्थापना कर इनको प्राप्त करना होगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी) उपाध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार भी यह निवेदन किया था कि करीब पचास लाख की योजनाएं हैं जिनके ऊपर काफी धन व्यय कर दिया गया है और थोड़े से धन के अभाव में वे अधूरी पड़ी हुई है। इन विकास कार्यक्रमों को हमें पूरा करना चाहिये। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्षजी, विभिन्न शहरों की स्थितियों को देखते हुए प्रवर समिति को यह बिल सुपुर्द करने के लिये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस सदन में 26 अप्रेल को प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जावे और उसके बाद इस पर विचार हो, इसका विरोध मैं इस आधार पर करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी सदन के सदस्यों को यह आश्वासन दे दें कि एक गैर सरकारी व्यक्ति ही इसका मुखिया होगा और जिन चार अन्य ट्रस्टियों को इसमें रखा जायेगा उनके बारे में भी मंत्री महोदय यहां पर कह दें। उनका कार्यक्रम भी इस सदन के अन्दर बता दें कि किस ढंग से वे चलेंगे और जो हमारे साधन पड़े हुए हैं उन साधनों का हम मिलकर के उपयोग करें।

जहां तक नगर परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रश्न है, उसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह नगर परिषद् और नगर विकास न्यास की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। नगर विकास न्यास एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि सारी बस्तियों का डेवलपमेंट करके नगर परिषद् को सौंपी जायं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये नगर विकास न्यास पिछले 15 वर्षों से अपनी यह जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहूंगा कि यह पर सीवेज लाइन की समस्या है उनको तमाम को करके, नगर परिषद् को, उन चीजों को सौंपे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि नगर परिषद की तरह इलेक्शन होकर उसमें आप नहीं रखें, लेकिन आप यह निश्चित तौर से ध्यान रखिये कि जो लोग इलेक्टेड होकर, नगर परिषद् में जनता से चुनकर बैठे हैं, उनका प्रतिनिधि, जो ट्रस्ट बनायें, उनके अन्दर अवश्य रहना चाहिए।

मैं इसी बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
समिति को नहीं सौंपा जाय और धारावाही रूप से यहीं पर विचार करके आज ही इस पर निर्णय लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर): अभी माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाले ने एक बात कही है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपके माध्यम से जो इन्होंने सुझाव रखे हैं माननीय मंत्री महोदय के सामने उनकी क्रियान्विति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह सिलेक्ट कमेटी में न जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में यह मामला निश्चित तौर से जाना चाहिए, क्योंकि नगर विकास न्यास की आज जो स्थिति है वह यहां इस सदन से छिपी हुई नहीं है कि आज गरीब जनता किस तरह से उससे परेशान है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस स्थिति से हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब कि झोंपड़ी वालों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा, जब कि पिछड़े हुए लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा। इसमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। इसमें चेयरमैन के इलेक्शन का जिक्र है तो इसका मतलब यह है कि सदन की दृष्टि से सोच-समझकर इसको किया जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत है ताकि इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाय। खास तौर से मैं यह निवेदन करूंगा कि नगर विकास न्यास में कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है। खास तौर से यह सोचने का प्रश्न है। कलेक्टर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में रहता है लेकिन गंगापुर नगर विकास न्यास की अध्यक्षता के लिए उसको कहें तो कैसे काम कर सकता है। उसका स्वयं का काम ही बहुत होता है तो नगर विकास न्यास का काम कैसे कर सकेगा? बड़े बड़े जो नगर हैं उनके विकास न्यास का काम वह कर सके अच्छी तरह से यह संभव नहीं है। सदन के अन्दर चुने हुए लोग आते हैं और नगर परिषद् में लोग चुनकर जायें तो जनता जिनको चुनकर भेजती है तो वे जनता के हितों की रक्षा कर लेंगे। बड़ी दिक्कत की बात है कि आज जनता के जो चुने हुए लोग हैं उनकी वायस नहीं है और सरकारी अधिकारी जो चाहे कर सकता है। इसलिए आज इसको सदन में पास न करें, क्योंकि पहले ही हम उन बातों को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं तो बिल को पास करने की उपयोगिता नहीं है। सिलेक्ट कमेटी में जाने से गरीब जनता को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगर सरकार अपनी समाजवादी नीतियों की क्रियान्विति चाहती है तो सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से नई योजनाएं इस बिल में रखें ताकि जो जनता के लोग चुनकर आये हैं विधान सभा में और जो चुनकर आये हैं नगर परिषद् में उनका उनके ऊपर चेक हो। कौन इसके अन्दर चुने जायेंगे इन सब बातों को देखने के लिए मैं इसको प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश करता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकल सैल्फ गवर्नमेंट जिसको अपन दूसरे शब्दों में स्वायत्त शासन कहते हैं क्या उनकी यह मन्शा है कि राज्य में स्वायत्त शासन संस्थाओं को तोड़कर परायत

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

शासन संस्थाएं बनाई जायं ? आज का जो प्रोपोजल है उससे ऐसा लगता है कि यह जो स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं वे सब परायत शासन संस्थाएं बन जायेंगी और जो मिनिस्टर होगा वही सब करेगा और चुने हुए लोगों की कुछ सुनाई नहीं होती है। मैं दूसरे शब्दों में यह कह दूं कि आज नगर परिषद् या जितनी और इलेक्टेड बौडीज है, निर्वाचित संस्थाएं है, उनके बारे में मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि वे केवल सफाई और स्वास्थ्य के लिए ही जिम्मेदार हैं। विकास करने के लिए महत्व-पूर्ण बनाया जा रहा है वह राज्य सरकार की दया पर जीवित रहे यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके अन्दर काम करें। एक माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया कि इसको प्रवर समिति में इसलिए नहीं भेजना चाहिए कि 26 तारीख तक यह नहीं होगा और इसमें विलम्ब हो जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि 15 वर्ष तक जयपुर में क्या हुआ ? 15 वर्ष तक करने वाला कौन था। अधिकारी ही तो थे जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की। निर्वाचित प्रतिनिधि होते तो जनता के सामने उत्तरदायी माने जाते। आज जो है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस राय से सहमत हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जहां पर इस पर विचार-विमर्श करके इसको जनतान्त्रिक ढांचे में इस प्रकार से ढाला जाय कि आने वाली पीढ़ियां यह न कहे कि स्वायत्त शासन संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए था वहां परायत शासन संस्थाओं का निर्माण हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, सिलेक्ट कमेटी को रैफर करने का मकसद यह है कि हम लोगों को समय मिल जाय ताकि कुछ सीरियस और सोबर थिंकिंग होकर आगे राज्य सरकार लोकल बोडीज के बारे में क्या एप्रोच रखना चाहती है वह मालूम हो जाय। आज, मान्यवर, सारे देश में स्टेट आटोनामी की बात चल रही है। आज सेन्टर को ज्यादा पावर्स हैं उनको लें और फाईनेन्शियल मैटर्स में डिवोल्यूशन कहें या डिवोल्यूशन हो रहा है सारे देश में तो राजस्थान सरकार मौजूदा लोकल बोडीज को, म्युनिसिपैलिटीज को, चाहे वह कौन्सिल्स हों, चाहे बोर्ड्स हों, उनके जो मौजूदा पावर्स हैं, उनके जो मौजूदा फन्क्शन्स हैं, उनमें क्या चैन्ज चाहती है ? क्या दोनों ड्यूअल गवर्नमेंट्स काम अगर करती हैं तो उनके कोआर्डिनेशन का कोई बेसिक आधार बनाना चाहती है ? अगर वह कुछ बेसिस बनाना चाहती है तो मैं, मान्यवर यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार जो म्युनिसिपल बोर्ड्स बनाती है, ट्रस्ट्स बनाती है, इनके बारे में जो मौजूदा टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, जिनकी वजह से वे एचीवमेंट नहीं कर पाये हैं, कोई खास काम नहीं कर पाये हैं, तो उनके बारे में बदले हुए हालात में नई नीतियां निर्धारित करना चाहती है या नहीं ? इसलिए एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि इसको आज ही पास कर दिया जाय तो ऐसी हालत राजस्थान में पैदा नहीं हुई कि आज ही बिल पास हो जाय तो शहरों का विकास हो जाय, यह

(श्री केदार नाथ)
मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि बदली हुई हालत में 10-15 साल तक जुरिस्डिक्शन एक होने के बाद भी कितना विकास कर पाये उसको देखते हुए क्या इनके पावर्स का कोआर्डिनेशन करना चाहते हैं, यह बेसिक इश्यूज हैं इन पर विचार हो सके। फाइनेन्शियल मेटर्स के बारे में सोचते हैं, डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर्स का सोचते हैं, तो माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में खुले दिमाग से बदली हुई परिस्थितियों में, नये पर्सपेक्टिव में सोचेंगे कि ट्रस्ट जो काम कर रहे हैं और जो मौजूदा बोर्ड्स और कौंसिल्स हैं उनको पावर देना चाहते हैं, या नहीं चाहते हैं, आज तक जो ब्यूरोक्रेटिक आर्डर चला आ रहा है उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उस पर डेलिब्रेशन्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला सलेक्ट कमेटी में रेफर होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेण्डमेण्ट बिल को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज इस प्रकार का अमेण्डमेण्ट करा कर, जो यू.आई.टीज. भंग कर दी गई हैं, इसको आने वाले वक्त में कायम कर दिया जाये और डिमाण्ड्स के वक्त माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे दें ताकि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में क्या होता है, वह मसला सदन में नहीं आ सके। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पीछे क्या उद्देश्य है, लोकतन्त्र में चुने हुये प्रतिनिधियों के अधिकारों के प्रति कुठाराघात हो या नहीं, यह सोचना होगा। आज जो नगरपालिकाओं का खास इन्कम का साधन है, वह हटा लिए गए हैं तथा उन नगरपालिकाओं में इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट के लोगों को बैठाया गया है। हो सकता है, उनमें अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन निश्चित रूप से वह जनता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वह सदन के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं। राजस्थान सरकार उनकी नियुक्ति ऊपर से चाहे जैसे करती है। जनतन्त्र में यह तरीका उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह ट्रस्ट के मामले में निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि जयपुर के अन्दर 30 लाख रुपये सालाना की आमदनी ट्रस्ट से होती है। यह लगाया जाये कि एक करोड़ रुपये की जमीन जयपुर में सालाना बिकती है। एक करोड़ रुपये की लागत का जो आना चाहिए, वह नहीं आता है। 30 लाख रुपये से ज्यादा नहीं आता है। इसको देखने की आवश्यकता है। जयपुर में कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जमीन नहीं है। इधर दिनों दिन मकान बनते जा रहे हैं। बंगले बनते जा रहे हैं। लोगों ने कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बना कर जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। वह भी समस्या हो सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बस्सी सीताराम पुरा में मुख्य मंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, उसके लिये यू.आई.टी. से तारीख निश्चित कर दी गई, अलाटमेण्ट के लिए। उसके बाद तत्कालीन मन्त्री महोदय ने क्या किया यह विचारणीय विषय है। यू. आई. टी. के अन्दर बैठे हुए लोग गवर्नमेंट की दया पर बैठे हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि हम पूरे बिल पर विचार कर सकें

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
उसे सोच सकें कि क्या यू. आई. टी. को कण्टीन्यू करना आवश्यक है या खत्म करके म्युनिसिपल को ये पावर्स देना चाहिये ? हम चाहेंगे कि वहां पर जनता के प्रतिनिधि हों। हम यह नहीं कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह जनता के प्रतिनिधि हैं और दुबारा आने के लिये उनको फिर जनता के सामने जाना पड़ेगा। जनता उनसे जवाब लेगी। मौलिक रूप से शहरों का प्रशासन, हमें अच्छा बनाना है तो शहरों को हमें जनता के हाथ में देना है। इस विषय पर अच्छी तरह विचार होना चाहिए। यू. आई. टीज. को खत्म कर देना चाहिए ताकि लोगों को रिहेबिलिटेट करने का प्रश्न ही नहीं रहे। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रैफर किया जाये और सिलेक्ट कमेटी में यह तय किया जाये कि म्युनिसिपेलटी को पावर दी जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बून्दी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के सामने प्रश्न है, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये। मेरा ख्याल है, यह बहुत सही है कि इसमें मेम्बर्स का ज्यादा से ज्यादा योगदान होना चाहिए। टैक्निकल मेम्बर हों, चुने हुए मेम्बर हों। इसमें ज्यादा अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिये जायें। नहीं तो जैसे यू. आई. टी. के प्रतिनिधि रहते हैं, जैसे उनको उपाधियां दी जाती रही हैं, यह प्रक्रिया अपना कर नहीं चलें। इसलिए मेरे अपने मत में भी यह आवश्यक होगा और मैं चाहूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सहदेव शर्मा।

श्री सहदेव वर्मा (जमवां रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह प्रश्न है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये। मैं भी इसी मत का समर्थन करता हूं कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। आज तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का यही हाल रहा है कि वहां के अध्यक्ष पद पर मनोनीत व्यक्ति कार्य करते रहे हैं। मनोनीत अधिकारी काम करते रहे हैं। दोनों बातों की ओर हमें सोचना है। जो यह सोचते हैं कि यू. आई. टी की स्थिति सुदृढ़ नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जमीन बेचने का जो अधिकार है, वह नगर न्यास के हाथ में दे दिया गया है। म्युनिसिपेलिटी के पास इतनी अल्प आय है, मेरा ख्याल है, वह तनख्वाह भी समय पर नहीं चुका पाती है। मेरा ख्याल है, जैसा कि माननीय केदारनाथजी कह रहे हैं, म्युनिसिपेलिटी और यू. आई. टी. का कोआर्डिनेशन होना चाहिए। वहां अध्यक्ष हैं, उनकी सहायता के लिए एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर रखे हैं। आर. ए. एस. अधिकारी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी आदि इसी आधार पर रहते हैं। ऐसी जिनकी हालत है, तो हम को यह सोचना चाहिए कि इस बिल पर पुनः विचार किया जाये। या तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सारा कार्यभार सौंपा जाये। मेरा यह मानना

(श्री सहदेव शर्मा)

है कि जयपुर शहर की समस्याओं के निवारण के लिये इसे महानगर परिषद् बना दिया जाये। जयपुर म्युनिसिपेलटी को कॉरपोरेशन का रूप दे दिया जाये। ऐसी स्थिति में यह चल सकेगी। मेरा यह भी मानना है कि सिलेक्ट कमेटी के जो सदस्य मनोनीत हों, उसमें सभी पक्षों के सदस्यों को रखना है।

अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य आय के बारे में कह रहे थे। मेरा यह मानना है कि महानगर परिषद् बना कर जयपुर शहर के आसपास का एरिया इसमें शामिल कर दिया जाये। अगर एक्सटेंशन नहीं करते हैं तो जमीन और है नहीं। जो एक्वायर की गई है. वह इतनी नहीं है। इस कारण जो भू-खण्ड हैं, वह ज्यादा से ज्यादा कीमत पर मिल रहे हैं। इस प्रकार इस पर हम खास तरीके से विचार करें। मेरा नम्र निवेदन है कि इसको कारपोरेशन का रूप दे दिया जाये जहां भी नगर न्यास बनाना है, वहां इसी प्रकार किया जाये। अगर हम जमीन की सीमाएं नहीं बढ़ायेंगे तो कुछ हो नहीं सकेगा। जमीन एक्वायर नहीं करेंगे तो मकानों की समस्या यही रहेगी। इस प्रकार मेरा यही कहना है कि म्युनिसिपलटी को नया रूप दे दिया जाये। तभी इन समस्याओं का निवारण सम्भव हो सकेगा जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे। इसलिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): (श्री पी.के. चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर) वह मान रहे हैं, सलेक्ट कमेटी का मान रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को सलेक्ट कमेटी को देने का प्रस्ताव है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। एक बात मैं इसमें निवेदन करना चहता हूं कि पुराना जो एक्ट था या कानून था, उसमें आज जो तब्दीली की जा रही है उससे स्थिति में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है–ऐसा हमें नजर नहीं आता है। पुराने जो यू. आई. टी. थे, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थे, यह बात नहीं है, उनमें ठीक से काम नहीं किया गया, इसलिए उन्हें भंग किया गया। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें भंग करके जो नये यू. आई. टी. बनाने जा रहे हैं, उसका जो ढांचा रखा है, उस बिल को देखते हुए हमें शंका होती है कि जिस ढंग से हम चाहते हैं पीपुल रिप्रेजेंटेशन वह उसमें नहीं है। मसलन मैं आपका ध्यान सेक्शन 3 आफ द बिल की तरफ आकर्षित करता हूं। क्लाज 3 में सेक्शन 11, 12, 13, 14 के डिलीशन का रखा है। सेक्शन 14 है. रेम्युनरेशन का। चेअरमैन या ट्रस्टी के एलाउन्सेज वगैरह का है, डेली एलाउन्सेज वगैरह का है यह उसके विषय में है। इसको डिलीट करते हैं इसका मतलब यह होगा, जो मेम्बर होंगे उनको एलाउन्स नहीं देना चाहेंगे। कौन से मेम्बर होंगे फिर, आफिशियल होंगे। ओब्विअसली इसका इन्फरेन्स होता है कि जो ट्रस्ट के मेम्बर होंगे दे विल आल बी आफिशियल्स। सेक्शन 14 के डीलीशन का मतलब यह होता है। पुराना जो एक्ट है उसमें सेक्शन 14 है, उसको देखिये। उसमें लिखा है।

(i) "The Chairman may be paid from out of the trust fund

Page No 72

(श्री पी. के. चौधरी)

such salary or allowances as may from time to time be proposed by the Trust and approved by the State Government.

(2) Other Trustees may be paid from out of the trust fund such allowances, if any, as may be proposed by the Trust and approved by the State Government."

तो इस क्लाज को डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा, जो चेअरमैन होगा, ट्रस्टी होंगे, वह एलाउन्सेज दूसरी किसी जगह से ड्रा कर सकेंगे, करेंगे। अब दूसरी जगह से, तीसरी जगह से ड्रा करने वाले कौन होंगे, वह नान आफिशियल हो नहीं सकता, आफिशियल होंगे, इंजीनियर होंगे, टाउन प्लानर होंगे। वह अपने डिपार्टमेंट से एलाउन्सेज ड्रा कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेक्शन 9. सेक्शन 9 का 3 देखिये, सब सेक्शन 3.

श्री गुमानमल लोढा : सब सेक्शन

श्री पी. के. चौधरी : सब सेक्शन ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेक्शन 9 का 3.

श्री गुमानमल लोढा : इसमें सैलरी ऐड कर दी गई है।

श्री पी. के. चौधरी : इलेक्टेड का नहीं रखा गया है। म्युनिसिपल बोर्ड का रखा है उसमें टोटल डिलीशन कर रहे हैं वह सेक्शन, ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें है एप्रूव्ड बाई द गवर्नमेंट।

श्री पी. के. चौधरी : सेक्शन 16 में इलेक्शन का डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्टेड मेम्बर नहीं रहेंगे, जो इलेक्टेड होकर आते हैं वह नहीं रहेंगे। यह इम्प्लाइड है। इससे शंका होती है। गवर्नमेन्ट को हम फुल पावर देते हैं लेकिन ट्रस्ट किस नेचर का हो यह पहले डिफाइन्ड हुआ करता था कि इस प्रकार का ट्रस्ट होगा, चेअरमैन होगा उसमें इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव म्युनिसिपल बोर्ड के आयेंगे, नान-आफिशल होंगे। उसमें यह भी प्रेस्क्राइब किया था कि कम से कम एक शिड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर होगा। इस तरह की बात से कुछ लिमिटेशन गर्वनमेंट के डिस्क्रिशन पर लगाया था, उस लिमिटेशन को इससे हटाना चाहते हैं।

दूसरे आर्डिनेन्स में कहा गया है, एक कान्स्टीट्यूटेड ट्रस्ट है उसको बीच में बदल नहीं सकते हैं इसलिए टर्म का पीरियड नहीं रखते हैं इसका मतलब यह हुआ कि एक ट्रस्ट अपाइन्ट हो गया, नये बिल के अनुसार यह तीन साल रहे, छः साल रहे, दस साल रहे कोई लिमिट नहीं होगी। चाहे तो छः महीने में उसे खत्म कर सकते हैं यह चीज, यह तरीका नहीं है, इविल को करेक्ट करने का। सही तरीका यह था कि कि तीन साल की टर्म रख लें। हम गर्वनमेंट को यह पावर देने को तैयार हैं कि गर्वनमेंट को यह एहसास हो कि यह ट्रस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, ट्रस्टी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इन बिटविन द टर्म वह उसको रिवोक कर सकती है, भंग कर सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रकार का अमेंड-

(श्री पी. के. चौधरी)

मेंट न करके let the Government have the power to dissolve the trust at any time it likes.

यह अधिकार हम देने को तैयार हैं, किसी भी समय चाहे, छः महीने में, पांच महीने में, एक महीने में और चाहे आज अपाइन्ट करते हैं उसके तीन दिन बाद यदि गवर्नमेंट को यह मालूम हो जाता है कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है तो वह उसे बदल दें। यह पावर देने को तैयार हैं, ट्रस्ट को हटाने की पावर देने को तैयार हैं लेकिन टर्म को डिफाइन किया जाय, ट्रस्ट के करेक्टराइजेशन का इसमें रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में हाण्डाजी का सुझाव मुझे पसन्द आता है, स्लम डुवेलर्स हैं जो स्लम के अन्दर रहने वाले हैं, उनका प्रतिनिधि इसमें जरूर होना चाहिये शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिनिधि है, यह जरूरी नहीं है कि वह स्लम का रहने वाला हो; हो सकता है उसने पक्का मकान बना लिया हो, इसलिए स्लम डुवेलर्स का प्रतिनिधि इसमें हो-यह डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मौजूदा गवर्नमेंट पर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन जब कानून कायदे बनाते हैं तो इसका ख्याल रखते हैं कि कैसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे अच्छी गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो उसकी पावर लेजिस्लेचर डिफाइन करता है, और मैं गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर देना उचित नहीं समझता हूं। मैं निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय इसको प्रेस्टिज इश्यू न बनायें कि सरकार ने जो कर दिया, वह कर दिया। यह एटिट्यूड नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए कि हर चीज डिफाइन हो। यह जो कानून बदला है, मैं कह सकता हूं कि पुराने बिल में यह जरूरी नहीं था कि दस का ही बने, टेन वाज परमिसिबल, वैसे छः का भी बना सकते थे.....

श्री निरंजननाथ आचार्य : छः का प्राविजन है।

श्री पी. के. चौधरी : छः का प्रोवीजन है यह जरूरी नहीं था कि दस का ही बना सकते हैं, आठ का ही बना सकते थे, छः का ही बना सकते थे। मेरा निवेदन है कि उस समय बड़ी साइज का ट्रस्ट था, दस मेम्बर का तो दस मेम्बर अनवील्डी समझते हैं। मैं नहीं समझता, though it is a matter of opinion. दस मेम्बर अनबील्डी हो सकते हैं-यह मैं नहीं मानता हूं। फिर भी मानता हूं, इट इज ए मैटर आफ ओपिनियन। इसका मतलब है, आब्जेक्ट्स में लिखना जरूरी नहीं समझा गया कि बोर्ड कैसा होना चाहिए "...who were more directly connected or concerned with development works..." यह होमोजीनिअस की क्या डेफिनेशन है ? किसको कहेंगे ? कौन कनेक्टेड है, टाउन प्लानर है, स्लम डुवेलर नहीं है। तो इसका जिक्र नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, यह संशोधन नया लाया गया है, चाहे इस पर पार्टी का व्हिप हो जाय, या कोई और बात हो जाय वैसे मैं चाहता हूं कि इस मसले को पार्टी मसला न बनाया जाय। क्योंकि आब्जेक्टिवली विचार करके इस सदन की राय बनती जा रही है कि इसको सलेक्ट कमेटी को देकर विचार करना चाहिए कि प्रतिनिधि शिड्यूल्ड कास्ट्स का हो, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, स्लम डुवेलर्स

(श्री पी. के. चौधरी)
का हो, वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जो उसका प्रतिनिधित्व करे। यह मेरा मानना है। इसलिए जल्दी पास न करके इसका जो क्लाज बाई क्लाज कन्सीडरेशन है, मैं निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय इसको पोस्टपोन कर दें, डेफर कर दें। एक घण्टे के लिए, दो घण्टे के लिए, कल तक के लिए। यह नहीं है कि आज का आज ही इसको पास करना है। मेरा निवेदन है कि हाउस की स्ट्रांग फीलिंग है, जिस फीलिंग से आप इस एक्ट को लाये हैं, मेरा निवेदन है कि हमारा जो एक्सपीरियेंस है, एप्री–हेन्शन है, इससे वह पूरा नहीं होता है। हम मानते हैं कि अनलिमिटेड पावर देना किसी बाडी के लिए उचित नहीं है। कोई न कोई टर्म डिफाइन होनी चाहिए, तीन साल की हो। यह पावर ले लें, तीन साल के पहले अगर काम खराब हो तो उसे हटा दें। आज जो आये हैं वह तीन साल तक···

श्री निरंजननाथ आचार्य : मान जाओ, भाई, मान जाओ।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा निवेदन है, इसे सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। नहीं भेजा जाय तो क्लाज बाइ क्लाज कन्सीडरेसन है, उसको आज डेफर करके अलग अलग पार्टी के लोग हैं, हाउस के दूसरे लोग हैं उनसे सलाह करके मंत्री महोदय खुद अपनी तरफ से अमेंडमेंट पेश कर दें। ताकि सलेक्ट कमेटी में···

श्री निरंजननाथ आचार्य : ताकि प्रेस्टिज पाइन्ट न रहे।

श्री पी. के. चौधरी : हाउस में जो अलग अलग एलीमेंट हैं, दूसरे लोग हैं, वह विचार करके जो सलाह दें, उसके अनुसार अमेंडमेंट पेश कर दीजिये, कल पेश कर दीजिये और आज क्लाज बाइ क्लाज कन्सीडरेशन को डेफर कर दें। यह मेरा निवेदन है···

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर साहब।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि जैसा कि बिल आया है, राज्य सरकार के सामने एक कठिनाई है सेक्शन 13 के तहत वह हट जानी चाहिये। यह कठिनाई तो है। इसके ओब्जेक्टिव्ज को पढ़ने जायं तो सरकार की यह नीति है कि वह सोशियल ओब्जेक्टिव को प्राप्त करना चाहती है। वह कौनसे सोशियल ओब्जेक्टिव्ज हैं यह मुझे पता नहीं। हाउस में जब पहले विचार किया जा रहा था तो उस समय भी कहा था कि क्यों नहीं परमानेन्ट बोडी बना देते? मेम्बर साहब बैठ कर कोमन मैन को मकान दिला सकेंगे यह मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन जनतन्त्र द्वारा चुने हुए लोग दिला सकते हैं। सदन में सोच कर इसका क्या रूप हो इस पर गम्भीरतापूर्वक पहले विचार करना चाहिये, नहीं तो म्युनिसिपल कोर्पोरेशन को ही क्यों नहीं अधिकार सौंपे जायं। सेनिटेशन आदि के काम हैं। हम यहां बैठे हुए मेम्बर्स क्या करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। राजस्थान की जनता की समस्या हल कर सकते हैं तो जयपुर की समस्या को हल करने के लिये म्युनिसिपल कौंसिल क्यों नहीं सक्षम है? जो सोशियल ओब्जेक्टिव आप रखना चाहते हैं वह यह है कि कोमन मैन को मकान देंगे। मकान कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। यह कोमन मैन के लिये

Page No 75

(श्री यशवंतसिंह नाहर)
मैम्बर्स ही कर सकते हैं कलेक्टर नहीं कर सकता। सिलेक्ट कमेटी के द्वारा यह तय हो जाय और फिर जैसा हाउस तय करे उसको स्वरूप देना चाहिये यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस बिल को सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा और सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा रखे गये हैं इस पर इस सदन के 14 माननीय सदस्यों ने विचार प्रस्तुत किये हैं। अधिकांश माननीय सदस्यों का यह ऐतराज था कि जनता के जो इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज हैं उनका इस ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है। हरिजन, पिछड़ी जाति और स्लम में रहने वाले लोगों का रिप्रेजेन्टेशन इसमें नहीं रखा गया है।

जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि पहले भी एक्ट की धारा 9 थी उसमें भी म्युनिसिपैलिटीज के चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि होगा ऐसा प्रावधान है। विधान सभा के उनमें माननीय सदस्य भी होते हैं, लोक सभा के माननीय सदस्य भी होते हैं और राज्य सभा के माननीय सदस्य भी होते हैं। सब ही चुने हुए मैम्बर्स का कानूनी प्रावधान नहीं था। सिवाय म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स के सरकार किसी को भी नोमिनेट कर सकती है, किसी भी जन-प्रतिनिधि को जिसकी यहां आवश्यकता है उसको नोमिनेट कर सकती है। स्लम या कच्ची बस्तियों में रहने वाले भाई हैं उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक समझा गया तो उनको रखा जा सकता है। माननीय सदस्यों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने यह बात रखी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधि होना चाहिये और म्युनिसिपैलिटी और दूसरे चुने हुए लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कच्ची बस्तियों के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

श्री **परसराम मदेरणा** : कच्ची बस्तियों का भी है। ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं। राज्य सरकार को उसमें कोई ऐतराज नहीं है। खुले दिमाग से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सारे को रिकान्स्टिट्यूट करूंगा और आपके सुझावों के अनुसार इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जावेगी।

जमवारामगढ़ से और मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली में भी एक डेवलपमेन्ट आथोरिटी है जो कौंसिल और कार्पोरेशन से अलग है। इसलिये इसको रखना चाहते हैं कि सब ही म्युनिसिपैलिटीज की हालत खराब क्यों है, वे राणावत वेतन कमीशन की रिकमन्डेशन्स को लागू नहीं कर सकती, हाउस टैक्स लगा नहीं सकती, सेनीटेशन आदि की जो सहूलियत देनी चाहिये वे दे नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

सकीं, वैल डिफाइन्ड एरियाज को वे डवलप नहीं कर सकतीं। इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल को पे करना चाहिये लेकिन करोड़ों रुपयों की तादाद में सरकार ने पहले राइट आफ किये हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं कि वे पे कर सकें। प्लान्ड डवलपमेन्ट चाहते हैं तो मेरा यह अनुभव रहा है कि इस प्रकार की जो दूसरी संस्थाएं हैं, टैक्स लगाने में सक्षम हैं, लेकिन वे टैक्स नहीं लगा सकी हैं। इस अनुभव के सन्दर्भ में मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि म्युनिसिपैलिटी यू. आई. टी. को दे दी जाय। यू. आई. टी. को बने हुए थोड़ा समय हुआ है और जिस तेजी से आवास की समस्या हल करना चाहिये वह नहीं कर सकी है। आवास के प्रश्न को हल करने के लिये हाउसिंग बोर्ड भी बना दिया गया है और उनको भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। कई टिनेमेन्ट्स बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बनने के बाद में जिनके पास रहने को मकान नहीं हैं उनको रहने की सुविधा मिलेगी।

एक मुद्दा यह उठाया गया कि इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्ज का प्रतिनिधित्व हो। मुझे ऐतराज नहीं है। कच्ची बस्तियों में रहने वालों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस पर भी मुझे ऐतराज नहीं है। यह भी कहीं पर प्रावधान नहीं था एक्ट में कि कच्ची बस्तियों का प्रतिनिधित्व होगा। पहले यह प्रावधान था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक एक आदमी जरूर रहेगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग उन बस्तियों में रहते हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं तो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसे प्रिन्सिपली मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह प्रस्ताव रखा गया कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। इस एक्ट की थीम को देखते हुए सिलेक्ट कमेटी में भेजने का कोई मुद्दा उचित नहीं प्रतीत होता है। जो प्रस्ताव रखे हैं उन पर नये तरीके से विचार किया जाय यह सरकार सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करती है। कच्ची बस्तियों का प्रतिनिधित्व हो, इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्ज का प्रतिनिधित्व हो उसमें एम. एल. ए., एम. पी., म्युनिसिपैलिटीज के नम्बर भी हैं। हर स्कीम राज्य सरकार के पास जाने से पहले म्युनिसिपैलिटीज के पास भेजी जाती है और स्वीकार होने से पहले म्युनिसिपैलिटीज के कानून की शायद धारा 39 है। धारा 39 के नीचे नगरपालिकाओं को एसोसिएट किया जाए। इसलिए किसी स्कीम के संबंध में नगरपालिका से राय न ली जाती हो ऐसा नहीं है। यह सही है कि हमने जो सदस्य नामीनेट किए हैं उनमें नान-आफीशियल कोई नहीं है किसी भी ट्रस्ट में। ज्यादातर राज्य सरकार के अधिकारी हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारे ही अधिकारी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभी अधिकारी हैं जो भी नामीनेट किए गए हैं। कई स्थान रिक्त भी हैं। जो अधिकारी टैक्नीकल नहीं हैं व टैक्नीकल न होते हुए भी दूसरी तरह उनकी सेवा का उपयोग किया जाता है जो इन्डिस्पेन्सेबुल हैं उनको रखा जाएगा, बाकी उनके अलावा राज्य सरकार का प्रयास होगा कि ब्यूरोक्रेसी ट्रस्ट के माध्यम से हावी न रहे और विकास

(श्री परसराम मदेरणा)
के मामले में जो जन प्रतिनिधियों की भावना है उसकी उपेक्षा न करें। इस प्रकार से कान्स्टीट्यूशन करेंगे, सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है, उनकी इस संदर्भ में और जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, उनका ध्यान रखते हुए, मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

जहां तक इसको क्लॉज बाई क्लॉज लेने का प्रश्न है, कुछ माननीय सदस्यों की राय थी कि क्लॉज बाई क्लाज लेनेके प्रश्न पर दुबारा विचार किया जाए। इस संबंध में सदन की भावनाओं को देखते हुए अगर इस बिल को कल सुबह ले लिया जाए, अभी डेफर किया जाए तो मुझे ऐतराज नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रवर समिति का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने प्रश्न यह है कि माननीय गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्ताव रखा है कि मौजूदा बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। अगर वह वापस लेना चाहें तो बिल को विचारार्थ कल रखा जाए ?

श्री गुमानमल लोढा : फिर प्रवर समिति का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय भार्गव वापस लेते हैं तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि कल क्लाज बाई क्लाज विचार कर लिया जाएगा। इसलिए आप वापस ले लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बिल प्रवर समिति को सौंपा जाए, यह मेरा सुझाव था। मेरा निदवेन यह है कि मैंने जो संशोधन इसमें रखा है शायद उस पर किसी ने विचार नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है उस पर आप विचार करें और उसके बाद आप निर्णय करें वापस लेने का।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि आपकी ओर से आश्वासन दिया जाए कि कल इस पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार किया जाएगा तो मुझे वापस लेने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी लेकिन बावजूद इसके, मैंने संशोधन रखा, उसका क्या होने वाला है ?

श्री उपाध्यक्ष : कल क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन होगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रवर समिति को सुपुर्द करने का रखा है, उसको तो मैं मानने में असमर्थ हूँ। आपका जो क्लॉज पर संशोधन है, उसको आज नहीं ले रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्लॉज बाई क्लॉज मैंने संशोधन मूव किया है और बोल चुका हूँ। वह फेक्ट एकम्पिलश हो गई, उसके बाद दूसरा तरीका आपने किया। इसलिए माननीय गिरधारीलालजी का क्लॉज बाई क्लॉज

श्री परसराम मदेरणा : इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में सदन में बहस चल रही है। रूल्स क

(श्री परसराम मदेरणा)
रिलेक्स करके क्लॉज बाई क्लॉज बोल चुके हैं तो भी आपको राइट रहता है, तो तैयारी करके कल बोल सकते हैं। आपका क्लाज 2 पर संशोधन है। आपको अपने विचार रखने का हक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी भी सदन को, उसमें क्या संशोधन करना चाहता हूं, यह भी मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज बाई क्लॉज जो भी संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्य हैं, उनको आश्वासन दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल ऐसा न हो कि मुझे संशोधन पर विचार रखने··

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को नहीं जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने जो संशोधन क्लॉज 2 में रखा है, जो महत्वपूर्ण है, इसको पुष्टि के लिये मैं फाइल्स लेकर आया हूं। मन्त्री महोदय कहें तो मैं प्रमाण दूं, वह भी मेरे पास मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मन्त्री महोदय ने कहा है कल इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज सदन में रखा जायेगा और जो संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य हैं, उनको उस पर बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : और जो बोल चुके हैं, वह भी बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। प्रश्न यह है कि माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव क्योंकि संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं उनको वापस लेने की इजाजत दी जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने को इजाजत दी गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गुमानमल लोढा : कल रखा है। सदन की भावना के अनुकूल कल रखा जाए।

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है। विचारार्थ तो मूव किया है।

कई माननीय सदस्य : डिबेट कल होगी।

श्री उपाध्यक्ष : एक एक क्लॉज पर विचार कल होगा। आज इन्ट्रोड्यूस हो चुका है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहिए कि प्रश्न यह है कि इसको विचारार्थ लिया जाए, जो पक्ष में हों हां कहें, जो विपक्ष में हों ना कहें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय ने जो विधेयक पेश किया है उसको विचारार्थ लिया जाए।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विचार आज व्यक्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कल खंडशः विचार होगा।

राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री तथा माल-कर संशोधन विधेयक 1972 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन में इस राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अनुमान यह लगाया गया था कि आज केवल नगर विकास न्यास संशोधन विधेयक पर विचार होगा। यह हमें मालूम नहीं था कि आज इस प्रकार बीच में यह बिल भी आ जाएगा। अतः मेरा निवेदन है कि इसे कल के लिए रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आज की कार्य सूची में है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि सही ढंग से माननीय सदस्य विचार रखें तो कल ही इस पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा। बाकी नहीं तो आपका बहुमत है, हां पक्ष, ना पक्ष करके इसे पास कर दें तो आपकी मर्जी।

(म. प. 2 बजकर 50 मिनट पर अध्यक्ष महोदय, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की स्वीकृति है कि इसे पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसे कल लिया जाता तो ठीक रहता ताकि इस सदन के माननीय सदस्य अगर कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहते तो कर देते और इसके बारे में उन्हें समय भी मिल जाता।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि जब यह विधेयक सदन में विचारार्थ आया तो उस पर जब कि कोई संशोधन नहीं है तो उसे पारित ही करना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यों तो मेजोरिटी है कांग्रेस की जब चाहे आप हां पक्ष जीता, ना पक्ष हारा, कह कर कोई विधेयक पास करवा लें। पर चूंकि आज नगर विकास न्यास के आर्डिनेन्स पर ही सदन में वाद-विवाद होगा यह समझा गया था यह तो सोचा भी नहीं गया कि आज ही आप इसे पास करवा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
देंगे। अच्छा तो यही होता कि कल इस पर बहस होकर इसे पास करते।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिये इसे पारित किया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज कैसे पास हो सकता है। आपने जो लिस्ट आफ बिजनेस भेजी है उसमें बिल तो तीन बताये हैं और तारीख 7 और 8 लिखी है मैं तो यही मान कर चलता था कि एक विधेयक आज लिया जायेगा और दूसरे विधेयक कल लिये जायेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, विधेयक के लिये यह जरूरी है कि जब विधेयक विचारार्थ लिया जाता है सदन में और उस वक्त अगर कोई संशोधन उस पर नहीं आते हैं तो फिर उसके लिये अगली कार्यवाही यही होती है कि विचारार्थ बिल को पारित किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री अध्यक्ष: आपका कोई अमेन्डमेन्ट इस पर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इसे कल विचार करके पारित किया जाय तो ठीक रहेगा ताकि अगर कोई कानूनी पहलू हो तो वह भी देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की क्या राय है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आज ही पारित किया जाय।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : रूल्स के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की स्वीकृति है इस विधेयक को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की बैठक कल के 11 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 2 बज कर 55 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 8 अप्रेल 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 18 की सूची)

तालिका 'क'

वृहत् उद्योगों में बिक्री-कर एवं केन्द्रीय बिक्री-कर की बकाया राशि का वर्षवार विवरण

वृत का नाम	व्यापारी का नाम	कर-निर्धारण तिथि	वर्ष	रा.बि. कर बकाया राशि	के.बि. कर बकाया राशि	योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
		67–68					
वा.क.अ. विशेष मण्डल—i, जयपुर	मान इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, जयपुर	12–2–68	64–65	—	26997.30	26997.30	वसूली स्थगित है।
„	नेशनल इंजीनियरिंग ई. लि. जयपुर	29–4–67	63–64	32418.67	—	32418.67	„
		68–69					
„	आदित्य मिल्स लि. जयपुर	1–4–68	64–65	611.47	117.09	728.56	सत्यापन होना है।
वा.क.अ. विशेष मण्डल—ii, जयपुर	कैप्सटन मीटर्स, जयपुर	28–5–68	65–66	2500.00	—	2500.00	वसूली स्थगित है
„	„	28–5–68	66–67	5000.00	32528.00	37528.00	„
„	„	28–5–68	67–68	2500.00	13312.72	15812.72	„

1	2	3	4	5	6	7	8
		69–70					
वा.क.अ. विशेष मण्डल–i, जयपुर	मान इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, जयपुर	30–6–69	65–66	–	4500.00	4500.00	वसूली स्थगित है।
वा.क.अ. विशेष मण्डल, कोटा	ओरियन्टल पावर केबल्स, कोटा	21–8–69	66–67	3500.00	11614.10	15114.10	”
		71–72					
वा.क.अ. विशेष मण्डल–ii, जयपुर	प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडेक्ट, जयपुर	28–5–71	70–71	11348.00	21200.00	32548.00	”
वा.क.अ. विशेष मण्डल–i, जयपुर	जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	23–7–71	63–64	1558.74	4248.05	5806.79	”
वा.क. अ. विशेष मण्डल–ii, जयपुर	देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल	15–10–71	69–70	–	4524186.80	4524186.80	”
वा.क अ. विशेष मण्डल, कोटा	राजस्थान टैक्सटाइल्स मि. कोटा	16–11–71	68–69	73700.00	3194.22	76894.22	”
वा.क.अ. विशेष मण्डल–i, जयपुर	पोद्दार स्पीनिंग मिल जयपुर	14–12–71	68–69	31387.89	–	31387.89	”
”	नेशनल इंजीनियरिंग ई. लि. जयपुर	17–1–72	69–70	27117.30	–	27117.30	वसूली कार्यवाही चालू है।

घा.क.अ. विशेष मण्डल-ii, जयपुर	देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स	20-1-72	70-71	-	945010.16	945010.16	वसूली स्थगित है।
„	प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडेक्ट्स, जयपुर	25-1-72	71-72	735644.75	-	735644.75	इस राशि का भुगतान किश्तों में किया जाता है।
„	„	7-2-71	71-72	214355.25	-	214355.25	„
		कुल योग		1141642.07	5586908.44	6728550.51	

वृहत् उद्योगों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया राशि का वर्षवार विवरण

वर्ष	राजस्थान बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	योग
67–68	32,418–67	26,997–30	59,415–97
68–69	10,611–47	45,957–81	56,569–28
69–70	3,500–00	16,114–10	19,614–10
71–72	10,95,111–93	54,97,839–23	65,92,951–16
कुल योग	11,41,642–07	55,86,908–44	67,28,550–51

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 27 की सूची)

प्रश्न नं. 1 के क्षेत्रीय योजनाओं की सूची

(1) रोल : गोटमांगलोद क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार	अनुमानित लागत
1–	रोल	2523	
2–	गोट	231	
3–	मांगलोद	634	
4–	खांवर	209	11.00 लाख रुपये
5–	पडियारा	120	
6–	रतंगा	528	
7–	दुगस्ताऊ	13.95	
8–	माताजी का मन्दिर	500	
		6140	

जल स्रोत:— रोल

(2) तरनाऊ उबासी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

1–	रतनाऊ	1625	10.81 लाख रुपये
2–	रोहिना	1306	
3–	पिन्डिया	820	
4–	उबासी	800	
5–	सान्दिला	848	
6–	उछेरा	655	
7–	धरना	374	
8–	मेरावास	296	जल स्रोत तरनाऊ
9–	झालरा	370	
10–	खुशिया	109	
		7203	

Page No 86

1	2	3	4
(3)	अखर–बोटवा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना ।		
1–	ग्यार	546	रु0 8.21 लाख
2–	मतासुख	404	
3–	अखर	504	
4–	गालोली	430	
5–	रूपथल	437	
6–	बोरवा	723	
7–	नाराधना	369	
8–	दिदिया कला	340	
9–	दिदिया खुर्द	156	
		3909	

जल स्रोत :— अखर

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. स. 29 की सूची)

(वर्ष 1971-72 में ली गई राजकीय प्राथमिक शालाओं की सूची।)

1.	अजमेर	शहर
2.	जोधपुर	„
3.	बीकानेर	„
4.	उदयपुर	„
5.	कोटा	„
6.	जयपुर	„
7.	गंगानगर	„
8.	नागौर	„
9.	भीलवाड़ा	„
10.	हिन्डौन	„

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रारम्भ की गई प्राथमिक शालायें

1.	भूटो की ढानी	(जिला—बीकानेर)
2.	रमई	(जिला—बीकानेर)
3.	मकराय	(जिला—बीकानेर)
4.	देयावाली ढाणी (दातौर)	(जिला—बीकानेर)
5.	चौकूथा	(जिला—बीकानेर)
6.	किशनपुरा	(जिला—बीकानेर)
7.	मूंगराला की ढाणी (गोगीलवाला)	(जिला—बीकानेर)
8.	रोभा	(जिला—बीकानेर)
9.	मिठड़िया	(जिला—बीकानेर)
10.	कालवास	(जिला—बीकानेर)
11.	उड़ासिया	(„ „)
12.	सदेरा	(„ „)
13.	15 पी.टी.डी.	(जिला—गंगानगर)
14.	विशनपुरा (सिगंदा)	(„ „)
15.	2 बी.एल.डी.	(„ „)
16.	नाहरवाली हैड	(„ „)
17.	सादेकी जोहरी	(„ „)
18.	बिरदवाल	(„ „)
19.	ढाणी भुना	(„ „)
20.	ढाणी पूनिया	(„ „)

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जोधपुर शहर की दुग्ध योजना

30. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में चार करोड़ की लागत से एक दुग्ध योजना, चिलिंग प्लान्ट आदि प्रारम्भ करने की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह योजना गत वर्ष ही प्रारम्भ कर देनी थी ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब किन कारणों से हुआ है ? अब कब तक यह योजना शुरू हो सकेगी ?

उत्तर

(1) माननीय सदस्य का आशय विश्व खाद्य कार्यक्रम की 'आपरेशन फ्लड' नामक योजना से प्रतीत होता है जिसके अन्तर्गत पूरे राजस्थान राज्य के लिए 3.82 करोड़ रुपये का प्रावधान इंगित किया गया था। इन योजनाओं में जोधपुर क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 1971 में प्रस्तुत की गई थी।

(2) जोधपुर योजना की स्वीकृति "आपरेशन फ्लड" के अन्तर्गत अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

30. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं तथा भविष्य में सरकार क्या कदम उठाने जा रही हैं ?

उत्तर

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य प्रशासन से संबन्धित की गई सिफारिशों की बाबत अध्ययन करने हेतु, राज्य के मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी।

शराबबन्दी

32. श्री मोहनराज (वाली): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार शराबबन्दी सम्बन्धी अपनी घोषित नीति पर दृढ़ रह कर अमल करना चाहती है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक इस ओर क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस वर्ष कुछ नये जिलों में शराबबन्दी लागू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो उन जिलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पूर्व घोषित नीति के अनुसार राज्य में पूर्ण नशा बन्दी लागू किये जाने में राज्य

(आबकारी मन्त्री)

सरकार विश्वास रखती है। परन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति के कारण पूर्व घोषणा के अनुसार 1–4–72 से सम्पूर्ण राजस्थान में नशाबन्दी लागू किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) राज्य में मद्य निषेध की ओर बढ़ने की दिशा में तारीख 2– 0–67 से गुजरात से लगी सीमा के 25 किलोमीटर क्षेत्र में पूर्ण नशाबन्दी लागू की गई। इसी क्रम में दिनांक 1–4–68 से डूंगरपुर व बांसवाड़ा और सिरोही (आबू क्षेत्र को छोड़ कर) जिलो तथा उदयपुर जिले के झाडोल खेरवाड़ा तथा कोटडा तहसीलों में पूर्ण मद्य निषेध लागू कर दिया। गया आबू क्षेत्र में पहले से ही मद्य–निषेध जारी हैं।

(3) 1–4–70 से राज्य के तीन और जिलों जेसलमेर, बाड़मेर जालौर तथा उदयपुर जिले की तहसीलें गोगुन्दा, धरियावद और सराड़ा में भी पूर्ण नशाबन्दी लागू करदी गई है।

जी नहीं, अतः सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गा काटन मिल्स के विस्तार के लिये भूमि

श्री गुरदयालसिंह सिधु (करण र): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(क) क्या यह सच है कि दुर्गा काटन मिल्स की सार्जन मशीन पदमपुर में लगाने के लिये उसके साथ लगती भूमि की मांग की थी ?

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कारखाने का विस्तार हो जाने से उस क्षेत्र में कपास पैदा करने वालों के भाव में 20 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती थी ?

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उस कारखाने के विस्तार के लिये भूमि न देकर उस क्षेत्र के किसानों को हानि पहुँचाई है ?

उत्तर

(क) मिल द्वारा दिनांक 31–1–72 को भूमि की मांग हेतु जिलाधीश श्रीगंगानगर को आवेदन किया गया है।

(ख) यह भविष्य में कपास की मांग पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं।

परिशिष्ट 5

(अ.प्र.सं. 10 की सूची)

राजस्थान राज्य में योजनान्तर्गत जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय की गई राशि का विव

क्र.सं.	जिले का नाम	जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय									
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना-न्तर्गत	तृतीय पंचवर्षीय योजना-न्तर्गत	वार्षिक योजना (1966-69)			1969-70			1
					नगरीय	ग्रामीण	योग	नगरीय	ग्रामीण	योग	नगरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर		33.87	64.98	1.98	0.78	2.76	0.76	1.21	1.97	2.4.
2.	अलवर		7.50	35.84	0.18	11.74	11.92	0.27	2.41	2.98	–
3.	बांसवाड़ा		7.83	3.90	1.42	4.72	6.14	3.22	1.46	4.68	1.0
4.	बाड़मेर		13.08	37.89	2.30	4.47	6.77	0.41	0.94	1.35	–
5.	भरतपुर		5.76	20.47	22.55	6.71	29.26	12.47	1.62	14.09	21.4
6.	भीलवाड़ा		4.92	8.28	2.19	8.12	10.31	2.19	3.10	5.29	5.9
7.	बीकानेर		40.79	36.53	18.63	9.80	28.43	5.61	3.61	9.22	7.4
8.	बून्दी		2.88	2.27	3.10	2.64	5.47	3.77	1.28	5.05	4.8
9.	चित्तौड़गढ़		10.28	26.43	3.12	4.98	8.10	1.28	3.51	4.79	2.7
10.	चूरू		18.05	35.73	20.30	3.97	24.27	10.05	0.93	10.98	10.7
11.	डूंगरपुर		4.65	4.79	1.31	4.19	5.50	0.35	1.68	2.02	–
12.	गंगानगर		19.63	13.64	18.68	10.07	28.75	6.53	4.33	10.86	5.0
13.	जयपुर		12.82	52.25	7.18	6.18	13.36	8.39	5.64	14.03	14.2
14.	जैसलमेर		6.70	13.90	1.21	–	1.21	0.48	0.10	0.58	–
15.	जालौर		8.39	31.68	0.35	11.58	11.93	0.06	9.48	9.41	–
16.	झालावाड़		2.40	21.06	6.17	0.68	6.85	2.73	0.58	3.31	0.7
17.	झुंझुनू		6.41	33.69	19.63	8.51	28.44	10.52	2.63	13.15	14.7
18.	जोधपुर		13.91	28.63	9.10	7.96	17.06	8.33	0.60	9.93	17.4
19.	कोटा		6.62	42.07	5.39	3.80	9.19	8.45	0.76	9.21	17.7
20.	नागौर		17.08	33.49	7.41	24.44	21.85	3.69	5.40	9.09	29.0
21.	पाली		9.93	26.50	4.60	23.14	27.74	4.45	7.03	11.48	3.8
22.	सवाई माधोपुर		2.25	19.23	10.36	3.98	14.34	4.87	3.46	8.33	11.6
23.	सीकर		10.48	24.82	25.64	8.99	34.63	14.14	2.89	17.03	18.0
24.	सिरोही		6.88	21.01	2.93	4.22	7.15	7.57	0.76	8.33	3.4
25.	टोंक		4.74	5.27	2.74	3.03	5.77	2.22	2.12	4.34	4.8
26.	उदयपुर		33.95	21.41	24.40	17.34	41.74	40.95	7.67	48.62	21.
27.	मुख्यालय एवं अन्य योजनाएं		37.42	64.35	35.19	43.35	28.54	20.56	36.80	57.36	5.
	योग:-	207.97	349.32	731.11	258.36	239.39	497.75	181..0	113.00	297.50	224.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रेल, 1972)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
3		7	श्रीमती निमर्ला कुमारी	श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत
4	अन्तिम से	15	श्री योगेन्द्र नाथ हंडा	श्री योगेन्द्र नाथ हांडा
6		2	अनिर्मितता	अनियमितता
6	अन्तिम से	4	आदश	आदेश
10	,,	1	से	से
11		2	वो	वह
11		9	श्री मूलचन्द	श्री मूलचन्द सामरिया
16		4	व	वह
19		8	स्वास्य	स्वास्थ्य
20		9	साह	साहस
23	अन्तिम से	10	श्री नाराय सिंह मसूदा	श्री नारायण सिंह मसूदा
30	,,	13	19 1	1971
35	,,	9	तथ	तथा
36		11	जान	जानकारी
46	अन्तिम से	7	यर्ष	वर्ष
47	,,	12	जमाब	जवाब
52	शीर्षक		अतारांकित	तारांकित
52	अन्तिम से	1	हुआ	हुआ वह
54	,,	5	स्वाय	स्वायत्त
65 से 70 तक	शीर्षक		तारांकित प्रश्नोत्तर-7 अप्रेल, 1972 तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन प्रस्तावों पर-7 अप्रेल, 1972-अध्यक्षीय व्यवस्था
71-72	शीर्षक		विधायी कार्य-7 अप्रेल, 1972-विधायी कार्य	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र-7 अप्रेल, 1972-विधायी कार्य
74	अन्तिम से	2	टैस	टैक्स
81	,,	11	आधार समस्याओं	आधार पर समस्याओं
82	,,	7	का उसे	आदि
82	,,	18	हैप-हैअर्ड	हैपजर्ड

Page No 92

1	2	3		4
86		13	Sheduled	Scheduled
101		13	करगानें	करवालें
103	अन्तिम से	9	ब्लक	में पब्लिक
103	,,	1	लये	लिये
106	,,	5	1962	1972
109	,,	9	प्रिविलेज है मैं	प्रिविलेज में
109	,,	3	एस.एल.ए.	एम.एल.ए.
115		7	वम	वय
,,	अन्तिम से	7	ग्राला	अगला
126	,,	12	श्री मोहम्मद मगफार अली	श्री मोहम्मद गफार अली
137		17	ब्यूरोक्रे किट	ब्यूरोक्रेटिक
140		6	श्री सहदेव वर्मा	श्री सहदेव शर्मा
152		1	और इसे प्रिन्सिपली	और प्रिन्सिपली
1·2		12	नम्बर	मेम्बर
157	अन्तिम से	3	श्री ि रधारी लास भार्गव	श्री गिरधारी लाल भार्गव
158		4	(म.प. 2 बज कर 50 मिनिट पर अध्यक्ष महोदय पदासीन)	(2.50 म. प.) श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन
169		2	(करग र)	(करणपुर)